चतुर्थ माला, खण्ड 44, अंक 21 बुधवार, 26 अगस्त, 1970/4 भाद्र, 1892 (शक)
Fourth Series, Vol. XLIV, No. 21 Wednesday, August 26, 1970/Bhadra 4, 1892 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खण्ड 44 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

26 अगस्त, 1970 | 4 भाद्र, 1892 (शक)

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
v	प्रश्न संख्या 3970 पंक्ति 2, 'सांस्कृति' के स्थान पर 'सांस्कृतिक' पढ़िये ।
xi	प्रश्न संख्या 4039, पंक्ति 2, 'निरपादन' के स्थान पर 'निष्पादन' पढ़िये ।
[illegible]	प्रश्न संख्या 4044, पंक्ति 4, 'पी.। आ.' के स्थान पर 'टी.। आर.' पढ़िये ।
xiv	प्रश्न संख्या 40[illegible]3, पंक्ति 2, 'विद्युतिकरण' के स्थान पर 'विद्युतीकरण' पढ़िये ।
xviii	पंक्ति 14, 'श्री एस.एम.बनर्जी' के स्थान पर 'श्री स.मो.बनर्जी' पढ़िये ।
1.	पंक्ति 14, 'मीटरों' के स्थान पर 'मीटरो' पढ़िये ।
36	नीचे से पंक्ति 2 ए.एफ.क्यु.स्टेनोग्राफर' के स्थान पर तथा 'ए.एफ.क्यु'क्लर्क आदर' के स्थान पर 'ए.एफ.एच.क्यु.क्लर्क आदर' पढ़िये ।
44	प्रश्न संख्या 3982 'श्री चन्द्रजीत गुप्त' के स्थान पर 'श्री चन्द्रजीत गुप्ता' पढ़िये ।
47	पंक्ति 16, 'नीचों' के स्थान पर 'नीजों' पढ़िये ।
86	अंतिम पंक्ति '30-6-70' के स्थान पर '30-7-70' पढ़िये ।

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
116	पंक्ति 20 ‘2100’ के स्थान पर ‘8100’ पढ़िये ।
118	नीचे से पंक्ति 4, कालम 2, ‘141.21’ के स्थान पर ‘1413.21’ पढ़िये ।
119	क्रम संख्या 5, कालम 5 ‘12.7’ के स्थान पर ‘12.8’ पढ़िये ।
120	नीचे से पंक्ति 5 ‘पा सकेंगी’ के स्थान पर ‘कहाँ रहेंगे’ पढ़िये ।
121	पंक्ति 1 तथा पंक्ति 15 ‘श्री वि. श्रीकान्तन नायर’ के स्थान पर ‘श्री नी. श्रीकान्तन नायर’ पढ़िये ।
122	पंक्ति 2, 'dought' के स्थान पर 'drought' पढ़िये ।
	पंक्ति 15, ‘ढ़’ के स्थान पर ‘बाढ़’ पढ़िये ।
123	पंक्ति 6, ‘1967’ के स्थान पर ‘1970’ पढ़िये ।
	नीचे से पंक्ति दो ‘में’ के बाद और ‘राज्य सभा’ से पूर्व ‘19 अगस्त, 1970’ पढ़िये ।
126	पंक्ति 1, ‘वह’ के स्थान पर ‘यह’ पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—21, बुधवार, 26 अगस्त, 1970/4 भाद्र, 1892 (शक)
No.—21, Wednesday, August 26, 1970/Bhadra 4, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
601. लुसाका गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन से दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (सीटो) और केन्द्रीय संधि संगठन (सैंटो) के सदस्यों को अलग रखना	Exclusion of Members of SEATO and CENTO from Lusaka-Non-Aligned Summit Meet	1—5
02. कलकत्ता स्थित चाय केन्द्र का विकेन्द्रीकरण किये जाने का विरोध	Protest against Decentralisation of Tea Centre at Calcutta	5—10
604. रूसी सम्पादक की काश्मीर यात्रा	"Soviet Land" Editor's Visit to Kashmir	10—12
605. दामोदर घाटी निगम की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता में कमी	Drop in the Generating Capacity of D. V. C. Power Plant	12—14
606. चीन द्वारा नाथूला में थोड़ी दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों तथा एक भूमिगत रक्षा व्यूह की स्थापना	Installation of Short Range Missiles at Nathu La and Establishment of an Underground Defence Complex by China	14—18

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	
607. डा० तेजा की गिरफ्तारी पर कोस्टा रीका द्वारा आपत्ति	Costa Rica's objection to Dr. Teja's Arrest	18—
अल्प-सूचना प्रश्न	**SHORT NOTICE QUESTIONS**	
7. रूस से खरीदे गये फ्रिगेट	Frigates Purchased from U. S. S. R.	20—
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
S. Q. Nos.		
603. केरल में नारियल जटा से बने माल का रूस को निर्यात	Export of Coir Goods from Kerala to U. S. S. R.	
608. आयात पर पाबन्दियों में ढील	Liberalisation of Import Curbs	
609. आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम	Import Substitute Programme	
610. दक्षित वियतनाम में भारतीयों को परेशान किया जाना	Harassment to Indians in South Vietnam	24—
611. रूई निगम (काटन कारपोरेशन) की स्थापना	Setting up of Cotton Corporation	
612. प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में जासूसी चोरी के मामले	Cases of Espionage and Pilferage in Defence Establishments	25—
613. वियतनाम समस्या पर रूस से चर्चा	Discussions with U. S. S. R. on Vietnam Problem	
614. रूस को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to U. S. S. R.	26—
615. पाकिस्तान को फ्रांसीसी सैनिक सामान की सप्लाई	Supply of French Military Hardware to Pakistan	
616. पूर्वी क्षेत्र में तैनात किये गये जवानों की आवश्यकतायें	Requirements to Jawans Posted in Eastern Sector	
617. कृत्रिम रेशों से बने कपड़े के निर्यात की योजना	Scheme for Export of Man-Made Textiles	
618. पाकिस्तान में मृत्युदण्ड दिये गये भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals Sentenced to Death in Pakistan	

ता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
S. Q. Nos.	Subject	Pages
619.	इसराइल तथा ताइवान को राजनयिक मान्यता / Diplomatic Recognition to Israel and Taiwan	29
621.	संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन और कार्य में परिवर्तन करने के प्रस्ताव / Proposals to Introduce Changes in the Structure and Functioning of U. N.	29
22.	पश्चिम एशिया के लिये अमरीकी शान्ति प्रस्ताव / U. S. Peace Proposal for West Asia	30
23.	भारतीय सीमा के निकट पाकिस्तानी सेना तथा चीन द्वारा सड़कों/पुलों का निर्माण / Construction of Roads/Bridges by Pak Army and China near Indian Borders	30
624.	ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को दिये जाने वाले हथियारों के सम्बन्ध में अफ्रीकी एशिया सम्मेलन में चर्चा / Afro-Asian Conference to Discuss Arms supply to South Africa by U. K.	31
625.	भाखड़ा जलाशय में जल का स्तर / Water Level at Bhakra Reservoir	31
626.	सिख यात्रियों के आने जाने पर लाहौर में पाबन्दी / Restricted Movements of Sikh Pilgrims in Lahore	32
627.	नाइजीरिया की सरकार द्वारा भारतीय सहयोग के लिये अनुरोध / Indian Collaboration Sought by Nigerian Government	32—33
3.	पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन / Jute Inquiry Commission Report	33
629.	ब्रिटेन में भारतीयों को तंग करना / Harassment to Indian Immigrants to U. K.	33—34
630.	गंडक परियोजना के लिये अतिरिक्त नियतन / Additional Allocation for Gandak Project	34

तारांकित प्रश्न संख्या

S. Q. Nos.		
49.	पाकिस्तान में भारतीय सिपाहियों की गिरफ्तारी / Arrest of Indian Sepoys in Pakistan	34

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृ Pa
3950. कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंसों की बिक्री	Sale of Import Licences for Raw Materials	
3951. ब्रिटेन में संसद् सदस्य को परेशान किया जाना	M. P. Subjected to Harassment in U. K.	
3952. तेहरान से आये भारतीय श्रमिकों से भारतीय मुद्रा का जब्त किया जाना	Confiscation of Indian Currency from Indian Labourers from Theran	
3953. सलाल पन बिजली परियोजना, जम्मू	Salal Hydel Project, Jammu	35-
3954. सशस्त्र सेना मुख्यालय में कार्य कर रहे स्टेनोटाईपिस्ट	Steno Typists working in Armed Forces Headquarters	
3955. राजस्थान नहर को कांडला तक बढ़ाना	Extension of Rajasthan Canal to Kandla	
3956. चन्द्र धूल से नया प्रति जीवाणु	New Antibiotic from Moon Dust	
3957. पूर्वी पाकिस्तान से अल्प संख्यकों के बड़ी संख्या में आगमन पर पाकिस्तान द्वारा टिप्पणी	Pak. Comments on Exodus of Minorities from East Pakistan	37-
3958. केरल में समुद्र द्वारा भूमि कटाव से प्रभावित 560 किलोमीटर तटीय भूमि	Kerala's 560 K. M. Coast-Line affected by Sea Erosion	
3959. उद्योगों की स्थापना के लिये भारत मारीशस सहयोग	Indo Mauritius Collaboration in Setting up of Industries	38-
3960. पाकिस्तान में साम्प्रदायिक उपद्रवों का भारत में साम्प्रदायिक दंगों का मूल कारण होना	Communal Disturbances in Pakistan Cause of Communal Riots in India	
3961. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को तापीय परियोजना के लिये केन्द्रीय स्वीकृति	Central Approval for Thermal Project to the Punjab State Electricity Board	39-
3962. मूंगफली से निकले पदार्थों पर निर्यात शुल्क में कमी	Reduction in Export duty on Groundnut Extractions	

प्र० सख्या Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रशासकीय निकाय द्वारा राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं के कार्यक्रमों तथा समस्याओं का पुनर्विलोकन	Review of Programmes and Problems of National Laboratories by the Governing Body of C. S. I. R.	40—41
64. भारत में रेडियो तथा टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of Radios and T. V. Sets in India	41—42
65. पोंग बांध से निष्कासित लोगों को फिर से बसाने हेतु केन्द्र द्वारा कांगड़ा जिले के सर्वेक्षण पर हिमाचल प्रदेश द्वारा विरोध	Protest by Himachal Pradesh Government against Survey of Kangra District for Rehabilitation of Pong Dam Oustees	42
66. भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को अपने जिलों में भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Ex-servicemen in their own Districts	43
967. राजस्थान में विमान से चीनी पर्चों का गिराया जाना	Dropping of Chinese Leaflets in Rajasthan	43
969. विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को नियमित तथा नियंत्रित करने की योजना	Scheme for Regulation and Control over Foreign Cultural Centres	43
970. विदेशी धन से पोषित सांस्कृति के केन्द्रों पर सरकार का नियंत्रण	Government Control over Cultural Centres Financed with Foreign Funds	44
971. भारत सरकार द्वारा विदेशी यात्रा के लिये श्री बी० पी० कोइराला का पार-पत्र जारी किया जाना	Passport Issued to Shri B. P. Koirala by Government of India for his Tour Abroad	44
3972. राजस्थान में विमान से पर्चे गिराना	Airdropping Leaflets in Rajasthan	44—45
3973. आदिवासियों के लिये एक रेजिमेंट की स्थापना	Setting up of a Regiment for Adivasis	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3974. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य की जांच	Enquiry into the affairs of C. S. I. R.	45
3975. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी अधिकारियों और अनुवादकों के वेतनक्रम समान करना	Equation of Pay Scales of Hindi Officers and Translators in Council of Scientific and Industrial Research and Ministry of Education	46
3976. रंगून से बहादुर शाह के अस्थि अवशेष ले जाने का पाकिस्तान का प्रयास	Pak. Effort to remove remains of the Body of Bahadur Shah from Rangoon	46
3977. रेशम बोर्ड	Silk Board	46—47
3978. हथकरघा वस्त्रों का जमा होना	Accumulation of Handloom Cloth	47
3979. बीजों के थोक व्यापार में राज्य व्यापार निगम के भाग लेने का विरोध	Opposition to the Entry of the S. T. C. in the wholesale Trade in Seeds	47
3980. निर्यात में वृद्धि	Increase in Exports	47—48
3981. मध्य प्रदेश में विद्युत चालित करघे	Powerlooms in Madhya Pradesh	48
3982. कच्चे पटसन के लिये एक निगम की स्थापना करने का विरोध	Opposition to the setting up of Corporation for Raw Jute	48
3983. निकल का आयात	Import of Nickel	48—49
3984. कच्चे पटसन के लिये एक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to Set up a State Owned Corporation for Raw Jute	50
3985. राज्य व्यापार निगम द्वारा तिलहनों का थोक व्यापार	Entry of STC in Wholesale Trade in Oil Seeds	50
3986. दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग के श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों की संख्या	Class III and IV Staff in Delhi Flood Control Wing	50—51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3987. बदरपुर तापीय बिजली परियोजना में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारी	Class III and IV Staff in Badarpur Thermal Power Project	51—
3988. बदरपुर तापीय बिजली परियोजना के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for Badarpur Thermal Power Project Staff	53
3989. जामनगर में भारतीय वायु सेना के एक विमान दुर्घटना-ग्रस्त होने के बारे में जांच प्रतिवेदन	Report of Enquiry into Crash of an IAF Aircraft in Jamnagar	54
3990. इंगलैंड मे भारतीयों को नौकरियां प्राप्त करने में कठिनाइयां	Difficulties for Indians to get Jobs in U. K.	54
3991. भारत, पाकिस्तान तथा चीन के दूतावासों द्वारा विदेशियों को जानकारी देने के लिये प्रयुक्त होने वाली भाषाएं	Language used by Embassies of India, Pakistan and China to give Information to Foreigners	55
3992. मारीशस को सहायता	Aid to Mauritius	55
3993. सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात व्यापार	Import Trade through Government Agencies	56
3994. इलैक्ट्रानिक्स तथा राडार विकास संस्थान द्वारा पाकेट प्लेट निर्माण के निकल कैडयिम सेलों का विकास	Development of Nickel Cadmium Cells of Pocket Plate Construction by Electronics and Radar Developments Estd.	56—57
3995. भूटान के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के साथ बातचीत	Talks with the Bhutanese Minister of Trade, Commerce and Industries	57
3996. पर्यटक कार चालकों के लिये कारों का आयात	Import of Cars for Tourist Car Operators	58
3997. चीनी अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र और भारत द्वारा प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये परमाणु क्षमता का उपयोग	Chinese I. C. B. M. and use of Nuclear Potential for Defence purposes by India	58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3998.	मध्य पूर्व में शान्ति के लिये भारत का योगदान	Indian Role for Peace in Middle East	58—
3999.	परमाणु विद्युत संयंत्रों में प्लूटोनियम का उत्पादन	Production of Plutonium in Atomic Power Plants	59
4000.	पश्चिमी जर्मनी द्वारा भारतीयों पर प्रतिबन्ध	West German Curb on Indians	60
4001.	नैप्था का आयात	Import of Naptha	60
4002.	विद्रोही नागाओं को पश्चिम जर्मनी की ओर से नैतिक तथा ठोस समर्थन	Reported West German moral and Material Support to Rebel Nagas	60—61
4004.	रेयन धागे की कीमत	Price of Rayon Yarn	61
4005.	चाय कम्पनियों का मुनाफा	Profitability of Tea Companies	61
4006.	ऊन के वितरण की नीति	Policy for Distribution of Wool	62
4007.	अधिकतम संख्या में शक्ति-चालित करघों वाले उद्योगपति	Industrialist Owning Maximum Number of Powerlooms	62—63
4008.	ग्रामीण विकास और रोजगार में समन्वय के लिए केन्द्रीय समिति	Central Committee for Coordination of Rural Development and Employment	63—64
4009.	18वीं पंजाब रेजिमेंट द्वारा मैसर्स तिलक सन्स से शराब की खरीद	Purchase of Liquor by 18th Punjab Regiment from Messrs Tilksons	64
4010.	अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को सक्रिय बनाने में कम्बोडिया का विरोध	Cambodian Opposition to Reactivisation of International Control Commission	64
4011.	श्रीलंका में भारतीय भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति	Persons knowing Indian Languages in Ceylon	64—65
4012.	कच्छातीबू द्वीप विवाद	Kachhativu Island Dispute	65
4013.	सशस्त्र सेना के अधिकारियों में वृद्धि	Increase in Number of Officers in Armed Forces	65
4014.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार	Trade through STC	65—66

प्र० संख्या Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
015. सशस्त्र सेना मुख्यालय में स्टेनोग्राफर सेवा का पुनर्गठन	Reorgnisation of Stenographer's Service in the Armed Forces Headquarters	66
016. परमाणु क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच करार	Agreement between India and USSR in the Nuclear Field	66
017. असम में धिमाजी तथा उत्तर लखीमपुर स्थित बांध तथा जल निकास विभाग की बाढ़ नियंत्रण शाखा से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation Received from Flood Control Wing of Embankment and Drainage Department of Dhimajee and North Lakhimpur, Assam	67
018. नागा रेजिमेंट की स्थापना	Setting up of a Naga Regiment	67
019. बंगाली रेजिमेंट का बनाया जाना	Raising of Bengal Regiment	67—68
020. रूसी हथियारों के लिये फालतू पुर्जे	Spare Parts for Soviet Weapons	68
021. एजेंटों द्वारा विदेशी शक्तियों को गुप्त जानकारी भेजने के उद्देश्य से गुप्त जानकारी एकत्र करना	Collecting of Intelligence by Agents for Passing over to Foreign Powers	68—69
022. डिफेंस इंस्टीट्यूट आफ वर्क्स स्टेडी, लंडोर (मसूरी)	Defence Institute of Works Study, Landour (Mussourie)	69
023. रूई का आयात	Import of Cotton	69—70
024. तमिल पत्रिकाओं के श्रीलंका में आयात पर श्रीलंका सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध	Ban Imposed by Ceylon Government on Import of Tamil Magazines in Ceylon	70
025. जूतों के उत्पादन के लिये संयंत्र सप्लाई करने के सम्बन्ध में सोवियत प्रस्ताव का रद्द किया जाना	Rejection of Soviet Offer to Supply Plant for the Production of Shoes	70
026. वियतनाम समस्या को सुलझाने के लिये बोद्धों का सम्मेलन	Buddhist Conference for Vietnam Issue	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4027.	बलिया बैरिया बांध के लिये धन	Funds for Balia Beria Dam	71
4028.	विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को पुनः खोलना	Reopening of the Foreign Cultural Centres	71—72
4029.	भारतीयों से अफ्रीका छोड़ने की मांग	Indians being asked to Quit Africa	72
4030.	बम्बई में रूसी व्यापार कार्यालय भवन के बारे में गृह कार्य मंत्रालय का प्रतिवेदन	Home Ministry's Report on Soviet Trade Mission Office Building in Bombay	72—73
4031.	भारत के चीन और पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला करने की स्थिति में होने के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री का वक्तव्य	Defence Minister's Statement Regarding India's Position to Repel Sino-Pak Attack	73
4032.	दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई के विरुद्ध विश्व जनमत को पक्ष में करना	Mobilising World Opinion against Arms Supply to South Africa	73—74
4033.	अफ्रीका को शस्त्रों की सप्लाई के मामले को गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उठाना	Raising the Issue of Arms Supply to Africa at Non-Aligned Summit Conference	74
4034.	खाल का निर्यात	Export of Skin	74—75
4035.	रूसी मानचित्र में नेफा को चीनी भूभाग के रूप में दिखाया जाना	NEFA shown as Chinese Territory in Soviet Map	75
4036.	विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों में उच्च पदों का भरा जाना	Filling up Higher Posts in Indian Embassies Abroad	76
4037.	अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र का पुनः खोला जाना	Reopening of American Cultural Centres	76
4038.	गंडक योजना के अन्तर्गत तिरहुत नहर पर पुल निर्माण के लिये अभ्यावेदन	Representations for Construction of Bridges over Tirhut Canal under the Gandak Scheme	76—77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4039.	बिहार में बागमती परियोजना का निरपादन	Execution of Bagmati Project, Bihar	77
4040.	उत्तरी बिहार में मोतीपुर नामक स्थान पर तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of Thermal Power Station at Motipur in North Bihar	77
4041	बढ़ियारपुर, बिहार में बूढ़ी गन्डक नदी द्वारा कटाव	Erosion of Burhi Gandak River at Barriyarpur, Bihar	77—78
4042.	राजस्थान के इजीनियरों द्वारा जल संसाधनों सम्बन्धी पृथक मंत्रालय की मांग	Demand for a Separate Water Resources Ministry by Rajasthan Engineers	78
4043.	पारादीप पत्तन से अयस्क का निर्यात	Export of Ore through Paradeep Port	79
4044.	पश्चिमी कमान, शिमला, में मुख्य इंजीनियर द्वारा रखी जाने जाने वाली अधीक्षकों को बी०/आ० ग्रेड II की पदोन्नति सूची	Promotion List of Superintendents B/R Grade II as Maintained by Chief Engineer, Western Command, Simla	80
4045.	भारत और उत्तरी कोरिया के बीच व्यापार	Indo-North Korean Trade	80—81
4046.	हरदुआगंज परियोजना के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग	Misuse of Central Assistance for Harduaganj Project	81
4047.	गंडक बांध परियोजना में नियुक्तियों के मामले में जातिवाद	Casteism in the Matter of Appointment in Gandak Barrage Project	82
4048.	कोचीन पत्तन पर विस्फोट के पदार्थों से भरे जहाजों के लिये घाट का निर्माण	Setting up an Explosive Berth at Cochin Port	82
4049.	तमिलनाडु में सूती कपड़ा मिलों को पुनः चालू किया जाना	Reopening of Textile Mills in Tamil Nadu	82—83
4050.	लोहे के कबाड़ का निर्यात	Export of Ferrous Scrap	83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4051. लुधियाना के श्री राज कुमार सोनी द्वारा की गई अनियमितताएं	Irregularities Committed by Shri R. K. Soni of Ludhiana	83—84
4052. चीन के प्रति सरकार का नरम रवैया	Government Soft Attitude towards China	84
4053. दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को कोयले की सप्लाई में कमी	Shortage of Supply of Coal to D. E. S. U.	84
4054. हिन्द चीन समस्या का शांतिपूर्वक निपटारा करने के सम्बन्ध में रूस के उप-विदेश मंत्री के साथ बातचीत	Talks with Soviet Deputy Foreign Minister Regarding Peaceful Settlement of Indo-China Problem	84—85
4055. नागालैंड के रंगमा क्षेत्र में नागा विद्रोहियों द्वारा छिप कर किये गये आक्रमण में मारे गये लोग	Persons killed in Ambush by Naga Hostiles in Rangama of Nagaland	85
4056. भारत में समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिये उत्तर कोरिया के दूतावास द्वारा विदेशी मुद्रा का बदला जाना	Conversion of Foreign Exchange by North Korean Embassy for Advertisement to Newspapers in India	85
4057. उत्तर कोरिया के विज्ञापन प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र	Newspapers carrying North Korean Advertisements	86
4058. उत्तर कोरिया के कौन्सल जरनल को चेतावनी	Warning to North Korean Consul	87
4059. उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि मंडल का भारत का दौरा	North Korean Delegations Visit to India	87—88
4061. मध्य प्रदेश के लिये मंजूर की गई सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes Sanctioned for Madhya Pradesh	88—89
4062. मध्य प्रदेश को सिंचाई योजनाओं के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता	Central Assistance given to Madhya Pradesh for Irrigation Schemes	89

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4064.	विशेष विकास योजना के अन्तर्गत देश में पिछड़े जिलों का विकास	Development of Backward Districts in the Country under a Special Development Scheme	89—90
4065.	1969-70 में राष्ट्रीय आय	National Income for 1969-70	90
4066.	मारिशस के पत्तनों में रूसी अड्डे	Russian Bases in Ports of Mauritius	90
4067.	संयुक्त राष्ट्र संघ की "आक्रमण" और "आक्रमणकर्त्ता" की परिभाषाएं	U. N. Definition for Aggression and Aggressor	90—91
4068.	बिहार में आणविक संयंत्र की स्थापना	Setting up of an Atomic Plant in Bihar	91
4069.	फिरोजपुर में सैनिक आरामगृह	Sainik Rest House at Ferozpur	91—92
4070.	केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम	Central Cottage Industries Emporium	92—93
4071.	चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा के साथ विवाद-ग्रस्त भारतीय क्षेत्र	Indian Area under Dispute with China, Pakistan, Nepal and Burma	93
4072.	विद्रोही नागालैंड दल का भारतीय प्रतिरक्षा दल के सामने आत्म समर्पण	Surrender of Rebel Nagaland Force to Indian Defence Forces	94
4073.	पूर्वी पत्तनों के माध्यम से खनिज धातुओं के निर्यात के बारे में करार	Agreements for Export of Mineral Ores through Eastern Ports	94—95
4074.	बिहार में देहातों में बिजली लगाने का कार्यक्रम	Rural Electrification Programme in Bihar	95
4075.	हिन्द चीन युद्ध में शामिल होने की चीन की धमकी	Chinese threat to Enter Indo-China War	96
4076.	मध्य पूर्व के देशों के लिये रूस का शान्ति प्रस्ताव	Soviet Peace Proposal for Middle East	96
4077.	उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना	Setting up of a Jute Mill in Orissa	96—97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4078. महाराष्ट्र में गांवों में बिजली लगाना	Electrification of Villages in Maharashtra	97
4079. हथकरघा उद्योग में सुधार	Uplift of Handloom Industry	97—98
4080. भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार	Improvement in Indo-Pak relation	98
4081. हथकरघा उत्पादों का निर्यात	Export of Handloom Products	98—100
4082. चाय अधिनियम, 1953 का संशोधन	Amendment of Tea Act, 1953	100
4083. महाराष्ट्र में दरबाह तहसील के लिये ग्रामीण विद्युति-करण योजना	Rural Electrification Scheme for Darwha Tehsil in Maharashtra	100
4084. गावों के बिजली लगाने तथा पम्पों के लिये बिजली देने का कार्यक्रम	Electrifications Programme for Village and Energised Pumps	100
4085. कृषि प्रयोजनों हेतु प्रयोग की जाने वाली बिजली पर राज सहायता	Subsidy on Electricity for Agricultural Consumption	101
4086. नेपाल सरकार द्वारा श्री बी० पी० कोयराला को पारपत्र जारी करने से इन्कार करना	Refusal to Issue Passport to Shri B. P. Koirala by Nepalese Government	102
4087. साम्प्रदायिक दंगों के बारे में "न्यूयार्क टाइम्स" में विज्ञापन	Advertisement about Communal Riots in "New York Times"	102
4088. केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ से गायब हुए प्रतिरक्षा सम्बन्धी दस्तावेजों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन	C. B. I. Report on Disapperance of Defence Documents from Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh	102—103
4089. जलढाका पन-बिजली परि-योजना, पश्चिम बंगाल	Jaldhaka Hydro-Electric Project, West Bengal	103
4090. जलढाका पन-बिजली परि-योजना पश्चिम बंगाल	Jaldhaka Hydro-Electric Project West Bengal	103—104

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4092. बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita Consumption for Power in Bihar	104
4093. छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 में संशोधन	Amendment of Cantonment Board Act, 1924	105
4094. नेपाल से भारतीय सेना सम्पर्क दल के कर्मचारियों को वापस बुलाना	Withdrawal of Personnel of the Indian Liaison Group from Nepal	105
4095. एशिया के लिये रूस की सामूहिक सुरक्षा योजना	Soviet Collective Security Scheme for Asia	105
4096. मध्य प्रदेश के मुरेना और भिन्ड जिलों को चम्बल नहर से कृषि प्रयोजन हेतु पानी की सप्लाई	Supply of Water for Agricultural Purposes from Chambal Canal to Morena and Bhind Districts of Madhya Pradesh	105—106
4097. उड़ीसा की निर्यात सम्भावनाओं के बारे में सर्वेक्षण	Survey Regarding Export Possibilities of Orissa	106—107
4098. बदरपुर ताप बिजली घर	Badarpur Thermal Power Project	107
4099. ब्रिटेन की रोल्स रायस कम्पनी के सहयोग से हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा "एडौर इंजनों" का निर्माण	Manufacture of Adour Engines by H. A. L. in Collaboration with Rolls Royee, U. K.	107
4100. बालासौर स्थित प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टाब्लिशमेंट का विकास तथा उसका विस्तार किया जाना	Development and Expansion of Proof and Experimental Establishment at Balasore	108
4101. सेन्ट्रल व्हीक्ल डिपो, दिल्ली छावनी, दिल्ली	Central Vehicle Depot, Delhi Cantonment	109
4102. भारत नेपाल सीमा पर चीन की जासूसी गतिविधियां	Chinese Espionage Activity on Indo-Nepal Border	109
4103. राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात	Exports of State Trading Corporation	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4104. दिल्ली छावनी के अन्तर्गत आने वाले गांवों में मूल नागरिक सुविधायें	Basic Civic Amenities in Villages Falling under Delhi Cantonment	1'0
4105. दिल्ली छावनी के माड लाइन में रहने वाले भारतीय वायु सेना के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees of Indian Airforce Living in Maud Lines, Delhi Cantonment	110
4106. गंगा के तल तथा इसकी नहर में रेत का जमा हो जाना	Silting up of the Ganga River Bed and its Canal	111
4107. चीन की सीमा के साथ लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाना	Boosting the Morale of People Living in Areas Bordering China	111
4108. गंडक परियोजना में प्राधिकारियों द्वारा नियुक्तियों ठेकों के मामले में अनियमिततायें	Irregularities in Appointments/Contractors at Gandak Project	111—112
4110. भारत अमरीकी उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविजन परियोजना	Indo-US Satellite Instructional Television Project	112
4111. सिंचाई के लिये पानी का वैज्ञानिक उपयोग	Scientific use of Water for Irrigation	112—114
4112. ऋण देने के लिये काफी बागान को लघु उद्योग समझना	Treatment of Coffee Plantations as Small Scale Industries for Purpose of Loans	114
4113. तारपुर बिजली परमाणु घर से उत्पादित विद्युत का उपयोगीकरण	Utilisation of Power Produced from Tarapur Atomic Plant	114—115
4114. सूती कपड़े के बारे में दीर्घावधि करार की अवधि बढ़ाना	Extension of the Long-Term Arrangement in regard to Cotton Textiles	115
4115. भारत के शक्तिचालित करघे	Powerlooms in India	116—117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4116. वन उत्पादों का निर्यात	Export of Forest Produce	117
4117. नकद फसलों के निर्यात के लक्ष्यों की पूर्ति	Fulfilment of Export Targets of Cash Crops	117
4119. निर्यात में वृद्धि की दर	Rate of Growth of Exports	118—119
4120. सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को पेंशन तथा उपदान के प्रयोजनार्थ सेवा अवधि का गिना जाना	Counting of Service Period of Armed Forces Personnel for Purposes of Pension and Gratuity	119—120
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	120—122
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	122—123
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	123
खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill as Passed by Rajya Sabha	123
सत्र की कालावधि बढ़ाने के बारे में घोषणा	Announcement Re. Extension of Session	124
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Member	124
(श्री रवि राय)	(Shri Rabi Ray)	124
सदस्य की दोष सिद्धि	Conviction of Member	124
(श्री झारखण्डे राय)	(Shri Jharkhande Rai)	124—125
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit	125
(छठा प्रतिवेदन)	(Sixth Report)	125
राष्ट्रीय सेवा विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	National Service Bill—*Introduced*	125
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक	Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill	125—126
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1970-71	Demands for Supplementary Grants (General), 1970-71	126—1 8

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supkar	132—133
श्री बसवन्त	Shri Baswant	133
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	133—136
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	136—137
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	137—139
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	139—140
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	140
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	140—141
श्री उमानाथ	Shri Umanath	141—142
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	142—143
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	143—144
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	144
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	144
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	144—148
विनियोग (संख्या 3) विधेयक—पुरःस्थापित	Appropriation (No. 3) Bill —*Introduced*	149
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	149—150
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	149
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	149—150
खंड 2 और 3	Clauses 2 and 3	150
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	150
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)	Demands for Supplementary Grants (Railways)	151—160
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	153—155
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	155
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	155
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	155—156
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	156—157
श्री किन्दर लाल	Shri Kinder Lal	157
श्री बि० प्र० मंडल	Shri B. P. Madal	157

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	160—168
केरल आदि से यूरोप को लड़कियों की कथित बिक्री	Reported Sale of Girls from Kerala etc. in Europe	160
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	160
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	160—168

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 26 अगस्त, 1970/4 भाद्र, 1892 (शक)
Wednesday, August 26, 1970/Bhadra 4, 1892 (Saka)

लोक-सभा 11 बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लुसाका गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन से पूर्व दक्षिण एशिया संधि संगठन (सीटो) और केन्द्रीय संधि संगठन (सैंटो) के सदस्यों को अलग रखना

*601. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुट निरपेक्ष देशों की 16 सदस्यीय स्थायी समिति ने 8 जून, 1970 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि लुसाका में होने वाला प्रस्तावित शिखर सम्मेलन 8 सितम्बर से 10 सितम्बर तक किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किस विशिष्ट विषयों पर चर्चा की सम्भावना है और क्या सीटो और सैंटो के सदस्य उक्त शिखर सम्मेलन से स्वत: ही पृथक रहेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सीटो और सैन्टो के सदस्यों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है क्योंकि महान देशों के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, जो देश सैनिक-संधियों के सदस्य हैं, उन्हें गुटमुक्त के विद्यमान मानदण्डों के अधीन अलग रखा गया है। जहां तक शिखर सम्मेलन की कार्यसूची का संबंध है, अप्रैल, 1970 में दार-ए-रसलाम में हुई गुटमुक्त राज्यों की प्रारम्भिक बैठक ने सिफारिश की है कि विश्व की वर्तमान स्थिति में, विशेष रूप से शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने, समानता के आधार पर राष्ट्रों की पूर्ण स्वायत्तता और स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने, विकाशशील देशों की तीव्र आर्थिक बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने और गुटमुक्त देशों के और अधिक परामर्श और सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए गुटमुक्तता की नीति के महत्व पर विचार किया जाए ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सीटो और सैन्टो के देशों को गुट-निर्पेक्ष शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री स्वयं इस सम्मेलन में भाग लेने जा रही है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन में भाग लेने के लिए लुसाका जा रहा है क्या वह दक्षिणी वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार को सम्मेलन में सम्मिलित करने की मांग करेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें भी यह सूचना मिली है कि दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार निर्पेक्ष सम्मेलन में भाग लेना चाहती है परन्तु इस बात का निर्णय वैदेशिक-कार्य मंत्रियों की बैठक में या शिखर बैठक में होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार का इसके प्रति क्या रवैया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि मुझे सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस बारे में पहले से निश्चय करके नहीं जाना चाहिए। जैसी भी परिस्थितियां होगी, हम उन्हीं के अनुरूप, सभी पहलुओं पर विचार करके, कोई निर्णय कर लेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा करने का यह बहुत सुनहरी मौका है।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि मन्त्री महोदय इस तथ्य से अवगत है कि ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को शस्त्र सप्लाई करने के प्रश्न पर सभा के सभी दलों को बहुत आक्रोश हुआ है। दूसरे, गुटनिर्पेक्ष तथा शान्तिप्रिय देशों ने भी इसका विरोध किया हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार का इस बारे में सम्मेलन में क्या रुख होगा और वह ब्रिटेन की इस कार्यवाही की निन्दा कर, कोई ऐसा कदम उठायेगी जिससे कि इस दिशा में कुछ किया जा सके ?

श्री स्वर्ण सिंह : ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को शस्त्र देने के प्रश्न पर भारत की प्रतिक्रिया इस सदन में स्पष्ट की जा चुकी है। हमने इसके लिए ब्रिटेन की पहले भी कड़ी निन्दा की है और यदि ब्रिटेन पर दबाव डालने के लिए अब कोई कार्यवाही आरम्भ की गई तो हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। हमें आशा है कि यह विषय चर्चा के लिए उठाया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका 50 प्रतिशत धन्यवाद करता हूं।

श्री बलराज मधोक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वारसा संधि के देशों को भी सम्मेलन से बाहर रखा जायेगा ; दूसरे जो देश "सीटो" और 'सेन्टो" में तो नहीं है परन्तु जिनका अमरीका या रूस का साथ सक्रिय गठजोड़ है, जैसे कि संयुक्त अरब गणराज्य, जिसके यहां रूस से 50,000 तकनीकी और सैनिक दस्ते हैं, क्या उनको भी सम्मेलन में नहीं बुलाया जायेगा ; तीसरे ; क्या जो बागी सरकारें हैं और जिनकी स्थापना वैध नहीं है उन्हें भी सम्मेलन में नहीं बुलाया जायेगा ?

क्या इन तीनों को सम्मेलन में नहीं बुलाया जायेगा और भारत सरकार इस बारे में एक नियमबद्ध दृढ़ रुख अपनायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, सम्मेलन में वारसा संधि का कोई भी देश भाग नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने अपने उत्तर के (ख) भाग में ही यह बताया है कि "नाटो", "वारसा" "सीटो" "सैंटो" आदि देशों का कोई भी सदस्य लुकासा के निरपेक्ष शिखर में नहीं बुलाया जायेगा।

दूसरे प्रश्न के बारे में मुझे यही कहना है कि वे देश जो शक्ति-संगठनों के संदर्भ में बनाए गये गुटों के सदस्य नहीं हैं वे सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। संयुक्त अरब गणराज्य निश्चय ही सम्मेलन में भाग लेगा और वह भाग लेने का अधिकारी भी है।

जहां तक तीसरे प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई बागी सरकार भी सम्मेलन में भाग लेना चाहती है। मैं इससे पूर्व भी एक प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री बलराज मधोक : वैध सरकार

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार के बारे में पहले ही उत्तर दे दिया है, यदि माननीय सदस्य के मन में कोई और सरकार हैं तो...

श्री बलराज मधोक : राजकुमार सिंहानुक की सरकार।

श्री स्वर्ण सिंह : राजकुमार सिंहानुक की सरकार को सम्मिलित करने के बारे में भी मेरा वही उत्तर है जो अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को सम्मिलित करने के बारे में मैंने दिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : अगर यूगोस्लाविया जैसा देश, जिसके साथ भारत को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में नेतृत्वता की स्थिति प्राप्त है, खुले रूप से यह घोषणा कर सकता है कि वह लुसाका सम्मेलन में अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार और कम्बोडिया की सिंहानुक सरकार के प्रतिनिधित्व का समर्थन करेगा तो फिर इस सम्बन्ध में भारत को अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में क्या आपत्ति है ? जब यूगोस्लाविया ने इसका समर्थन कर दिया है तो सरकार संसद को इसके बारे में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताती ?

श्री स्वर्ण सिंह : यूगोस्लाविया सरकार तो दक्षिणी वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार को पहले ही मान्यता प्रदान कर चुकी है। सैगोन सरकार के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक राजकुमार सिंहानुक की सरकार का प्रश्न है, यूगोस्लाविया उसे पहले ही मान्यता प्रदान कर चुका है और नामपेन्ह में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सभा को यह महसूस करना चाहिए कि हमारे सम्बन्ध सैगोन सरकार से भी है और नाम पेन्ह से भी, इसीलिए हमें इन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखना पड़ता है।

श्री हेम बरुआ : यह सुनने में आया है कि जब मदाम बिन ने भारत की यात्रा की तो उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि गुट-निरपेक्ष सरकार के रूप में उन्हें लुसाका गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने दिया जाये। यह भी कहा गया है कि हमारी सरकार ने भी उन्हें अपना इरादा बता दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मदाम बिन ने यह सुझाव रखा था तो भारत सरकार ने उन्हें क्या संकेत दिया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि मेरे समक्ष इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आयी जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि भारत सरकार का क्या इरादा है। जो मत मैंने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है यदि यह इसे कोई निश्चित दृष्टिकोण समझते हैं तो समझें।

श्री उमानाथ : हाल ही में सत्ताधारी दल की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अमरीका को सबसे पहले अपने सैनिक दस्ते दक्षिणी वित्तनाम से हटाने चाहिए और अन्य देशों को इसका अनुसरण करना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि...

श्री नारायण राव : मूल प्रश्न में से भला यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री उमानाथ : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या लुसाका सम्मेलन में अमरीकी सैनिक दस्तों को हटाने के प्रश्न को उठाया जायेगा ताकि एशिया के देशों की प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता और एकता की सुरक्षा की जा सके ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरा विचार है कि हिन्द चीन की समस्या को जो कि दुर्भाग्यवश गत कई वर्षों से विद्यमान है, सम्मेलन में अवश्य उठाया जायेगा। जहाँ तक हमारी प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है इसे हमने अनेक बार इस माननीय सभा में स्पष्ठ किया है कि हम सदा इस बात का हर सम्भव प्रयत्न करेंगे कि कोई ऐसी विधि निकले जिससे कि दोनों भाग्यहीन देशों के बीच पुनः शान्ति स्थापित की जा चुके और उनके भविष्य का निर्णय बिना किसी बाहरी शक्ति के हस्ताक्षेप हो सके।

Shri Molahu Prashad : While drawing the attention towards part (b) of the question, I would like to know the subjects that are to be considered of the conference as also details thereof ?

श्री स्वर्ण सिंह : सम्मेलन के स्वरूप के अनुसार कार्यवाही के विषयों का निर्णय वैदेशिक मंत्रियों की बैठक में किया जायेगा और जो साधारण विषय सम्मेलन में उठाये जायेंगे, मैंने उनकी रूपरेखा बता ही दी है। केवल सम्मेलन के स्वरूप के आधार पर मैं सम्मेलन की कार्यवाही का ब्यौरा किस प्रकार दे सकता हूं, इसका निर्णय तो वैदेशिक मंत्रियों की बैठक में होगा जो शिखर सम्मेलन से पहले होगी।

Shri Molahu Prashad : If all details cannot be given, at least some can be given.

Mr. Speaker : That is to be decided at the Foreign Minister's meeting.

श्री वी० कृष्णा मूर्ति : मैं माननीय वैदेशिक-कार्य मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि प्रस्तावित गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में अन्य देशों की स्वतन्त्रता तथा अन्य हितों की वकालत करने से पूर्व, क्या आप गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में अपने ही देश के हितों की रक्षा पर ध्यान देंगे और क्या प्रधान मंत्री इस अवसर का लाभ उठाकर रूस तथा अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता की निंदा करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान् जी, अपने देश की हितों की सुरक्षा तो हम गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में निश्चय ही करेंगे और यदि गुट-निरपेक्ष देश अधिक शक्तिशाली हो और इन देशों की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता सुनिश्चित हो जाये तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम इस समस्या के प्रति उदासीन नहीं है हमें भी इसकी उतनी ही चिंता है।

जहां तक अमरीका और रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने का प्रश्न है, लुसाका सम्मेलन में इन दोनों देशों में से कोई भी उपस्थित नहीं होगा और जब कोई देश अनुपस्थित होता हैं तो प्रायः हम उससे सम्बद्ध मामलों को नहीं उठाया करते।

श्री वी० कृष्णा मूर्ति : गुट-निरपेक्ष देशों को यह मालूम तो होना चाहिए।

श्री स्वर्ण सिंह : जो तथ्य माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उससे यह स्पष्ट है कि दुनिया इसे जान ही जायेगी।

श्री चेंगलराया नायडू : बागी सरकारों के भाग लेने के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा कि इस पर अभी उन्होंने कोई विचार नहीं किया है और वह वहां बिना कोई पूर्व निश्चय किए जाना चाहते हैं। परन्तु जब उन्हें वहां जाना ही है तो उन्हें यहीं यह निश्चय करके जाना चाहिए कि क्या उन्हें वहां उनके सम्मेलन में भाग लेने का विरोध करना है। इसका निर्णय तो यहीं करके जाना चाहिये। आप बिना कोई निश्चय किये भला क्यों जा रहे हैं? क्या इस सम्बन्ध में आप अपने आकाओं से आदेश लेकर यह निर्णय करना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? क्या आप रूस से आदेश लेना चाहते हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य के मन में तो रूस का हौआ बैठा है। उन्हें यह मालूम नहीं है कि रूस लुसाका सम्मेलन में भाग नही ले रहा। कई बार देखने में आया है कि पुरानी कांग्रेस को दिन-रात रूस के ही स्वपन आते रहते हैं।

कलकत्ता स्थित चाय केन्द्र का विकेन्द्रीकरण किये जाने का विरोध

+

*602. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री मयावन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता के 100 वर्ष पुराने चाय केन्द्र का विकेन्द्रीयकरण करने के बारे में सरकार के जल्दबाजी से किये गये निर्णय के विरुद्ध जिससे लाखों कर्मचारियों की नौकरी ओर चाय बोर्ड को खतरा पैदा हो गया है पश्चिम बंगाल से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गोहाटी में चाय नीलाम केन्द्र खोलने से सम्बन्धित प्रस्थापना के विरोध में पश्चिमी बंगाल चाय व्यापार, कलकत्ता चाय दलाल कर्मचारी समन्वय समिति और कुछ अन्य व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। किसी राज्य में नीलामी केन्द्र खोलने का प्रश्न मुख्यतः राज्य सरकार के विचार का विषय है और खयाल है कि वे इस पर विचार करते समय वे सभी संगत उपादानों को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि वर्तमान परिस्थितियों में अधिकतम निर्यात प्रयत्न किए जाए और इस प्रयत्न में भाग लेने के लिए उद्योग को पूरी सुविधाएं प्रदान की जाए। इन अभ्यावेदनों पर इसी दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो सम्बद्ध राज्य सरकारों का ध्यान इन मुख्य राष्ट्रीय विचारणीय विषयों की ओर आकृष्ट किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार इस बात से सहमत है कि चाय के नीलामी के केन्द्र का स्थानान्तरण एक अन्य स्थान को हो जाने के पश्चात्, खरीदारों के एक ही स्थान पर न होने की वजह से, चाय की कीमतों पर एक लम्बे दौर में प्रभाव पड़ेगा ? 'ब्रक बाण्ड' कम्पनी विश्व के समग्र चाय उपभोग के 42 प्रतिशत का नियन्त्रण करती है और वह चाय की नीलामी के स्थान को परिवर्तित करना चाहती है, क्योंकि कलकत्ता में नीलाम होने वाली चाय कुछ अधिक मंहगी होती है। अगर सरकार इस बात से सहमत है कि खरीदारों के एक स्थान पर न होने के कारण ऐसा होता है, अन्तत्वोगत्वा कीमतें कम हो जायेंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि नीलाम में चाय की कीमतों की दृष्टि से उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न गौहाटी में चाय नीलामी केन्द्र के बारे में है। असम सरकार ने इस बारे में विचार किया है और वह गोहाटी में एक केन्द्र खोलना चाहती है। आज सुबह ही, इस बारे में असम के बित्त मन्त्री से मेरी बातचीत हुई थी और मैं उनका दृष्टिकोण जानना चाहता था। उनका विचार यह है कि अगर गौहाटी में केन्द्र स्थापित हो जाता है, तो आसाम के चाय उत्पादकों को अच्छी कीमत प्राप्त होगी और राज्य सरकार को भी अधिक राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि उन्हें बंगाल में प्रवेश-शुल्क नही देना होगा और बिक्री-कर के रूप में भी उन्हें अधिक धन प्राप्त होगा। जहां तक चाय की कीमत का प्रश्न है, यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास होगा कि चाय की कीमतें न्यूनतम स्तर से नीचे न गिरें और निर्यात पर भी बुरा असर न पड़े।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह खरीदारों के एक स्थान पर न होने के अभाव के कारण है।

मैं पूरे तरह असम की जनता की महत्वाकांक्षाओं के साथ हूं। परन्तु मेरे विचार में अन्तत्वोगत्वा उन्हें लाभ होने वाला नहीं है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जो बात वह बता रहे हैं, वह सही नहीं है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एक शताब्दी पुराने वर्तमान कलकत्ता चाय बिक्री केन्द्र मे नियुक्त व्यक्तियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने

का विचार है, क्योंकि हमें इस बात की आशंका है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल की उपेक्षा कर रही है और काफी नुकसान सहन करते हुए भी काण्डला से सीधे ही जहाजों के लदान को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि काण्डला से रेलवे-वैगनों में वापिसी के लिए माल नहीं होता और वे सब खाली वापस आते हैं और सरकार को काफी हानि हो रही है ? सौ वर्ष से चले आ रहे कलकत्ता के चाय-व्यापार में लगे हुए कर्मचारियों के हितों की हमें रक्षा करनी है । हम असम की जनता और उनकी महत्वाकांक्षाओं का पूर्ण समर्थन करते हैं और उनकी सफलता की कामना करते हैं । परन्तु मन्त्री महोदय बतायें कि कलकत्ता के चाय व्यापार में नियुक्त कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ल० ना० मिश्र : कलकत्ता स्थित चाय नीलामी केन्द्र में नियुक्त कर्मचारियों के रोजगार का उत्तरदायित्व न तो हमारा है और न वह चाय बोर्ड का ही है । यह तो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और वहाँ के चाय व्यापारियों की जिम्मेदारी है ।

जहां तक असम का प्रश्न है, उसका यह कहना है कि वह उत्तरी भारत की कुल चाय के उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन करता है और अपने चाय उत्पादकों को अच्छी कीमत सुलभ करने के लिए वह अपना केन्द्र स्थापित करना चाहता है । संविधान के अनुसार यह विषय राज्य विषयों के अन्तर्गत आता है । हमें उनके मांग में बाधा उपस्थित करने का कोई अधिकार नहीं है । जैसा कि श्री ज्योतिर्मय बसु का कहना है—रोजगार का प्रश्न भी हो सकता है । आज सुबह असम के वित्त मन्त्री का इस प्रश्न की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था और उन्होंने यह कहा कि इस समय वे अपना ध्यान चाय की केवल उस मात्रा पर केन्द्रित कर रहे हैं, जिसकी स्थानीय तौर पर बिक्री होती है और अन्य एजेन्सियों द्वारा कलकत्ता में जो चाय लाई जाती है उसको हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस समय उनका यह तर्क है ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : भारत में उत्पादित कुल चाय 57 प्रतिशत का उत्पादन असम में होता है और कलकत्ता की चाय नीलामी में बिकने वाली 75 प्रतिशत चाय असम की होती है । यह स्थिति देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन के समाप्त करने की सरकारी नीति के अनुरूप नहीं है । अगर सरकार की यह नीति है तो मेरी समझ में नहीं आता कि पश्चिम बंगाल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इसका विरोध नहीं कर रहे । हम उनका और उनकी महत्वाकांक्षाओं का पूर्ण समर्थन करते हैं । हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं । पिछले बीस वर्षों में उनकी उपेक्षा की गई है और हम निस्संदेह उनकी सम्पन्नता की कामना करते हैं ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : पश्चिम बंगाल की चाय पर भी प्रवेश शुल्क लगता है । मुझे पता चला है कि चुंगी भी लगने वाली है । प्रवेश शुल्क के आर्थिक परिणामों को पहले से ही महसूस किया जाने लगा है और कलकत्ता के बाजार की बिक्री कारखाने बाह्य निर्यात में परिवर्तित हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अब अपने प्रश्न पर आना चाहिए ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मैं तो सिर्फ कुछ तथ्य दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : तथ्य देने की बजाय आप प्रश्न पूछें ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मैं तथ्य देने के बाद प्रश्न पूछूंगा । मुझे सिर्फ एक मिनट देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की भूमिका नहीं होनी चाहिये ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : 1968 में 6690 लाख पौण्ड में से 1360 लाख पौण्ड और 1967 में 6690 लाख पौण्ड में से 1640 लाख पौण्ड चाय की अनुमति...

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : इसको ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार असम की जनता विशेषकर चाय उद्योग का निहित स्वार्थों वाले व्यक्तियों द्वारा शोषण किए जाने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : असम सरकार अपने चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए काफी जागरूक है । सदस्य महोदय द्वारा दिये गये आंकड़े सही नहीं है—मैं उन्हें सही करना चाहूंगा । कलकत्ता के बाजार में बेची गई कुल 1640 लाख किलोग्राम चाय में से 1140 लाख किलोग्राम चाय असम से आई ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मन्त्री को भी सही कर सकता हूं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल सरकार का संचालन केन्द्र द्वारा किया जा रहा है और हमारा देश राज्यों का संघ है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि कुछ मामलों में असम का पक्ष प्रत्यक्षतः तर्कसंगत होने की सम्भावना है, इसके क्या कारण हैं कि काण्डला को यातायात के लिए रेलवे वैगन की व्यवस्था किये जाने जैसी अनेक प्रक्रियाएं भारत सरकार द्वारा अपनाई गई और इस बीच अन्य अनेक बातें भी हो चुकी हैं ? इसके क्या कारण हैं कि इस अवधि में पश्चिम बंगाल के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इस समय वहां का शासन भारत सरकार के हक में है । बेरोजगारी तत्व के बारे में मन्त्री महोदय हमें कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं । वास्तव में असम के मामले पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल के मामले पर समुचित विचार न करने और बेरोजगारी के विरुद्ध व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने बेरोजगारी के प्रश्न का उल्लेख किया था । अगर असम सरकार ने काण्डला तक चाय भेजने के लिए वैगनों का नियतन करने के लिए हमसे अनुरोध किया तो भारत सरकार अनुरोध को कैसे ठुकरा सकती थी ? असम भी भारत संघ का एक राज्य है और पिछड़ा हुआ राज्य है । वह अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं और काण्डला तक अपनी चाय ले जाना चाहता है । काण्डला में मीटर गेज है और इस दृष्टि से भी यह सुविधाजनक

है कि गौहाटी से काण्डला तक वह मीटरगेज का प्रयोग कर सकता है। मेरे विचार में उसके अनुरोध को ठुकराना हमारे लिए ठीक नहीं होगा।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि असम के खिलाफ एक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है ? यह भी कहा जा रहा है कि अगर कलकत्ता से गौहाटी को नीलामी केन्द्र का स्थानान्तरण कर दिया जाता है, तो लाखों कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम कोई द्वेषपूर्ण प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ कुछ तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बंगाल और असम तक ही पूरक प्रश्नों को सीमित रख सकता हूँ। परन्तु उन्हें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अन्यथा, मैं अन्य राज्यों पर भी विचार की अनुमति दे दूंगा।

श्री हेम बरुआ : यह सच नहीं है कि लाखों आदमी प्रभावित होंगे ; अगर कलकत्ता चाय नीलामी केन्द्र को गौहाटी स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो सिर्फ 7,500 कर्मचारी ही प्रभावित होंगे। क्या इन व्यक्तियों को रोजगार देना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है ? असम के विरुद्ध काफी घृणाजनक प्रचार किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत नाजुक मामला है। हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम तो यह चाहते हैं कि ब्रुक बाण्ड जैसे एकाधिकार वाली कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले शोषण की समाप्ति हो।

श्री हेम बरुआ : जब असम के वित्त मन्त्री ने बंगाल के तत्कालीन मुख्य मन्त्री डा० बी० सी० राय से भेंट की, तो उन्होंने (डा० राय) ने उनकी बात मानने से इंकार कर दिया। बाद में उन्होंने वामपंथी उप मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु से असम की चाय पर बंगाल में प्रवेश शुल्क हटाने के बारे में भेंट की। मगर उन्होंने भी इसे मानने से इंकार कर दिया। श्री ज्योतिर्मय बसु इसका खण्डन करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : असम के विरुद्ध हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। हम उनकी पूर्ण सफलता चाहते है। असम की जनता की 22 वर्षों से केन्द्र द्वारा उपेक्षा की जाती रही है। केन्द्र उनकी विदेशी मुद्रा को लूटता रहा है और वह इसके बारे में बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न नहीं था।

श्री वेद्रव्रत बरुआ : हम सब इस बात से सहमत हैं कि बंगाल की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, परन्तु यह बंगाल और असम का प्रश्न नहीं है। आखिरकार, क्या असम ने, केवल चाय ही नहीं, बल्कि अनेक बातों में भी, पिछले सौ वर्षों से बंगाल की एक तिहाई अर्थ व्यवस्था में योगदान नहीं किया ? यह गौहाटी में नीलामी किये जाने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि क्या लन्दन में अभी भी नीलामी जारी नहीं है ? इसलिए, मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि सरकार किस प्रकार की सहायता देगी जिससे कि विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से, जो अभी हमारे सामने आ रही है, बचते हुए हम इस क्षेत्र का भी स्वतन्त्र रूप से विकास कर सकें।

श्री ल० ना० मिश्र : हम असम के उत्पादकों को उर्वरकों आदि के मामले में सामान्य सहायता दे रहे हैं।

श्री समर गुह : यह असम और बंगाल के बीच विवाद का प्रश्न नहीं है और न ही यह असम और बंगाल की जनता के हितों का प्रश्न है। इसमें 200 खरीदारों की समस्या निहित है, जिनमें सभी उत्तर बंगाल के निवासी हैं और जो कलकत्ता बन्दरगाह से अपने व्यापार का संचालन करते हैं, इसमें एक लाख व्यक्तियों की समस्या भी निहित है जो खरीदार नहीं है, बल्कि उनमें कुल, मजदूर आदि शामिल हैं, जो उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम से भी आये हैं और जो कलकत्ता में संचालित इस चाय नीलामी केन्द्र से सम्बन्धित है। एक अन्य प्रश्न भी है। चाय विदेशी मुद्रा अर्जन का सबसे बड़ा साधन होने के कारण, हमें इस पर असमी अथवा बंगालियों के ही हितों को दृष्टि में रखते हुए नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों की जनता के हितों और एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। असम का निश्चित रूप से अधिकार है, क्योंकि वहां कुल चाय के 60 प्रतिशत का उत्पादन होता है। परन्तु मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि चाय व्यापारी संघ की सलाहकार समिति और चाय उत्पादक संघ की सलाहकार समिति ने, जिसमें असम के चाय उत्पादकों और चाय व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व है, गौहाटी में चाय नीलामी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को उत्पादकों और व्यापारियों के हितों को दृष्टि में रखते हुए अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इससे असम के चाय बागानों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर असम की चाय को कांडला से भेजा जाता है, तो क्या इसके लिए सरकार को अनुदान नहीं देना पड़ेगा और क्या सरकार उससे सहमत है ?

श्री ल० ना० मिश्र : अनुदान का प्रश्न रेल-विभाग से सम्बन्ध रखता हैं और रेल-विभाग मुख्यतः दो कारणों से अनुदान देने को राजी हो गया है, एक तो असम की मदद करने के लिए और दूसरे कांडला बन्दरगाह का विकास करने के लिए।

श्री समर गुह : उन्होंने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री ल० ना० मिश्र : हमें असम और बंगाल दोनों ही राज्यों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और हमने अभ्यावेदनों के सभी पहलुओं पर विचार किया है और हमने यह कहा है कि नीलामी केन्द्र स्थापित करने की सारी जिम्मेदारी स्थानीय सरकार की है। न तो चाय बोर्ड ही इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है और न केन्द्रीय सरकार ही। यह निश्चय करना असम सरकार का काम है कि उसे वहां खोला जाय अथवा न खोला जाय।

रूसी सम्पादक की कश्मीर यात्रा

*604. **श्री मीठालाल मीना** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 7 जून 1970 के 'आरबिट' साप्ताहिक के पृष्ठ 3 पर 'सोबियत लैंड' के सम्पादक की श्रीनगर तथा कश्मीर के अन्य भागों की यात्रा के बारे में छपे सचाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सम्पादक ने वहां अपने रुकने के दौरान घाटी में रूसी तथा साम्यवादी साहित्य को परिचालित करने संबंधी योजनाओं के बारे में साम्यवादी दल के सदस्यों के साथ बातचीत की थी ; और

(ग) क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सामान्य नियमों के अनुसार है और यदि नहीं, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 'आर्बिट' साप्ताहिक में इस यात्रा के बारे में जो खबर छपी है उसके ब्यौरे का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) अपने प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जम्मू और काश्मीर अथवा भारत के अन्य भागों में जाने वाले पत्रकारों और अन्य लोगों पर चाहे वे विदेशी हों या भारतीय, कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

Shri Meetha Lal Meena : I would like to point out that the journalists connected with foreign embassies, who go to Nagaland or Kashmir indulge in espionage and anti-Indian activities. They distribute anti-Indian literature direcily. In view of this may I know whether Government have kept a watch on the activities of the delegation from Russia and if so, the report thereof and if not, the reasons therefor ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना उचित नहीं कि किसी समाचारपत्र से सम्बन्धित कोई पत्रकार या व्यक्ति नागालैंड या काश्मीर में जासूसी करने के लिए गया था । यह बात मैंने पहली बार सुनी है । मेरा विचार तो यही है कि भारतीय तथा विदेशी पत्रकार अपना-अपना काम करते हैं, जासूसी नहीं करते ।

Shri Meetha Lal Meena : May I know the number of officials of Russian Embassy who visited Kashmir during the last one year as also the details of their activities ?

Secondly I want to know whether all the journalists are given same facilities which are given to the journalists of the Soviet land.

It was stated earlier that these people go there to teach the people the method of cutting the wood. In case Government of India is getting their help in this work are they also allowed to make survey on the border which they do ?

श्री स्वर्ण सिंह : जम्मू तथा काश्मीर में जाने वाले भारतीय अथवा विदेशी पत्रकारों का हम कोई रिकार्ड नहीं रखते । प्रत्येक व्यक्ति वहाँ जा सकता है । वहां जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य क्यों घबरा रहे हैं । जम्मू तथा काश्मीर सरकार जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है और वहां पर छिपाने की कोई बात नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Anybody can go ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य भी जा सकते हैं और अन्य कोई व्यक्ति भी जा सकता है । जम्मू तथा काश्मीर में जाने के लिए हमारी ओर से सबकी अनुमति है । मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा जम्मू तथा काश्मीर की जनता को लकड़ी काटने का तरीका सिखाने की आवश्यकता है ।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether any foreign journalists or any other person is entitled to go to any State and discuss the matters with any political party, if so whether any effort has been made to know the nature of discussion this journalist had with the Communist Party there and if so, the details thereof ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य को निःसंदेह इस बात का पता है कि जनसंघ, स्वतन्त्र दल अथवा भारतीय साम्यवादी दल के साथ किसी पत्रकार द्वारा बातचीत किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मेरे विचार में एक रूसी पत्रकार के भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों के साथ बातचीत करने में कोई विशेष बात नहीं है। वे जनसंघ के साथ भी, यदि माननीय सदस्य चाहे, तो बातचीत कर सकते हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether hon'ble Minister has any information that no other matter was discussed except distribution of literature ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं वहां पर उपस्थित नहीं था और हम पत्रकारों की दलों के नेताओं के साथ बातचीत की जासूसी नहीं करते हैं। अभी हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं।

दामोदर घाटी निगम की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता में कमी

*605. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि पिछले कई महीनों से दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई होकर औसतन 45/0500 मैगावाट प्रतिदिन रह गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो संयत्र की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता में कमी होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) स्थिति की सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

गत कुछ महीनों में दामोदर घाटी निगम की बिजली की औसतन सप्लाई लगभग 550 मैगावाट रही है। विद्युत प्रजनन में कमी का मुख्य कारण अधिक राख वाले कोयले और अपघर्षक (एब्रेसिव) सामग्री के उपयोग के कारण तापीय संयंत्रों के उत्पादन में कमी है। दामोदर घाटी निगम कोयला साफ करने वाले कम राख वाले उप-उत्पाद और अपघर्षक सामग्री सप्लाई करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के साथ पहले ही बातचीत कर रहा है।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस विवरण से पता चलता है कि खराब ईंधन के कारण अधिक गड़बड़ हुई है क्योंकि हम मध्यम और घटिया दर्जे का कोयला प्रयोग करते रहे हैं जिसमें राख अधिक होती है और इसका दूसरा कारण देशी संसाधनों से फालतू पुर्जों का उपलब्ध न होना और श्रमिकों में असन्तोष है। मैं पूछना चाहती हूं कि श्रमिक स्थिति कहां तक सामान्य हो गई है।

दूसरे देशी संसाधनों से फालतू पुर्जे बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि मुझे पता चला है कि दामोदर घाटी निगम के पास फालतू पुर्जे नही हैं और उन्हें आयात करना पड़ेगा। कोयला साफ करने वाले कारखानों से अच्छी किस्म का ईंधन प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : दमोदर घाटी निगम में जितनी मशीनें लगी हुई हैं वे विदेशी हैं और फालतू पुर्जों का भी आयात ही करना पड़ेगा और वे यहां पर नहीं बनाये जाते हैं। जब इस देश में बनी मशीनें लगाई जायेंगी तभी फालतू पुर्जे भी इस देश में बनाये जा सकते हैं और इसलिए जो मशीनें लगी हुई हैं उनके लिए फालतू पुर्जों का हमें आयात करना पड़ेगा।

यह सच है कि दामोदर घाटी निगम में गड़बड़ का मुख्य कारण अधिक राख वाला कोयले का प्रयोग है। दमोदर घाटी निगम ने सम्बन्धित संगठन को सूचित कर दिया है कि वह 1 सितम्बर से 35 प्रतिशत से अधिक राख वाला कोयला स्वीकार नहीं करेंगे।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या दमोदर घाटी निगम को गतवर्ष 30 लाख रुपये का घाटा हुआ है और उसमें से कितना श्रमिक असन्तोष के कारण हुआ है और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

दूसरे मैं पूछना चाहती हूं कि उपर्युक्त संयंत्र में पूरा उत्पादन न होने का कितने उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि अधिष्ठापित क्षमता 1,060 मैगावाट है परन्तु केवल 400 से 500 मैगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है।

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि अधिष्ठापित क्षमता 1,060 मैगावाट हैं। गत वर्ष, यह सच है कि औसतन उत्पादन केवल 500 मैगावाट था। परन्तु उसके पश्चात् सभी प्रकार की मरम्मत कर दी गई है और अब हम लगभग पूरी बिजली अर्थात् प्रतिदिन 610 मैगावाट बिजली सप्लाई कर रहे हैं।

जहां तक घाटे का मामला है, दमोदर घाटी निगम के कई अनुभाग हैं जैसे सिंचाई अनुभाग, बाढ़ अनुभाग और विद्युत अनुभाग। विद्युत अनुभाग में काफी प्रगति हो रही है और उन्हें लाभ हो रहा है। केवल सिंचाई और बाढ़ के सम्बन्ध में घाटा हो रहा है और इन घाटों का समायोजन विभिन्न राज्यों के साथ किया जाना है।

श्री बि० प्र० मण्डल : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बिजली के उत्पादन में कमी का पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों को सप्लाई की जाने वाली बिजली पर क्या प्रभाव पड़ा है।

डा० कु० ल० राव : बिजली की स्थिति आज सुधर गई है और हम बिहार एवं पश्चिम बंगाल की पूर्ण भार आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिजली की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करने की हमारी इच्छा हैं।

Shri Ramavatar Shastri : Sir, is it a fact that due to a defect in O.V.C. there is frequent power failures in Jamshedpur, Ranchi, Dhanbad, etc. places of Southern Bihar with the result that Industries are put to a loss and common people put to trouble and if so, what steps you have so far been taken to rectify the position or are proposed to be taken in future ?

डा० कु० ल० राव : लम्बे समय के लिए होने वाले किसी व्यवधान के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है । यदि कोई विशेष मामले हैं तो उनकी मैं जांच करूंगा ।

चीन द्वारा नाथूला में थोड़ी दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों तथा एक भूमिगत रक्षा व्यूह की स्थापना

\+

*606. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम की सरकार ने भारतीय अधिकारियों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि चीन ने नाथूला में थोड़ी दूरी तक भार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र लगाये हैं जिनका प्रयोग समूचे राज्य को खतरे में डाल सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीन ने भूमिगत रक्षा व्यूह का निर्माण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या जवाबी कार्यवाहियां की हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्र सिंह महीडा) : (क) और (ख). सिक्किम के साथ लगती चीनी ओर की सीमा पर भूगर्भ वंकरों और भण्डार भवनों के निर्माण का सरकार को ज्ञान है । इसलिए सिक्किम सरकार के लिए आवश्यक नहीं कि वह हमारा ध्यान आकर्षित करे ।

(ग) अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक पग उठाये गये हैं ।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : Defence of Sikkim is also our responsibility. Because Sikkim is our part, I, therefore, want to know from the Government, whether it has also constructed similar underground defence complex and installed missiles and spread a network of arms and if not, it is proposed to be defended only through principles and non-violence.

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : We do not want to meet this situation through non-violence alone. I do not think it proper to elaborate the steps taken by us towards defence.

Mr. Speaker : Thakur Sahib should himself go over there and taken over the responsibility.

Shri Yashpal Singh : Mr. Speaker. Sir, I am prepared and if Defence Minister permits I can take up responsibility after leaving all other assignments. Being a Kashatriya it is my first and foremost duty to defend the country. We cannot fulfill it only through Defence measures. We should take initiative and we should attack the enemy. It is not

going to help if we merely think that the other ride should use missiles and we would defend and reply that side, we should have initiative. So long as we are not the first to attack we can not succeed. Will the hon. Defence Minister explain the position before the House.

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram): It has been discussed in the House many a time.

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उत्तर में यह कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं कि इस सम्बन्ध में सिक्किम सरकार भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करे। मैं यह नहीं जानता कि उत्तर में क्या इस रूप में यह वाक्य अपेक्षित था, क्योंकि यह एक बहुत ही भावनात्मक बात है। यदि सिक्किम वस्तुतः हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करता है तो इससे कोई हानि नहीं है, क्योंकि हम सब इकट्ठे कार्य कर रहे हैं। प्रश्न यह था कि वहां पर थोड़ी दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों की स्थापना तथा भूमिगत रक्षा व्यूह के बनाये जाने की क्या कोई जानकारी है ? इप प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने लिखित विवरण देखा है ?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : उसमें यह नहीं है। उन्होंने केवल इतना कहा कि वहां भूगर्भ बंकर तथा भंडार भवन हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार के ध्यान में क्या यह लाया गया है कि चीन ने भूमिगत प्रक्षेपणास्त्र वास्तव में स्थापित कर लिए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अच्छा हुआ होता यदि आपने सभा पटल पर रखा विवरण देखा होता।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : जब भी मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ तो इस ओर बहुत सावधानी बरतता हूं। उसमें यह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रथम सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि यह सभा पटल पर रखा है। प्रथम सदस्य ने जब यह स्वीकार कर लिया तो मैंने समझा कि यह उसमें है।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्र सिंह महीडा) : सभा पटल पर कोई विवरण नहीं रखा गया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इनके प्रश्न का उत्तर देंगे ? क्या आप पहले उत्तर को ही दोहरा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : इन्होंने अभी अपना प्रश्न समाप्त नहीं किया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : सिक्किम सीमा के निकट थोड़ी दूर तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार या रक्षा मन्त्रालय की क्या जानकारी है ? क्या यह सूचना भारत सरकार को मिली है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूछा था कि क्या वह पहले उत्तर को ही दुहरायेंगे या वह इसका फिर से उत्तर देने को तैयार हैं?

श्री जगजीवन राम : यह पहले उत्तर की पुनरावृत्ति मात्र ही होगी।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे संभव है?

श्री जगजीवन राम : यह संभव है। मैं इसको स्पष्ट करूंगा।

प्रथमतः इन्होंने हमारी इस बात पर आपत्ति की, कि सिक्किम सरकार को इस ओर संकेत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें इसका पहले से ही पता था, अतः सिक्किम सरकार को इस ओर संकेत नहीं करना चाहिए था।

जहां तक चीनियों की सीमा पार गतिविधियों का सम्बन्ध है हम सदन को इसकी सूचना समय समय पर देते रहे हैं और जो कोई आवश्यक सूचना हमें मिलती है हम उसे सदन के सम्मुख रख देते हैं। सीमा के पार चीनी पर्याप्त क्रियाशील है, वे सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, खाईयां खोद रहे हैं दीवारें बना रहे हैं तथा भूमिगत और अन्य अनेक तैयारियों में लगे हैं। यह संभव है कि वह इनमें से कुछ में बन्दूकें तथा थोड़ी दूर तक मार करने वाले मिसाइल लगायें।

डा० द० स० राजू : क्या वह मिसाइल की मार की दूरी के विषय में बतायेंगे। इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है अथवा नहीं और क्या उनमें अणुबम रखे गये हैं। अथवा रखे जाने की संभावना है?

श्री जगजीवन राम : इस सम्बन्ध में कुछ कह पाना अत्यन्त कठिन है। किन्तु यह कोई गुप्त बात नहीं है जैसाकि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो रहा है कि चीन मध्यम दूरी तक मार कर सकने वाले प्रक्षेपण अस्त्रों को बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है। साथ ही वह अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों को बनाने की तैयारी भी कर रहा है। यही सब कुछ सुनने में आ रहा है। समाचार पत्रों में भी कभी-कभी यह प्रकाशित हो रहा है.....(**व्यवधान**)

श्री समर गुह : आपका कोई सैनिक गुप्तचर विभाग नहीं है और आपको यह सूचना समाचार पत्रों, आकाशवाणी, अमरीका तथा रूस से.....(**व्यवधान**)

श्री जगजीवन राम : मैं केवल यही कह रहा हूँ कि यह बात सभी जानते हैं कि वे लोग मध्यम दूरी तक मार करने वाले तथा अन्तर्महाद्वीपीय मिसाइलों को बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। अतः मैं सदन के सम्मुख कोई नई सूचना नहीं रख रहा। सदन तथ्य से अनभिज्ञ नहीं;

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय का यह कहना ठीक है कि वह समय-समय पर सदन को इस सम्बन्ध में सूचित करते रहे हैं किन्तु इसी विषय पर पूछे गये विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने कहा कि संभवतः चीन थोड़ी दूर तक मार करने वाले मिसाइल लगा रहा है। प्रश्न यह था कि क्या चीन थोड़ी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों को लगा रहा है। देश के हित में क्या वह संसद को विश्वास में लेंगे और बतायेंगे कि क्या इसकी केवल संभावना है अथवा यह सच है यदि यह सच है तो वह इसे देशवासियों से क्यों छिपा रहे हैं? क्या चीन ने बिल्कुल सीमा पर थोड़ी दूर तक मार करने वाले मिसाइल लगा दिये हैं।

श्री जगजीवन राम : मैंने यह कहा कि ऐसी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

श्री रा० बरुआ : समाचार पत्रों से विदित हुआ है कि चीन भारत पार अपने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के परीक्षण की तैयारियों में लगा हुआ है । भारत सरकार को इसकी जानकारी कहां तक है ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो इन्होंने अभी बताया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि शायद चीनियों ने थोड़ी दूर तक मार करने वाले मिसाइल लगाये हैं साथ ही उन्होंने मध्यम दूरी तक मार करने वाले तथा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के लगाये जाने की संभावना को भी स्वीकार किया है । यही सब कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ । इन परिस्थितियों में मैं यह जानना चाहता हूं कि देश की रक्षा हेतु चीन की चुनौती का सामना करने के लिए क्या सुरक्षात्मक तैयारियां की जा रही हैं ।

श्री जगजीवन राम : इस विषय पर भी सदन में चर्चा हो चुकी है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे मामलों में सुरक्षा पारस्परिक तरीकों और प्रति उपायों को अपनाने में हैं । जहां तक प्रक्षेपणास्त्रों का सम्बन्ध है अभी तक इनको रोकने के लिए कोई साधन नहीं बनाये गये । अतः यह कहना बहुत कठिन कि अपनी सीमाओं को परम्परागत तरीकों और आधुनिक संस्कारित अस्त्रों से शक्तिशाली बनाने के अतिरिक्त कौन से प्रति-उपाय हो सकते हैं ? जहां तक प्रक्षेपणास्त्रों का सम्बन्ध है उनके लिए कोई प्रति-उपाय नहीं हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इनका सामना करने के लिए आप कौन सी सुरक्षात्मक तैयारियां कर रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें अपनी सीमाओं के सुरक्षात्मक उपायों को शक्तिशाली बनाने के लिए तैयारियां करनी होंगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : As and when this question w s raised in this House the only answer given by the Government that they are ready to meet the challenge of China.

Mr. Speaker : Why do you enter into the discussion. Please put your question.

Shri Hukam Chand Kachwai : China has made strides in several spheres and has acquired sophisticated weapons which we lack. We depend upon other countries such as America and Russia. Today we are sceptical about the defence of our frontiers, since this burden has fallen on the shoulders of a Minister who has been in the cabinet for the last 20 years and is in habit of forgetting things.

Mr. Speaker : Please ask your question.

Shri Hukam Chand Kachwai : But why do you ring the bell.

Mr. Speaker : Please do not say so. I do not like this. I am asking ycu to put your question and you are behaving like this. Please finish it in a minute's time.

Shri Hukam Chand Kachwai : There is ever increasing apprehension in the mind of the public that the burden of our defence is on the shoulders of the Minister who is susceptible to forgetfulness. He even forgot to file his income tax returns for the last nine years. What will be the fate of the country if he forgets the defence of the country. In the event of aggressionon the country will he sit back and say that he forgot to defend the country. In view of his forgetfulness is he prepared to give an assurance that he will not forget fighting for the country's defence.

Mr. Speaker : This is no question

Shri Hukam Chand Kachwai : Hon'ble Minister should answer my question.

Shri Jagjiwan Ram : I can of course give an answer to a relevant question but not to an irrelevant one.

डा० तेजा की गिरफ्तारी पर कोस्टा रीका द्वारा आपत्ति

+

*607. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :**
श्री जय सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि कोस्टा रीका सरकार ने डा० तेजा की गिरफ्तारी पर इस आधार पर आपत्ति की है कि वह कोस्टा रीका द्वारा जारी किये गये राजनयिक पारपत्र पर यात्रा कर रहे थे ; और

(ख) क्या इस नई स्थिति के कारण डा० तेजा को स्वदेश वापस लाने में कठिनाई हो रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । इस आशय की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) डा० तेजा के भारत वापस आने का मामला अभी ब्रिटिश कोर्ट के सामने विचाराधीन है और इस तरह यह न्यायाधीन है डा० तेजा की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है ।

श्री देवकी नंदन पाटोदिया : लगभग एक मास पूर्व डा० तेजा को गिरफ्तार किया गया था और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही दो कारणों से अगले मास से प्रारम्भ हो सकेगी एक तो कानूनी औपचारिकताएं समाप्त नहीं हुई और दूसरे ब्रिटिश सरकार से अनुमति भी नहीं मिली है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी औपचारिकतायें थीं जो पूरी न हो सकीं और किस कारणवश अनुमति नहीं मिली । प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही के निश्चित रूप से प्रारम्भ होने की कब तक संभावना है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : डा० तेजा की वापसी का प्रयत्न ब्रिटेन के 1967 के फ्यूगिटिव औफेन्डर्स एक्ट के अधीन किया जा रहा है और इस अधिनियम के अन्तर्गत ब्रिटेन के विदेश मंत्री को, मजिस्ट्रेट को अनुमति देनी पड़ती है और जब तक मजिस्ट्रेट को यह अनुमति प्राप्त नही होती तब तक वह प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं कर सकता । मजिस्ट्रेट विदेश मंत्री के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जहां तक भारत सरकार से सम्बन्धित अन्य औपचारिकताओं का प्रश्न है वह सब पूरी कर ली गई हैं । सभी दस्तावेज लंदन भेज दिए गए हैं । हमारे आदमी वहां मामले की देखभाल कर रहे हैं और हमने हर प्रकार की सावधानी बरत ली है ।

श्री देवकी नंदन पाटोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। ब्रिटिस सरकार से अनुमति न मिल पाने के क्या कारण थे। अभी तक उसने अनुमति क्यों नहीं दी ?

श्री सुरेंद्रपाल सिंह : इसका भारत सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं यह पूर्णतः ब्रिटिस सरकार का दायित्व है कि वह मामले पर विचार करे और जब चाहे निर्णय दे।

श्री देवकी नंदन पाटोदिया : मद्रास से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र 'हिन्दु' के 25 अगस्त के अंक में यह प्रकाशित हुआ था कि डा० धर्म तेज ने अपने वकीलों द्वारा भारत के कानूनी सलाहकारों को यह प्रस्ताव भेजा है कि वह कुछ शर्तों पर भारत आना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव किया गया था ? वह शर्तें क्या थीं ? और क्या यह भी सच है कि भारत सरकार विशेषतः प्रधान मंत्री डा० धर्म तेजा की भारत वापसी के विचार पर प्रसन्न नहीं क्योंकि उनके आने से उनकी पोल खुलेगी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह बिल्कुल गलत है कोई ऐसा सशर्त प्रस्ताव नहीं किया गया और न ही हम उनके स्वदेश लौटने के विरोध में हैं। उन्हें वापिस लाने का भारत सरकार हर सम्भव यत्न कर रही है।

श्री देवकी नंदन पाटोदिया : डा० तेजा ने आपसे प्रस्ताव किया था।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक हमें पता है ऐसा कोई प्रस्ताव डा० तेजा की ओर से नहीं किया गया।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार बड़ी विवशतापूर्ण स्थिति में है और इस मामले में वह कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ताकि ब्रिटिश सरकार इस मामले में विलम्ब न करे। यदि हां, तो क्या दोनों सरकारों के बीच हुए आपसी पत्र-व्यवहार के कागज सभा पटल पर रखे जायेंगे ताकि सदन को विश्वास हो जाये कि डा० धर्म तेजा को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार निश्चय ही बहुत गम्भीर है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भारत सरकार वस्तुतः इस मामले में बहुत गम्भीर है। हम कई वर्षों से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सदन इस बात को भली-भांति जानता है कि हम समय-समय पर उनकी वापसी के लिए क्या कार्यवाही करते रहे हैं और किस प्रकार हम एक वर्ष पूर्व उन्हें अमरीका से वापिस लाने में समर्थ हुए थे जब उन्होंने जमानत का उल्लंघन किया था। अब भी जैसे ही हमें पता चला कि वह लंदन में हैं हमने अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस को सावधान कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम अपनी ओर से उन्हें भारत वापिस लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में हो रही बातचीत में ब्रिटिश सरकार बहुत ही सहायक दृष्टिकोण अपनाएगी साथ ही वहां के विदेश मंत्री द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए जायेंगे ताकि मजिस्ट्रेट मुकदमें की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या दोनों सरकारों में हुए पत्र व्यवहारों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ? क्योंकि मुझे भय है कि श्री फिजो पहले से ही वहां हैं और संभवतः वह डा० तेजा की प्रतिरक्षा भी करें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : राजनयिक साधनों द्वारा सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं अतः सभा पटल पर दस्तावेज रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री क० नारायण राव : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्पण अधिनियम के अधीन हमारी प्रार्थना को ठुकराना या उसमें विलम्ब करना पूर्णतः किसी भी सरकार के स्वविवेक पर निर्भर है । इन परिस्थितियों में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने ब्रिटिश सरकार से प्रत्यर्पण संधि कर रखी है । यदि ऐसा है तो क्या सरकार के लिए यह अनिवार्य नहीं कि वह मामले को शीघ्र उठाये ? अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस देरी का सम्बन्ध, किसी प्रकार से कोस्टा रीका सरकार द्वारा राजनयिक पारपत्र के सम्बन्ध में दिये गये अभ्यावेदन से तो नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इगलैंड से हमारी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है । जैसाकि मैंने पहले भी कहा प्रत्यर्पण सम्बन्धी मुकद्दमों का फैसला ब्रिटेन के 1967 के फ्यूगिटिव औफेन्डर्स अधिनियम के अधीन किया जाता है जो कि भारत पर भी परिषद के एक आदेश द्वारा लागू होता है । जहां तक कोस्टा रीका सरकार के बीच में आने का प्रश्न है हमें इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं है किन्तु समाचार पत्रों और अन्य साधनों से विदित हुआ है कि इस सम्बन्ध में कोस्टा रीका सरकार ने किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उनकी शिकायत पर ब्रिटेन सरकार विचार कर रही है । किन्तु हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि कब तक वह इस पर अपना अन्तिम निर्णय दे देंगे किन्तु हम आशा करते हैं निर्णय हमारे पक्ष में होगा ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या यह सच है कि डा० धर्म तेजा से वसूल की जाने वाली कर की कुल बकाया राशि 271 लाख रुपये है और अगस्त 1969 में सदन में यह कहा गया था कि वह इस कर की वसूली उनके 'जयन्ती शिपिंग कंपनी' के हिस्से (शेयर) बेचकर करेंगे । सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न के सीमा क्षेत्र से बाहर है ।

श्री उमानाथ : मंत्री महोदय ने श्री पाटोदिया के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि डा० तेजा की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं किया गया । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह सदन को आश्वासन देंगे कि श्री तेजा के साथ किसी समय भी प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाहियों में अथवा देश में चलाये जाने वाले मुकदमे के सम्बन्ध, में कोई फैसला अदालत से बाहर नहीं किया जायेगा, चाहे वह इस सम्बन्ध में प्रस्ताव करते हैं या नहीं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि यदि डा० तेजा भारत में आत्मसमर्पण और कानूनी जांच कराने के लिए तैयार हैं, तो उनका भारत में स्वागत है ।

श्री उमानाथ : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि श्री तेजा के साथ प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही करते समय, जिसका सामना उन्हें देश से बाहर करना पड़ेगा, कोई भी फैसला अदालत से बाहर नहीं किया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम यह आश्वासन देते हैं कि कोई भी फैसला अदालत के बाहर नहीं किया जायेगा ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

रूस से खरीदे गये फ्रिगेट

अ० सू० प्र० 7. श्री हेम बरुआ : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से खरीदे गये पेट्या-श्रेणी के दो फ्रीगेट ब्लाडिवोस्टक से विशाखापत्तनम तक आते आते बीच में ही खराब हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय इन फ्रिगेटों की हांगकांग में मरम्मत की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन फ्रिगेटों की मरम्मत का कार्य किसे सौंपा गया है ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) हांगकांग के रायल नेवल बेस द्वारा वायु सम्पीडक के छोटे से बेयरिंग पर पुनः धातु चढ़ाई गई थी । यह छोटा सा मरम्मत कार्य था ।

श्री हेम बरुआ : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने रूस को 6 फ्रिगेट का क्रयादेश दिया था, क्या उन्होंने केवल 2 फ्रिगेट ही सप्लाई किए हैं और वे भी विलाडिवोस्टक से विशाखापत्तनम तक आते-आते हांगकाग के पास बीच में ही खराब हो गये । उनकी मरम्मत का कार्यभार किसे सौंपा गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : यह मरम्मत बहुत छोटी किस्म की थी इस विषय में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं जहां तक एयर कम्प्रैसरों का सम्बन्ध है वह तोप गाड़ियों के साथ लगे होते हैं, ऐसे तीन एयर कम्प्रैसर है । यदि एक खराब हो जाता है तो बाकी अपना काम करते रहेंगे और इन केवल 3 से० मी० लम्बे एयर-कम्प्रैसरों से सम्बन्धित मरम्मत का काम बड़ी आसानी से हांग-काँग में 'रायल नेवल बेस' पर हो जाता है और वह यह कार्य निशुल्क करते हैं ।

श्री हेम बरुआ : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मैं यह जानना चाहता था कि क्या रूस को 6 फ्रिगेट का क्रयादेश दिया गया था अथवा नहीं । उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया अपितु यह कहा दोष बहुत मामूली था, दोष चाहे कितना छोटा ही क्यों न हो, क्या यह सच है कि हमारी सरकार को दिए गए दो फ्रिगेट बलाडिवोस्टक से विशाखापत्तनम तक आते-आते हांगकांग के समीप खराब हो गए । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस स्थिति में बता सकती है कि क्या उनके पास 'नए' फ्रिगेट लेने से पूर्व, मैं यहां 'नए' शब्द पर बल दे रहा हूं क्योंकि यह घटिया किस्म के फ्रिगेट है, उनके परीक्षण के लिए कोई मशीनरी है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : हम पहले से उनका परीक्षण कर चुके हैं उनमें कुछ खराबी नहीं है। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि यह मशीनी काम है और इसमें बेयरिंग का समंजन निहित है। विश्व की किसी भी मशीनरी में बेयरिंगों का समंजन होना और इनमें कोई भी खराबी नहीं हुई।

श्री हेम बरुआ : यह ठीक है कि मशीनों में बेयरिंगों का समंजन होता है किन्तु यह नए फ्रिगेट हैं और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यह नए फ्रिगेट अपनी प्रथम यात्रा के दौरान ही खराब हो गए।

श्री रणजीत सिंह : महोदय पहले उन्होंने कहा कि कम्प्रैसर में कुछ खराबी थी और फिर कहा कि किसी बेयरिंग (bearing) का समंजन नहीं ठीक हुआ। बेयरिंग का पूर्णत: एयर कम्प्रैसर से कोई सम्बन्ध नहीं और 'जलसेना' (नेवी) में जब आप बेयरिंग की बात करते हैं आपका आशय बाल-बेयरिंग से नहीं होता। हो सकता है यह 360° तक दिशा निर्धारित करने वाला उपकरण हो, उन्हें हमें ठीक-ठीक उत्तर देना चाहिए, किन्तु अगर वह ऐसी बात करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता तो हम उनसे क्या प्रश्न करें। सबसे पहले हमें वह यह बताएं कि फ्रिगेट होता क्या है तब मैं अपना प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और मन्त्री महोदय दोनों ही सेना में, वह भी थल सेना में रह चुके हैं और मेरे विचार से दोनों ही उतने अंजान हैं...

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं उनसे अधिक जानता हूं।

श्री रणजीत सिंह : महोदय, यह केवल कल्पना है। और आपको भी मेरे तथा उनके ज्ञान को जांचे बिना ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यहां पर मन्त्री महोदय के ज्ञान की परीक्षा हो रही है क्योंकि हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम सबकी स्थिति एक समान है। मैं भी सेना की सेवा में रह चुका हूं फिर भी इन फ्रिगेट के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : माननीय सदस्य का प्रश्न संगत नहीं है यदि वह यह कहते हैं कि उन्हें यान्त्रिक ब्यौरों का अधिक ज्ञान है तो इस प्रश्न को सदन के सम्मुख रखना ही नहीं चाहिए था क्योंकि बेयरिंग का धातु विलय (Ring metalling) बहुत ही मामूली चीज है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि रूस से खरीदे गए नौ-जलयानों में भी ऐसे ही कुछ छोटे-मोटे दोष पाए गए हैं, और यदि हां, तो सरकार द्वारा देखे गए यह दोष किस प्रकृति के हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : माननीय सदस्य द्वारा बताए गए कोई ऐसे दोष हमें देखने को नहीं मिले।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल से नारियल जटा से बने माल का रूस को निर्यात

*603. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने भारत सरकार को केरल राज्य से लगभग 50 लाख रुपये के नारियल जटा से बना माल सप्लाई करने का कोई क्रयादेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). सोवियत संघ की सरकार ने भारत सरकार को नारियल जटा के सामान के निर्यात के लिए कोई क्रयादेश नहीं दिया है। भारत से सोवियत संघ को इस मद के निर्यात, दोनों देशों से सम्बन्धित वाणिज्यिक उद्यमों के स्तर पर, उनके बीच तय की गई संविदाओं के अनुसार, किये जाते हैं।

आयात पर पाबंदियों में ढील

*608. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के विकास की हमारी परिवर्तित नीति के अन्तर्गत आयात पर पाबंदियों में ढील देने की सरकार की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ तथा व्यापारियों ने इस बारे में सरकार से अनेक बार अनुरोध किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) देश के आर्थिक विकास तथा औद्योगीकरण सम्बन्धी सामान्य कार्यक्रम के एक अंश के रूप में सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए तथा आयात प्रतिस्थापन के लिए भी उपाय किये हैं। जहां निर्यात संवर्धन से देश को विदेशी मुद्रा से होने वाली आय में वृद्धि होती है, आयात प्रतिस्थापन से, देश के विदेशी मुद्रा स्रोतों के प्रयोग को, उन्ही मदों के आयात हेतु, जो इस देश में उपलब्ध नहीं हैं, यथासंभव सीमित करके उन्हें बनाये रखने में सहायता मिलती है। निर्यात संवर्धन के लिए, जब भी आवश्यक होता है, आयात सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जाती हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग के अनुरूप उत्पादों का विकास किया जा सके। और हमारे निर्यात उत्पादों की प्रतियोगिता-क्षमता को बनाये रखा जा सके तथा उसे बढ़ाया जा सके ; पंजीयित निर्यातकों के लिए आयात नीति की ब्यौरेवार वार्षिक समीक्षा की जाती है जो वित्तीय वर्ष के शुरू होने के अवसर पर घोषित की जाने वाली आयात नीति का एक भाग होती है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित संशोधन वर्ष के दौरान समय समय पर किये जाते हैं।

(ख) व्यापार तथा उद्योग के विभिन्न संघों, पृथक-पृथक व्यापारिक फर्मों तथा निर्माताओं द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों तथा सुझावों पर विचार वार्षिक नीति समीक्षा के समय तथा वर्ष के दौरान किया जाता है।

आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम

*609. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित कौन-कौन सी मुख्य वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा की बचत की गई है ; और

(ख) इन वस्तुओं का देश में और अधिक उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की जाने वाली है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). चूंकि उद्योग का पूर्ण क्षेत्र आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है, इसलिए यह बताना कठिन है कि आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कौन-कौन सी वस्तुओं के कारण विदेशों मुद्रा में मुख्य रूप से बचत हुई है ।

देश की आन्तरिक तथा संभावित विदेशी मांग को पूरा करने के लिए देश में पहले ही उत्पादित मदों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं । विगत में आयातित मदों का पता लगाकर देश में ही उनका उत्पादन कराने के लिए विकासात्मक कार्यवाही करने के उद्देश्य से भी उद्योग के सभी क्षेत्रों में निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि ऐसे उत्पादों के आयात में, चाहे वे अन्तिम उत्पाद हों अथवा कच्चा माल हो, उत्तरोत्तर कमी लाकर उनका आयात यथासंभव न्यूनतम किया जा सके । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्ष 1969 के दौरान न्यूमेटिक तथा हैमर ड्रिल्ज, प्रैशक डाई कास्टिंग्ज, स्पिरिंग तथा इम्पैक्ट टैस्टिंग मशीनों, मल्टी-स्पिन्डल, मल्टी-टूल, कोपिंग तथा ड्रम टरैट लेथ, एक्स-रे-ट्रयूब जैसी बहुत सी नई मदों तथा अनेक रसायनों का देश में पहली बार उत्पादन किया गया था ।

उद्योग के तीव्र विकास के लिए अधिक अनुकूल औद्योगिक स्थिति, उत्पन्न करने के लिए सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस देने तथा पंजीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनेक उपायों की भी हाल में घोषणा की है । उन विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के विषय में व्यापक प्रचार किया गया है जिनके लिए अतिरिक्त क्षमता को आवश्यक समझा जाता है और उन उद्योगों का भी, जिनमें विदेशी सहयोग से उन मदों के उत्पादन करने की अनुमति दी जा सकती है जिनको अब तक आयात किया जाता रहा है, व्यापक प्रचार किया गया है ।

दक्षिण वियतनाम में भारतीयों को परेशान किया जाना

*610. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री द० अमात** :
श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण वियतनाम सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद दक्षिण वियतनाम में भारतीयों को अभी भी परेशान किया जा रहा है ;

(ख) क्या सैगौन में भारतीयों के लिए अपना कारोबार चलाना असंभव हो गया है और कुछ भारतीय फर्मों ने अपना व्यापार बन्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत को परेशान करने की कुछ छुट-पुट घटनाओं की रिपोर्टें मिलती रहती हैं।

(ख) और (ग). सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार काफी बड़ी संख्या में भारतीय लोग तथा भारतीय व्यापारिक संस्था अपने सामान्य रूप से चला रहे हैं ? वहा रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार ने सैगोन सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

रूई निगम (काटन कारपोरेशन) की स्थापना

*611. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** 31 जुलाई, 1970 को दिये गये वक्तव्त के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रूई निगम की स्थापना के कार्य में और आगे कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर तथा अन्य निदेशकों की नियुक्ति कर दी गई है ; और

(ग) क्या निगम ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) निदेशक मंडल का गठन करीब-करीब पूरा हो चुका है। कार्यालय आवास की व्यवस्था और अपेक्षित कार्मिक वर्ग को नियुक्ति की जा रही है।

(ख) अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। प्रबन्ध निदेशक चुन लिया गया है और शीघ्र ही अन्य निदेशकों को भी चुन लिया जायेगा।

(ग) अभी नहीं।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में जासूसी और चोरी के मामले

*612. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में और चोरी के कई मामले गत वर्ष प्रकाश में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं ;

(ग) इन मामलों में सरकार ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किये गये लोगों के नाम क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). पिछले एक वर्ष के दौरान रक्षा संस्थानों में संदिग्ध गुप्तचरी और चोरी के कई मामले सामने आये। गुप्तचरी के मामलों के विस्तार देना लोकहित में नहीं है। चोरी के वृहत मामलों के विस्तार इकट्ठे किये जा रहे हैं और सभा के पटल पर रख दिये जायेंगे।

(घ) सुरक्षा प्रबन्धों को दृढ़ बनाने के लिए विभिन्न सुरक्षा साधनों द्वारा कई पग उठाये जा रहे हैं, उदाहरणत: सुरक्षा कर्मचारीगण को विशेष प्रशिक्षण मार्मिक यूनिटों और विरचनाओं में प्रवेश और निकास के सख्त उपाय, वर्गीकृत दस्तावेजों के सुरक्षण के लिए सख्त निदेशनों का लागू करना, इत्यादि-इत्यादि।

वियतनाम समस्या पर रूस से चर्चा

*613. **श्री पीलु मोडी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने हाल में मास्को की यात्रा की थी ;

(ख) क्या रूसियों के साथ वियतनामी समस्याओं के बारे में कोई चर्चा हुई थी ; और

(ग) क्या इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप वियतनामी समस्या के हल के कोई सुझाव सामने आये हैं तथा यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। विदेश मन्त्रालय के अधिकारियों के एक दल ने मई, 1970 में वार्षिक द्विपक्षीय परामर्शों के लिए मास्को की यात्रा की थी।

(ख) जी हाँ।

(ग) ऐसी चर्चाओं के ब्यौरे गोपनीय हैं।

वियतनाम समस्या किस प्रकार सुलझ सकती है, इस सम्बन्ध में सरकार ने अपने विचार सदन में पहले ही साफ-साफ बता दिए हैं।

रूस को जूतों का निर्यात

*614 **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रूस को प्रति वर्ष जूतों के कितने जोड़े सप्लाई करता है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में जूतों के व्यापार का कोई उपयुक्त संगठन न होने के कारण जूतों का निर्यात नहीं बढ़ा है ; और

(ग) इनका निर्यात और बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या उपचारी कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1968-69 तथा 1969-70 में भारत नें सोवियत संघ को क्रमशः 9.3 लाख जोड़े तथा 10 लाख जोड़े चमड़े के जूतों का निर्यात किया।

(ख) और (ग). हाल के वर्षों में सोवियत संघ को जूतों के निर्यात तथा साथ ही भारत के विश्व-व्यापी जूता निर्यात में निरन्तर थोड़ी सी वृद्धि हुई है। हस्त-निर्मित क्षेत्र में अपेक्षित यंत्रीकरण शुरू हो जाने तथा अतिरिक्त निर्यात अभिमुख यंत्रीकृत उत्पादन सुविधाओं में पर्याप्त प्रगति हो जाने के परिणामस्वरूप निर्यातों के और भी बढ़ जाने की संभावना है।

पाकिस्तान को फ्रांसीसी सैनिक सामान की सप्लाई

*615. **श्री जनार्दनन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पेरिस में हुई द्विपक्षीय बातचीत में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान को फ्रांसीसी सैनिक सामान सप्लाई किये जाने का मामला उठाया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के बारे में फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल का क्या रुख था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). पाकिस्तान को सैनिक साज-सामान की सप्लाई के बारे में हमने अपने विचारों से फ्रांस सरकार को किसी संशयात्मक स्थिति में नहीं रखा है। उन्हें यह कह दिया गया है कि पाकिस्तान के और आगे सैन्य निर्माण से भारत की सुरक्षा एवं उप महाद्वीप की शांति एवं स्थायित्व में खतरा उत्पन्न होगा।

सरकार को पूर्ण विश्वास है कि फ्रांस सरकार इन बातों पर गंभीरता से विचार करेगी और पाकिस्तान को और शस्त्र नहीं देगी।

पूर्वी क्षेत्र में तैनात किये गये जवानों की आवश्यकतायें

*616. **श्री वि० नरसिम्हा राव** :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी आंचल के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करने वाले संसद सदस्यों के दल ने सरकार को प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि जवानों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). रक्षा मंत्रालय की मंत्रणा समिति के तीन सदस्यों के एक दल ने मई 1970 में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया था, और उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। दल की मुख्य सिफारिश थी कि अग्रिम क्षेत्रों में नियुक्त रक्षा सेवाओं के विवाहित सेविवर्ग को जहां संभव हो पास के गांवों में विवाहित वास्य भवन प्राप्य किये जाएं।

अग्रिम क्षेत्रों में चुने स्थानों पर सेवा कर रहे सैनिकों के लिए विवाहित वास्य भवन प्राप्त करने की सरकार की नीति है। इस नीति का अनुसरण करते हुए लागत लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी में तेंगा घाटी में सेना अफसरों और सेविवर्ग के कौटुम्बिक क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक प्रायोजना की स्वीकृति दी गई है। जम्मू और कश्मीर में कई स्थानों पर अतिरिक्त पारिवारिक क्वार्टर प्राप्य करने का प्रश्न विचाराधीन है।

कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों के निर्यात की योजना

*617. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशों से बने कपड़े के उद्योग ने अपने उत्पादों के निर्यात के लिए बनाई गई योजना के सन्तोषजनक रूप से कार्य करने के लिए कोई सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) ; (क) जी हां । समय-समय पर इस प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) ये सामान्यत: कतिपय आयातित मदों के लिए अपेक्षाकृत ऊंची प्रतिपूर्ति दरों, प्रतिपूर्ति हकदारियों के उपयोग में लचीलेपन तथा सारवान निर्यात निष्पादन वाले एककों को कतिपय विशेष सुविधाएं देने के सम्बन्ध में हैं ।

(ग) सुझाव प्राप्त होने पर उन पर यथाविधि विचार किया जाता है और आवश्यक तथा सम्भाव्य होने पर उन्हें क्रियान्वित किया जाता है ।

Indian Nationals Sentenced to Death in Pakistan

*618. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan Government have sentenced two Indian Nationals to death without intimating to Government of India in this regard ;

(b) whether it is also a fact that the information to this effect was conveyed very late to Indian High Commission in Pakistan and it is now trying to have the Indian nationals concerned released ; and

(c) if so, the time taken by Pakistan in informing the Indian High Commission in this regard and the action taken by the Indian High Commission in Pakistan to have the Indian nationals concerned released ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). We learnt from Pakistan Radio/Press reports of 27th June, 1970, that two Indian nationals, Madanlal and Krishna, have been sentenced to death in Pakistan. The matter was immediately taken up with the Pakistan Government who were requested for full personal particulars and to allow one of the officials from the Indian High Commission in Pakistan to visit these two Indian nationals in order to make any arrangements that may be necessary for their welfare and for such legal assistance as may be required.

Despite repeated requests, the Government of Pakistan have so far given no information to us about this matter.

इसराइल तथा ताइवान को राजनयिक मान्यता

*619. **श्री रवि राय :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को वाणिज्य दूतावास का दर्जा देने के सरकार के निर्णय के पश्चात् देश में इसराइल तथा ताइवान को राजनयिक मान्यता देने के पक्ष में जनमत बढ़ रहा है ;

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) समय-समय पर इस प्रकार की मांगें की गई हैं ।

(ख) संसद सदस्यों से दो ज्ञापन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें ताइवान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया है ।

(ग) भारत चीन लोक गणराज्य को चीन की वैध सरकार मानता है । अतः ताइवान सरकार जो सम्पूर्ण चीन का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है और जिसमें चीन की मुख्य भूमि भी शामिल है, हमारे द्वारा मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता । भारत इजराइल को मान्यता तो देता है लेकिन हमारे विचार में इस अवस्था में राजनयिक मिशनों के आदान-प्रदान से कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन और कार्य में परिवर्तन करने के प्रस्ताव

*621. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके ढांचे और कार्य पद्धति में परिवर्तन लाने के कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र महासभा के 25वें अधिवेशन की अस्थायी कार्यसूची में, "संयुक्त राष्ट्रों के चार्टरों के पुनरावलोकन संबंधी सुझावों की आवश्यकता" नामक विषय सम्मिलित है। कार्यसूची में, "महासभा के संगठन और कार्यविधियों के युक्तिकरण" पर विचार किया जाना भी सम्मिलित है ?

(ग) सरकार उपयुक्त समय पर अपने विचार व्यक्त करेगी ?

पश्चिम एशिया के लिए अमरीकी शान्ति प्रस्ताव

*622. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के बारे में अमरीका द्वारा किये गये शान्ति प्रस्ताव को इसराइल और कुछ अरब राज्यों ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने उस क्षेत्र में शान्ति प्रस्ताव के आधार पर कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद के नवम्बर 1967 के संस्ताव का इस दृढ़ विश्वास के साथ पूर्णतया अनुमोदन किया है कि पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति इसे पूरी तरह से क्रियान्वयन करके लाई जा सकती है । भारत सरकार 8 अगस्त 1970 को घोषित किए गए युद्ध विराम का स्वागत करती है और नवम्बर 1967 के सुरक्षा परिषद के संस्ताव की व्यवस्थाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों का समर्थन करती है ।

भारतीय सीमा के निकट पाकिस्तानी सेना तथा चीन द्वारा सड़कों/पुलों का निर्माण

*623. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि पाकिस्तानी सेना ने सिंकियांग को पश्चिमी पाकिस्तान से मिलाने वाले एक पुल का निर्माण किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तरी क्षेत्रों को शेष पश्चिमी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए सभी ऋतुओं में काम आने वाली सड़क का भी निर्माण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में भारतीय सीमा के निकट चीन और पाकिस्तान द्वारा निर्मित सड़कों और पुलों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). खुंजाराब दर्रे से होकर पाकिस्तान से पश्चिमी पक्ष को चीन के सिंक्यांग प्रान्त को मिलाने के लिए सिन्धु घाटी सड़क और कराकुरम राज्य मार्ग पर पुलों के निर्माण का सरकार को ज्ञान है । गिलगित और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच ऋतुओं के लिए सड़क का भी सरकार को ज्ञान है ।

(ग) भारतीय सीमाओं के निकट चीन और पाकिस्तान द्वारा निर्माण की गई सड़कों और पुलों के सम्बन्ध में सरकार के पास प्राप्य अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा ।

(घ) अपनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सीमा के पार संवर्धनों का अपनी संक्रियात्मक योजनाओं में ध्यान रखा जाता है ।

ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को दिये जाने वाले हथियारों के सम्बन्ध में अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में चर्चा

*624. **श्री स० कुण्दू** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन की सरकार द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को दी जाने वाली हथियारों की सहायता के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एशिया तथा अफ्रीका के देशों का एक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का उक्त हथियारों की सप्लाई पर किस प्रकार विरोध प्रकट करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने ब्रिटिश सरकार को यह बतला दिया है कि वह दक्षिण अफ्रीका को हथियार सप्लाई करने के विचार के बहुत खिलाफ है और इस विषय में ब्रिटिश सरकार को अपने घोषित इरादों को क्रियान्वित करने से रोकने के लिए सभी सम्बद्ध पक्षों की सलाह से प्रयास कर रही है ।

भाखड़ा जलाशय में जल का स्तर

*625. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा जलाशय में इस समय जल का स्तर कितना है ;

(ख) क्या इसके कारण औद्योगिक तथा घरेलू उपयोग के लिए विद्युत सप्लाई में अग्रेतर कटौती करनी पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). भाखड़ा जलाशय का जल स्तर 25 अगस्त, 1970 को 1582.00 फुट था जबकि गत वर्ष यह 1674.68 फुट था । सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली भराई को वर्तमान अवधि के दौरान कम अन्तःप्रवाह को अविच्छिन्नता को ध्यान में रखते हुए तथा आगामी रबी के मौसम के लिए पानी के संरक्षणार्थ सहभागी राज्यों (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) और सांझे पूल के उपभोक्ताओं (नांगल खाद कारखाना और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान) को भाखड़ा प्रणाली से ली जाने वाली अपनी कुल ऊर्जा में कटौती करना अपेक्षित है और भाखड़ा नांगल के बिजली घरों से बिजली का उत्पादन 1 करोड़ यूनिट प्रतिदिन तक सीमित कर दिया गया है । बिजली की कटौती इस उत्पादन के अनुसार जारी रखी जा रही है और स्थिति पर निरन्तर ध्यान रखा जा रहा है । मध्य प्रदेश के सतपुड़ा तापीय विद्युत केन्द्र से लगभग 10 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

सिख यात्रियों के आने-जाने पर लाहौर में पाबंदी

*626. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 666 सिख यात्रियों के एक दल को, जो जून, 1970 के आरंभ में 4 दिन की तीर्थ-यात्रा के लिए लाहौर स्थित गुरुद्वारा डेरा साहिब गया था, स्वतन्त्रता-पूर्वक इधर-उधर आने-जाने नहीं दिया गया तथा उनको उस समय तक गुरुद्वारा के अहाते में ही रहना पड़ा जब तक कि भारतीय उच्चायुक्त के सहचारी ने हस्तक्षेप नहीं किया ;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों के आने-जाने पर पाबन्दी लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) पाकिस्तानी सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा सिखों की उन पुस्तकों तथा लोहे के कड़ों को जब्त किये जाने के क्या कारण हैं जो केवल सिंधी हिन्दुओं में वितरित करने के लिये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि सभी गुरुद्वारों से ग्रन्थ साहिब को हटा दिया गया है और गुरुद्वारा डेरा साहिब में लगाये गये टेलिविजन सेटों से भारत-विरोधी प्रचार किया जा रहा है ; और

(ङ) गुरुद्वारों की उपेक्षा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । इन यात्रियों के 'धरना' देने के बाद ही इन्हें वहां से निकलने दिया गया था ।

(ख) और (ग). इसका कारण तो पाकिस्तान सरकार ही समझती है ।

(घ) जी हां । पता चला है कि बहुत से गुरुद्वारों से 'ग्रन्थ साहिब' को हटा दिया गया है, सिवाय उन गुरुद्वारों के जिनके लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाती है ।

(ङ) सरकार ने, तीर्थ स्थानों के उचित अनुरक्षण तथा मरम्मत आदि के सामान्य सवाल को समय-समय पर पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है, जो इस सम्बन्ध में जिम्मेदार प्राधिकारी हैं ।

नाइजीरिया की सरकार द्वारा भारतीय सहयोग के लिए अनुरोध

*627. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया की सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों से वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की किन विशिष्ट उद्योगों के बारे में अपेक्षा की गई है ; और

(ग) इसके प्रति भारतीय उद्योगपतियों की निश्चित प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). भारतीय उद्योगपतियों को नाइजीरिया की संघीय सरकार से प्राप्त हुए किसी औपचारिक आमंत्रण की भारत सरकार को जानकारी नहीं है। फिर भी, भारत सरकार ने इंजीनियरी माल, वस्त्रों, बिलायक निस्सारण, पाम की गिरी पीसने तथा रेजर ब्लैडों के क्षेत्र में नाइजीरिया में कुछ संयुक्त उद्यमों के लिए मंजूरी दे दी है। वस्त्रों, इस्पात, रिरोलिंग, उर्वरकों तथा वातानुकूलकों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों से संबंधित कुछ प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं। हाल ही में पश्चिम नाइजीरिया सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने उस देश में लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए राज्य का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए एक बार सदस्यीय दल भेजा था। उनका प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुआ है।

पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन

*628. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिसम्बर, 1969 में नियुक्त किये गये पटसन जाँच आयोग ने कच्चे पटसन के उत्पादन तथा क्रय-विक्रय के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन मिल संघ इस आयोग को समाप्त करने के लिए सरकार पर जोर डाल रहा है ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निहित स्वार्थों द्वारा इस आयोग के कार्य में बाधा न डाली जाये, आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) ज्ञात हुआ है कि इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें आयोग को भंग करने की मांग की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि राज्य सरकार ने आयोग के कार्यकाल को, जून 1970 में समाप्त हुई 6 महीने की मूल अवधि से आगे नहीं बढ़ाया है।

ब्रिटेन में भारतीयों को तंग करना

*629. **श्री वीरेंद्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रिटेन का दौरा कर रहे भारतीयों को ब्रिटेन के आप्रवासी अधिकारियों द्वारा केवल शक होने के आधार पर तंग न किया जाये, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : यद्यपि यह सुनिश्चित करना ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है कि यू० के० जाने वाले भारतीयों को केवल सन्देश के आधार पर ब्रिटिश आप्रवास अधिकारियों द्वारा तंग न किया जाए, सरकार ने उन सभी मामलों को ब्रिटिश सरकार के साथ तत्परता से उठाया है जिनमें भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था तथा ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया है कि इन शिकायतों की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें फिर न हों।

Additional allocations for Gandak Project

*630. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the details of the demand made at the meeting of the Gandak Control Board held at Lucknow at the end of July to the Planning Commission for additional allocations for Gandak Project ;

(b) the reaction of Government thereto ; and

(c) the time by which the work on the project is likely to be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Board resolved that a request should be made to the Government of India for additional funds for the Gandak Project. The State Governments of Bihar and U.P. had also earlier sought additional allocations over and above and State Plan ceilings for Gandak Project during the current financial year.

(b) Irrigation Projects form part of the State Plans and funds for these have to be found within the plan outlays approved for the States.

(c) The engineering works of the Gandak Project, both in Bihar and U.P., are expected to be completed by the end of the Fourth Plan.

पाकिस्तान में भारतीय सिपाहियों की गिरफ्तारी

3949. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान में कितने भारतीय सिपाही गिरफ्तार किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : 9 सिपाही जिनमें से अधिकतर गलती से सीमा पार गए थे, रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें से दो वापस आ गए हैं।

कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंसों की बिक्री

3950. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल के आयात लाइसेंस प्रतिदिन बम्बई तथा अन्य भागों में खुले बाजार में बेचे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी आयातकर्ता को गिरफ्तार किया गया है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जानकारी, जिस सीमा तक उपलब्ध है, एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटेन में संसद सदस्य को परेशान किया जाना

3951. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सभा के उस संसद सदस्य का नाम क्या है जिसको उसकी हाल की लन्दन यात्रा के दौरान ब्रिटिश आप्रवास अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया था ; और

(ख) भारतीय हाई कमीशन ने ब्रिटिश सरकार से किस प्रकार का विरोध किया है और उस विरोध के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) राज्य सभा के सदस्य प्रोफेसर नुरूल हसन की हाल ही में यू० के० की यात्रा के दौरान लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर एक ब्रिटिश आप्रवास अधिकारियों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया था ।

(ख) यह मामला तभी नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन एवं लंदन स्थित विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय को भेजा गया था । ब्रिटिश अधिकारियों ने इस घटना की पूरी जांच करने एवं निष्कर्षों की हमें सूचना देने का वचन दिया है ।

तेहरान से आये भारतीय श्रमिकों से भारतीय मुद्रा का जब्त किया जाना

3952. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इन्सुलेटिड कैलन्डर्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड की तेहरान के समीप एक परियोजना पर काम कर रहे 46 भारतीय श्रमिकों को उनकी अधिकांश मजूरी उनकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय मुद्रा में दी गई थी ;

(ख) क्या 7 जून, 1970 को बम्बई में आने पर यह राशि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) से (ग), सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

सलाल पन बिजली परियोजना, जम्मू

3953. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने जम्मू स्थित सलाल पन बिजली परियोजना को अपने नियंत्रण में ले लिया है और यदि हां, तो इसको अपने नियन्त्रण में लिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) सलाल पन बिजली परियोजना किस तिथि को आरम्भ की गई थी और किस तिथि तक पूरी हो जाएगी ;

(ग) इस परियोजना की लागत कितनी है, और यह पूरी हो जाने पर कुल कितनी मात्रा तथा मूल्य की बिजली सप्लाई करेगी ;

(घ) इस परियोजना पर अभी तक कितना धन व्यय किया गया है और यह इस समय किस चरण पर है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि व्याप्त भ्रष्टाचार और उपेक्षा के कारण इस परियोजना पर बुरा प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो इस बारे में विशिष्ट उदाहरण बताइये और भविष्य में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने में क्या कार्यवाही की गई है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकार की सहमति से, केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सलाल पन बिजली परियोजना के निर्माण और प्रचालन को अपने हाथ में ले लिया है जिसका मुख्य कारण यह है कि इस स्कीम के चलाने से केवल जम्मू और कश्मीर राज्य का ही लाभ नहीं होगा बल्कि उत्तरी प्रदेश के अन्य राज्य/संघीय प्रदेश भी इससे लाभान्वित होंगे ।

(ख) इन परियोजना को चालू वर्ष के आरम्भ में हाथ में लिया गया था और इसके पांचवी योजना में पूर्ण होने की संभावना है ।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 55.14 करोड़ रुपये है ; इस परियोजना से 270 मैगावाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी । इस परियोजना से उत्पन्न बिजली के विक्रय से 5.7 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है ।

(घ) इस परियोजना पर अब तक लगभग 45 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। उत्पादन संयंत्र और उपस्कर के लिये आदेश दे दिये गए हैं। सिविल कार्य प्रगति कर रहे हैं।

(ङ) जी नहीं ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में कार्य कर रहे स्टेनोटाईपिस्ट

3954. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय (प्रतिरक्षा मंत्रालय) में कार्य कर रहे स्टैनोटाइपिस्टों के पदों को आशुलिपिक ग्रेड 3 के पदों में परिवर्तित नही किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी हां ।

(ख) स्टेनोटाईपिस्टों से पूरे समय के लिए स्टेनोग्राफरों का काम नहीं लिया जाता । तदनुसार, सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों और अन्तस्सेवा संगठनों में स्टेनोटाईपिस्टों के 75 प्रतिशत स्थान ए० एफ० क्यू० क्लर्की काडर में लोअर डिवीजन क्लर्कों के तौर पर गिने जाते हैं। इस तरह एल० डी० सीज०, यू० डी० सीज० और सहायकों के स्थानों के निर्धारण के लिए उन्हें शुमार कर लिया जाता है, जो इस समय 40 : 35 : 25 के अनुपात में स्वीकृत किये जाते हैं। यह प्रश्न कि स्टेनोटाईपिस्टों के स्थानों का ए० एफ० क्यू० स्टेनोग्राफर काडर और ए०एफ०क्यू० क्लर्की काडर में किस तरह विभाजन किया जाए, विचाराधीन है ।

राजस्थान नहर को कांडला तक बढ़ाना

3955. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर का कांडला तक विस्तार करने के लिए सरकार के पास फिर से एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसे धन के अभाव के कारण स्थगित कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चंद्र-धूल से नया प्रति जीवाणु

3956. **श्री मु० अ० खां** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 1970 "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित हौस्टन अंतरिक्ष केन्द्र के डा० वाल्टर केमरर के इस उद्धरण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि चन्द्र धूल से प्राप्त तत्व निश्चय ही एक नए किस्म का प्रतिजीवाणु है जो कि भूमि के कई सूक्षम कीटाणुओं को मार सकने में समर्थ है और जब उर्वरक के रूप में इस तत्व को डाला गया तो कतिपय पौधों की ऊंचाई तिगुनी हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार विषाणुओं तथा पौधों पर परीक्षण करने का काम अभी जारी है । इसलिए ऐसे दावों के बारे में, जिसकी पुष्टि अब तक नहीं की गई है, सरकार अभी अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ है ।

पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के बड़ी संख्या में आगमन पर पाकिस्तान द्वारा टिप्पणी

3957. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से अल्प-संख्यकों के बड़ी संख्या में आगमन के बारे में उनके द्वारा दिये गए वक्तव्य पर पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में सरकार की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने इस बात को अस्वीकार किया है कि पूर्वी पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का बहिर्गमन हुआ है। उनके प्रवकता ने इस बात को भी अस्वीकार किया है कि इस मामले में उच्च स्तर पर उनके प्राधिकारियों में अनौपचारिक बातचीत हुई है। किन्तु ये दोनों सत्य हैं। अस्वीकार करने के स्थान पर पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि वे अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के जीवन, सम्पत्ति और सम्मान की रक्षा करने का सुनिश्चय करे और इस प्रकार वे इस दुर्भाग्यपूर्ण बहिर्गमन को रोके।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि कटाव से प्रभावित 560 किलोमीटर तटीय भूमि

3958. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र द्वारा भूमि कटाव के कारण केरल की 560 किलोमीटर तटीय भूमि कई स्थानों पर जलमग्न होती जा रही है तथा यह स्थिति हर वर्ष पैदा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). विशेष रूप से मानसून ऋतु के दौरान, समुद्र से केरल की तट रेखा का एक बड़ा भाग कट जाता है। अब तक 800 लाख रुपये की लागत पर समुद्र तट के लगभग 77 किलोमीटर क्षेत्र की सुरक्षा की गई है। जहां तक के क्षेत्र सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होते हैं, उन्हें सुरक्षा के लिए प्राथमिकता दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में आयातकालीन समुद्र कटाव रोधी कार्यों को शुरू करने के लिए, भारत सरकार हाल ही में केरल को 50 लाख रुपये तक एक विशेष ऋण सहायता, राज्य योजना के अतिरिक्त, देने के लिए राजी हो गई है ; यह ऋण सहायता इस वर्ष के लिए राज्य योजना में बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्र-कटाव-रोधी कार्यों के लिए पहले से स्वीकृत 70 लाख रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त होगी ; और राज्य की चौथी योजना में ऐसे कार्यों के लिए जिस प्रावधान की सिफारिश की गई है वह 653 लाख रुपये है।

उद्योगों की स्थापना के लिए भारत मारीशस सहयोग

3959. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा मारीशस इस बात से सहमत हो गये हैं कि भारत के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विशेषज्ञ मारीशस में उद्योगों की स्थापना के लिए इसकी सहायता करेंगे ;

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) जब कभी भी मारीशस भारतीय विशेषज्ञों के लिए अनुरोध करेगा हम उनको प्रदान करने का प्रयास करेंगे जैसा कि हम गत वर्षों से करते आ रहे हैं ।

(ग) अभी तक भारत सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों के 5 सहयोग प्रस्तावों का अनुमोदन किया है । इनमें से एक पहले से ही चालू है । एक का मारीशस सरकार द्वारा अनुमोदन नही किया गया है । अन्य कार्यान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(घ) यद्यपि किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं तथापि भारतीय सहयोग से मारीशस में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए दोनों सरकारें, कई वार्ताओं के दौरान, सहमत हो गई हैं । भारत सरकार ने मारीशस के आर्थिक विकास में अपना सहयोग देने के विषय में अपनी तत्परता का मारीशस सरकार को आश्वासन दिया है ।

Communal Disturbances in Pakistan Cause of Communal Riots in India

3960. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Jha, India's Representative in the United Nations Organisation had stated on the 25th May, 1970 that communal riots in India are very often a reaction to the disturbances of this type that take place in East Pakistan ; and

(b) if so, the details of incidents of communal violence which took place in Pakistan as also the details of the communal incidents in which Pakistan was involved ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) It is a fact that Shri N. N. Jha stated in the Social Committee of the Economic and Social Council that the communal riots in India are very often a reaction to the disturbances of this type that take place in Pakistan.

(b) Shri Jha did not specify the particular instances as it would not have served any useful to do so.

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को तापीय परियोजना के लिए केंद्रीय स्वीकृति

3961. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को भटिंडा के समीप एक तापीय परियोजना के लिए केन्द्रीय स्वीकृति देने में असाधारण विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक निर्णय करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में निर्णय करने में विलम्ब करने के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि पंजाब की ओर से दो अन्य तापीय परियोजनाओं सम्बन्धी अनुरोध भी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, नहीं । भटिंडा ताप विद्युत केन्द्र पर स्कीम रिपोर्ट सबसे पहले मई, 1968 में प्राप्त हुई थी ।

इसकी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने जांच की तथा तकनीकी सलाहकार समिति ने जनवरी 1969 में इस पर विचार किया जबकि यह तय किया गया था कि स्कीम को आवश्यक पुष्टिकारी विवरण की मदद से दुबारा बनाया जाए। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से संशोधित स्कीम रिपोर्ट सितम्बर, 1969 में प्राप्त हुई तथा सलाहकार समिति द्वारा फरवरी, 1970 में स्वीकृत हुई। योजना आयोग की मार्च, 1970 में औपचारिक स्वीकृति प्रेषित की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). वे दो प्रस्ताव ये हैं—(i) डीजल उत्पादन सैटों की स्थापना (ii) भटिंडा पर 200 मैगावाट के एक तापीय एकक की स्थापना। डीजल सैटों की स्थापना की स्कीम पहले ही भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। जहां तक भटिंडा तापीय केन्द्र के विस्तार का प्रश्न है, स्कीम रिपोर्ट मई, 1970 में प्राप्त हुई थी और उसकी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच की जा रही है। ज्योंही केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा स्कीम की जांच पूरी हो जाएगी, त्योंही सलाहकार समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

मूंगफली से निकले पदार्थों पर निर्यात शुल्क में कमी

3962. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मूंगफली से निकाले पदार्थ निर्यात विकास संघ के अध्यक्ष की ओर से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि यदि सरकार निर्यात का वर्तमान स्तर बनाये रखना चाहती है तो सरकार मूंगफली से निकले पदार्थों पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दे या कम से कम 125 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर में भारी कमी कर दे ; और

(ख) क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार कर लिया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार मत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रशासकीय निकाय द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्यक्रमों तथा समस्याओं का पुनर्विलोकन

3963. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने देश की विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्यक्रमों तथा उनकी समस्याओं का पुनर्विलोकन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). दिनांक 24-7-1970 को हुई सी०एस०आई०आर० की शासी-सभा की बैठक में अन्य विषयों के साथ-साथ ।

(i) सी०एस०आई०आर० के वार्षिक प्रतिवेदन 1969 और

(ii) बहुत सी योजनायें/परियोजनायें जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा अपने अन्तर्गत ली जानी हैं, पर विचार किया गया था ।

शासी-सभा की ब्यौरेवार कार्यवाहियों का अन्तिम स्वरूप तैयार होने पर और प्रकाशित होने पर एक प्रतिलिपि संसदीय पुस्तकालय को भेज दी जायेगी ।

भारत में रेडियो तथा टेलीविजन सैटों का निर्माण

3964. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन विदेशी मार्कों वाले रेडियो तथा टेलीविजन सैटों का निर्माण किया जाता है ;

(ख) यह विचार करते हुए कि अधिक उत्पादन से मूल्य में कमी होती हैं तथा फालतू पुर्जे भी सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं, तो सरकार इन मार्कों की संख्या को सीमित क्यों नहीं करती ; और

(ग) टेलीविजन सैटों के लिए निर्णयाधीन आवेदनों की संख्या तथा शर्तें क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) विदेशी मार्कों के कोई टी० वी० सैट भारत में उत्पादित नहीं किये जा रहे निम्न फर्में विदेशी ब्रांडों के नामों से रेडियो का उत्पादन कर रहे हैं :—

फर्म का नाम	ब्रांड का नाम
1. सर्व श्री फिलिप्स इंडिया	फिलिप्स
2. सर्वश्री जी०ई०सी० कलकत्ता	जी०ई०सी०
3. सर्वश्री ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया	एच०एम०वी०
4. सर्वश्री मर्फी इंडिया	मर्फी
5. सर्वश्री मूलचन्द रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल	बुश
6. सर्वश्री टेलिफुंकन इण्डिया	टेलिफुंकन
7. सर्वश्री भट्टीं इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन	स्टेंडर्ड

(ख) संगठित क्षेत्र में तथा छोटे पैमाने के क्षेत्र में कई यूनिटों द्वारा रेडियों का उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि दोनों क्षेत्र इस उद्योग के लिए उपयुक्त हैं। मार्कों की सी संख्या को सीमित कर देने से भारत में इस उद्योग का विकास इतना शीघ्र न हो पाता, कि जितना वास्तविक तौर पर गत वर्षों में हो पाया है, कि जिसके दौरान रेडियों की कीमतों में काफी कमी भी हुई है।

(ग) टी० वी० सैटों के निर्माण के लिए प्रार्थना पत्रों की अन्तिम तिथि 15 अगस्त 1970 थी। संगठित क्षेत्र तथा छोटे पैमाने के क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की फर्मों से प्रार्थना पत्र भारी संख्या में प्राप्त हुए हैं, कि जिनके विस्तार इकट्टे किए जा रहे हैं।

पोंग बांध से निष्कासित लोगों को फिर से बसाने हेतु केन्द्र द्वारा कांगड़ा जिले के सर्वेक्षण पर हिमाचल प्रदेश द्वारा विरोध

3965. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पोंग बांध के निष्कासित व्यक्तियों को फिर से बसाने हेतु कांगड़ा जिले में सरकारी भूमि के प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने हेतु एक दल को भेजने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों पर कड़ा विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कितने निष्कासितों को बसाने का विचार है ;

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस पर विरोध प्रकट किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने 22-5-70 को हिमाचल प्रदेश के संसद सदस्यों के साथ पोंग बांध के विस्थापितों की समस्या पर विचार-विमर्श किया था और उस समय यह निर्णय किया गया था कि आर० एल० 1410 तथा आर० एल० 1600 के बीच पोंग बांध जलाशय के सीमावर्ती क्षेत्रों पर और सरकारी तथा गांव की उस सार्वजनिक भूमि की मात्रा जानने के लिए उनाह तहसील में भी अनुसंधान किये जायें, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही कुछ विस्थापितों को बसाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारियों का एक दल हिमाचल प्रदेश भेजा गया था और हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के दल को सभी संभव सहायता देने के लिए उपायुक्त कांगड़ा को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये थे। बहरहाल, पोंग बांध विस्थापित सलाहकार समिति ने, जो मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में 3-6-1970 को हुई थी, उपर्युक्त दल के भेजने पर विरोध प्रकट किया था और तदनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने दल को वापस बुलाने के लिए प्रार्थना की थी। सर्वेक्षण दल को जून, 1970 के दूसरे सप्ताह में वापस बुला लिया गया था।

Allottment of Land to Ex-Servicemen in their own Districts

3966. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government land which was allotted to landless ex-servicemen and refugees in various States is mostly situated in Districts other than those to which the ex-Servicemen belonged ;

(b) whether it is a fact that the landless ex-Servicemen have not been able to make the land allotted to them fertile, because of its being situated in other Districts ; and

(c) the steps taken by Government to allot land to ex-Servicemen in their own Districts through exchange ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) Allotment of land to ex-Servicemen is made by the District authorities or Gaon Sabhas under the laws and regulations framed by State Governments. Allotment of land can be made only at places where vacant land is available. Details of cases where land has been allotted to ex Servicemen in various States in districts other than those to which they belong are not available. Time and labour to collect them through the State Governments will not be commensurate with the results to be achieved.

(b) It is not necessarily correct. It depends on the nature of land allotted, the resources of individuals to develop it etc.

(c) It is not feasible to arrange such exchange of land.

Dropping of Chinese Leaflets in Rajasthan

3967. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Mayavan :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chinese leaflets which were in the Chinese language were airdropped in Rajasthan sometime back ;

(b) whether Government have made any inquiry into this matter ; and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) to (c). Attention is invited to the statement made in the House on 19th August, 1970.

विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को नियमित तथा नियंत्रित करने की योजना

3969. **श्री जय सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूटनीतिक, वाणिज्यिक तथा व्यापार मिशनों के भाग के रूप में चल रहे केन्द्रों से भिन्न विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को नियमित करने तथा उन पर नियंत्रण रखने की एक योजना, सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

विदेशी धन से पोषित सांस्कृतिक केन्द्रों पर सरकार का नियंत्रण

3970. **श्री मयावन :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ऐसी योजना तैयार कर रही है जिसके अन्तर्गत विदेशी धन से पोषित समस्त सांस्कृतिक केन्द्रों पर सरकार का नियंत्रण होगा और वह उनकी देखभाल करेगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस प्रकार की रूपरेखा तैयार करने की संभावना पर सरकार इस समय विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन को नियमित किया जा सके ।

(ख) और (ग). मामला अभी विचाराधीन है एवं निर्णय हो जाने पर घोषित कर दिया जाएगा ।

भारत सरकार द्वारा विदेश यात्रा के लिए श्री बी० पी० कोइराला को पार-पत्र जारी किया जाना

3971. **श्री मु० अ० खां** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री बी० पी० कोइराला को विदेश यात्रा के लिए एक पारपत्र जारी किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं । एक पहचान प्रमाण पत्र दिया गया था ।

(ख) यह मानवीय आधार एवं चिकित्सा-संबंधी सलाह पर विदेश में चिकित्सा-संबंधी परामर्श एवं उपचार प्राप्त करने के लिए दिया गया था ।

राजस्थान में विमान से पर्चे गिराना

3972. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के कुछ जिलों में चीनी भाषा में प्रकाशित पर्चों के विमान से गिराये जाने के रहस्य की जांच करने का केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे पर्चे और कुछ फोटोग्राफ विमान से गिराये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सारी घटना की जांच की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) क्या इस घटना में अन्तर्ग्रस्त' विमान तथा इन पर्चों में वर्णित बातों का पता लगा लिया गया है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। राज्य सरकार ने ऐसा किया हैं।

(ख) से (घ). ध्यान 19 अगस्त 1970 को दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है।

आदिवासियों के लिए एक रेजिमेंट की स्थापना

3973. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में एक पृथक रेजिमेंट स्थापित करने का है जिससे आदिवासी अच्छे सिपाही बन सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्य की जाँच

3974. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यों की जांच कार्यवाही जो कि लोक सभा के गत अधिवेशन की समाप्ति के उपरान्त आरम्भ हुई थी, पूरी हो गई है ;

(ख) क्या जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्टोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) मई 1968 में अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने मुख्यन्यायाधीश श्री ए० के० सरकार की अध्यक्षता में जांच समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने अपना जांच कार्य जून 1968 में प्रारम्भ किया था।

(ख) समिति ने प्रतिवेदन का खण्ड-एक जो सी० एस० आई० आर० के कर्मचारियों की नीति संबंधित (प्रथम विचारांधीन विषय है) प्रस्तुत कर दिया है। अन्य विचाराधीन विषयों पर अभी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) प्रतिवेदन का खंड-एक समिति की उपपत्तियों सहित दिनांक 10 मार्च 1970 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था।

Equation of Pay Scales of Hindi Officers and Translators in Council of Scientific and Industrial Research and Ministry of Education

3975. **Shri Ram Kishan Gupta :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of Translators and Hindi Officers in the Council of Scientific and Industrial Research together with their duties and educational qualifications ;

(b) whether it is a fact that the employees and officers of the Ministry of Education engaged on the Hindi Translation Work, have to do much more responsible work than their counterparts in the Council, whereas the pay-scales of the former are much lower than that of the latter ; and

(c) if so, the reasons for not bringing the pay-scales for these categories of staff in the Ministry at par with those existing in the C.S.I.R. ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) The Indian languages Unit (ILU) at the C.S.I.R. Headquarters has one post of Senior Scientific Assistant (SSA) (Translation) and the Publications and Information Directorate (PID) has one post of Officer-on-Special Duty (OSD) (Hindi) and two posts of Senior Technical Assistants (STAs) (Translation). A statement showing qualifications and duties attached to these ports is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4063/70].

(b) and (c). The duties are different.

रंगून से बहादुर शाह के अस्थि अवशेष ले जाने का पाकिस्तान का प्रयास

3976. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार बहादुर शाह के अस्थि-अवशेष रंगून से पाकिस्तान ले जाने का प्रयास कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अभी तक कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेशम बोर्ड

3977. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम बोर्ड के कितने सदस्य हैं तथा उनके वेतन-मान और नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ; और

(ख) सरकार ने 1969-70 में इस बोर्ड को कितना धन तथा सहायता दी है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड एक सांविधिक निकाय है । इसमें अध्यक्ष को मिलाकर 36 सदस्य हैं । अध्यक्ष का वेतनमान 1800-2000

रु० है परन्तु इसके वर्तमान अध्यक्ष अवैतनिक रूप से कार्य कर रहे हैं। अन्य सदस्यों को अवैतनिक आधार पर नियुक्त किया जाता है। बोर्ड का गठन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4(3) (ग) में निर्दिष्ठ पद्धति के अनुसार किया जाता है। सदस्यों को 'पदावधि' और यात्रा तथा भत्ते आदि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 5, 8 तथा 31 द्वारा नियमित होते हैं।

(ख) 26. 42 लाख रु०।

हथकरघा वस्त्रों का जमा होना

3978. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में विभिन्न खुली समितियों के पास लगभग 60 करोड़ मूल्य का हथकरघा वस्त्र जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि खुली समितियों को संचित माल बेचने में मदद देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बीजों के थोक व्यापार में राज्य व्यापार निगम के भाग लेने का विरोध

3979. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी भारत तेल चक्की मालिक एसोसियेशन के अध्यक्ष न बीजों के थोक व्यापार में राज्य व्यापार निगम के भाग लेने का जो विरोध किया था उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) उस विरोध का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम ने बीजों का थोक व्यापार शुरू नहीं नही किया है।

निर्यात में वृद्धि

3980. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन वस्तुओं में हमारा निर्यात व्यापार बढ़ा है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : लोक सभा में 29 अगस्त 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3281 के भाग (ख) के उत्तर में एक विवरण पहले

ही सभा पटल पर रखा जा चुका है जिसमें जनवरी-अप्रैल, 1969 की तुलना में जनवरी-अप्रैल 1970 में प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में हुई वृद्धि तथा गिरावट दी गई है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी के महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा नियमित रूप में प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इण्डिया, वाल्यूम 1 में उपलब्ध है।

किसी वस्तु के निर्यातों के मूल्य उस वस्तु से होने वाली सकल विदेशी मुद्रा की आय को प्रकट करते है।

Powerlooms in Madhya Pradesh

3981. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the number and details of powerlooms started in Madhya Pradesh during the last three years and the amount of capital invested therein ;

(b) whether it is a fact that many powerlooms have either been closed down or have been running with great difficulty due to scarcity of certain articles or on account of some other reasons during the last three years ; and

(c) if so, the practical steps taken by Government to revive this industry and to increase the production of this industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कच्चे पटसन के लिए एक निगम की स्थापना करने का विरोध

3982. **श्री जि० मो० बिश्वास** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी भारत पटसन तथा हैसियन एक्सचेंज के अध्यक्ष ने कच्चे पटसन के लिए एक निगम की स्थापना का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी आपत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निकल का आयात

3983. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के निकल का आयात किया जाता है ;

(ख) इसे औद्योगिक कम्पनियों को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचा जाता है ;

(ग) क्या इस धातु का आयात राज्य व्यापार निगम करता है अथवा कोई अन्य गैर सरकारी ऐजेंसी करती है ; और

(घ) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी ऐजेंसियों के नाम क्या हैं तथा उन्हें किन शर्तों पर इस धातु का आयात करने की अनुमति दी जाती है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) विगत तीन वर्षों में आयातित निकल का परिणाम तथा मूल्य निम्नलिखित थे ।

वर्ष	परिमाण मे० टन	मूल्य (लाख रु०)
1967-68	1994	349.9
1968-69	2493	574.1
1969-70	1273	281.6

(ख) अप्रैल-जून, 1969 से जुलाई-सितम्बर 1970 तक प्रत्येक तिमाही के लिये लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दिये गये निकासी आदेशों के आधार पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा वास्तविक उपयोक्ताओं को बेचे गये निकल के बिक्री मूल्य निम्नलिखित थे :

तिमाहियां	विक्रय मूल्य रु० में प्रति किग्रा०	
	एनोड्स	क्रिकेट्स केथोड्स स्क्वेयर्स पाउडर
जनवरी-मार्च 1969	42.44	37.70
अप्रैल-जून 1969	44.14	38.65
जुलाई-सितम्बर 1969	45.00	39.55
अक्तूबर-दिसम्बर 1969	—	51.00
जनवरी-मार्च 1970	—	52.00
अप्रैल-जून 1970	—	67.00
जुलाई-सितम्बर 1970	—	60.99

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अतिरिक्त प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों द्वारा निकल का आयात किये जाने की अनुमति है ।

(घ) उन गैर-सरकारी पार्टियों के नाम, जिन्हें निकल के आयात के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं, आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा वीकली बुलेटिन आफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । वास्तविक उपयोक्ताओं को, उनके अपने उपयोग के लिए निकल के आयात हेतु लाइसेंस दिए जाते हैं ।

कच्चे पटसन के लिए एक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव

3984. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के लिए एक सरकारी निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम के कार्य क्या होंगे ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). कच्चे पटसन के लिए एक सरकारी निगम स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तिलहनों का थोक व्यापार

3985. **श्री जनार्दनन** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम तिलहनों के थोक व्यापार पर अब कहां नियंत्रण कर रहा है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : राज्य व्यापार निगम ने तिलहन का थोक व्यापार शुरू नहीं किया है ।

दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग के श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों की संख्या

3986. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग में पद के वर्ग के अनुसार श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन के बाढ़ नियंत्रण स्कंध में, योजना और विकास कक्ष (जल सप्लाई) के कर्मचारियों को मिला कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं :—

(क) **तृतीय श्रेणी** :

1. अधीक्षक	1
2. एस० ए० एस० अकाउंटेंट	1
3. हैड क्लर्क	7
4. डिवीजनल अकाउन्टेंट	7
5. अनुभागीय अधिकारी	100
6. आशुलिपिक	2
7. स्टेनो-टाइपिस्ट	9
8. उच्च श्रेणी लिपिक	32
9. निम्न श्रेणी लिपिक/खजानची	51

10. प्रारूपकार ग्रेड-एक	1
11. प्रारूपकार ग्रेड-दो	10
12. प्रारूपकार ग्रेड-तीन	11
13. ड्राइवर	7
	239

(ख) **चतुर्थ श्रेणी**

1. दफ्तरी	6
2. बर्कन्दाज	7
3. चौकीदार	5
4. चपरासी	44
5. खलासी	2
6. मेहतर	4
	68

बदरपुर तापीय बिजली परियोजना में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों की संख्या तथा कुछ केंद्रीय सुविधाओं के लिए हकदार होना

3987. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदरपुर तापीय बिजली परियोजना में पदों के वर्ग के अनुसार श्रेणी चार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है ।

विवरण

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना में पदों के वर्गीकरण के अनुसार तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

पद वर्ग	संख्या
श्रेणी III	
इरेक्शन इंजीनियर	3
अधीक्षक	2
सीनियर इरेक्र	5

1	2
सहायक सुरक्षा अधिकारी	1
सीनियर वेल्डर	1
इरेक्टर	10
वेल्डर	2
तकनीकी सहायक	12
हैड क्लर्क	9
डिवीजनल अकाउन्टैंट	8
पर्यवेक्षक (सिविल)	36
पर्यवेक्षक (बिजली तथा यांत्रिकी)	35
सीनियर ड्राफ्ट्समैन	1
फिटर	14
जूनियर ड्राफ्ट्समैन	4
स्टेनोग्राफर	12
उच्च श्रेणी लिपिक	21
स्टोरकीपर	7
निम्न श्रेणी लिपिक	37
टेलीफोन आपरेटर	2
ट्रेसर	2
पेरो प्रिंटर	1
सहायक स्टोर कीपर	12
स्टाफ कार ड्राइवर	1
ड्राइवर	2
हवलदार	4
जूनियर गेस्टेटनर आपरेटर	1
डिस्पैच राइडर	1
कुल	246
श्रेणी IV	
सुरक्षा गार्ड	34
चपरासी	24
चौकीदार	4
फराश	2
मेहतर	2
कुल	66

कुल योग (श्रेणी III और IV) = 312

बदरपुर तापीय परियोजना के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

3988. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर में बदरपुर तापीय बिजली परियोजना के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक टाइप के क्वार्टरों की संख्या कितनी है और इन क्वार्टरों को कर्मचारियों के किन वर्गों को अलाट किया जाएगा ;

(ग) क्या और अधिक क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी नीचे दी जाती है :—

क्वार्टर का टाइप	क्वार्टरों की संख्या
टाइप 1	60
टाइप 2	108
टाइप 3	40
टाइप 4	24
टाइप 5	8
टाइप 6	22
कुल	242

52 मकान एक कमरे वाले भी बनाये गए हैं और वे अनिवार्य निर्माण कर्मकों तथा अन्य कर्मकों को अलाट कर दिये गए हैं । परियोजना के निर्माण चरण में, क्वार्टर अनिवार्य स्टाफ की अलाट किये जायेंगे जिसमें परियोजना के वे वरिष्ठ इंजीनियर शामिल होंगे जिन्हें परियोजना के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए स्थल पर होना जरूरी है । निर्माणावधि की समाप्ति पर, ये क्वार्टर ऊपर निर्दिष्ट किये गए टाइपों के अनुसार प्रचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ को अलाट कर दिये जायेंगे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जामनगर में भारतीय वायु सेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जांच प्रतिवेदन

3989. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री राम किशन गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 5 अगस्त, 1670 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1459 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भारतीय वायु सेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रिपोर्ट सितम्बर, 1970 के दौरान प्राप्त होना प्रत्याशित है ।

इंगलैंड में भारतीयों को नौकरियां प्राप्त करने में कठिनाइयां

3990. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीयों को इंगलैंड में नौकरियां प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने कुछ भारतीयों को युनाइटेड किंगडम में रोजगार से सम्बद्ध कठिनाइयों के बारे में रिपोर्ट समय-समय पर देखी हैं ।

(ख) से (घ). ऐसे मामलों में युनाइटेड किंगडम स्थित हमारा हाई कमीशन भारतीय राष्ट्रिकों को सलाह देता है और कठिनाइयों को यथासम्भव दूर करने के लिए सहायता करता है । यदि कहीं भेदभाव का कोई मामला होता है तो हाई कमीशन उसे ब्रिटिश सरकार के सामने उठाता है ।

Language used by Embassies of India, Pakistan and China to give Information to Foreigners

3991. **Shri Meetha Lal Meena :** **Shri N. Shivappa :**
Shri M. N. Naghnoor :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the language in which information is given to foreigners by the Indian Embassies abroad ; and

(b) the language media used by Pakistan and China for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Indian Embassies abroad principally use English in giving such information ; but certain local languages like French, Spanish, Arabic, German and Russian also are used.

(b) It is not possible for Government to give complete and up-to-date information on this.

मारीशस को सहायता

3992. **श्री मीठालाल मीना** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को मारीशस की हाल की यात्रा के दौरान भारत की मारीशस को सहायता के बारे में वहाँ की सरकार के साथ कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस देश को जो सहायता तथा वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार सहमत हो गई है उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 2 जून से 6 जून 1970 तक प्रधान मन्त्री की मारीशस यात्रा के दौरान भारत सरकार मारीशस को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता देने के लिए सहमत हुई :

(1) मारीशस में भारतीय संस्कृति और परम्परा के अध्ययन के लिए महात्मा गांधी-अध्ययन संस्थान की स्थापना—संस्थान के भवन के लिए और बाद में साज सामान पुस्तकों और अध्यापकों की व्यवस्था के लिए अंशदान ।

(2) मारीशस का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण—मारीशस में सर्वेक्षण करने तथा योजना बनाने तथा औद्योगिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विशेषज्ञों तथा परामर्श संगठनों की सेवाएं ।

(3) मारीशस में सिविल हवाई अड्डों का विस्तार और आधुनिकीकरण ।

(4) मारीशस में एक औद्योगिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ।

(5) मारीशस में उत्तरी सिंचाई परियोजना—विशेषज्ञों और साज सामान की व्यवस्था ।

Import Trade through Government Agencies

3993. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government's share in import trade was 66 per cent last year and it is likely to increase to 80 per cent this year ;

(b) the percentage of Government's share in import trade with Communist countries last year and the extent to which it is likely to increase during this year ; and

(c) the manner in which this change has affected or likely to affect our foreign trade as also the commission and other facilities being enjoyed by some institutions and establishments here ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Statistics of actual imports are not maintained by classes of importers It is however, estimated that about 66% of the aggregate imports, including the import of food grains were handled by Government or public sector agencies directly and indirectly. It is not possible to make advance forecasts or estimates for the current year. Some imports, including those of food grains, are not subject to licensing procedures. Separate figures for imports licensed on Government and private account however, available. These are given in the statement attached.

STATEMENT

Statement showing the import licensing done on Government and Private account during 1968-69 and 1969-70.

	Rupees/Crores	
	1968-69	1969-70
Government	373.10 (39.5%)	546.40 (45.4%)
Private	571.42 (60.5%)	657.33 (54.6%)
Total :	944.52 (100%)	1203.73 (100%)

(b) Separate data of imports on Government account from East European countries are not available. However, the value of licences issued to public sector agencies including Government Departments and to the private sector for imports from these countries during 1969-70 was Rs. 112 crores and Rs. 73 crores respectively. It is not possible to forecast the course or pattern of licensing from these countries during the current year.

(c) The changes, Government are committed to make, will help to further Government's commercial policies, and to plug loopholes and leakages. The Commission and other facilities enjoyed by institutions and establishments whose share or role in the country's foreign trade diminishes or is reduced may be adversely affected.

इलेक्ट्रोनिक्स तथा राडार विकास संस्थान द्वारा पाकेट प्लेट निर्माण के निकल कैडमियम सैलों का विकास

3994. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के इलैक्ट्रोनिक्स तथा राडार विकास संस्थान ने पाकेट प्लेट निर्माण के उत्पादन योग्य निकल कैडमियम सैलों का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो आयातित निकल कैडमियम सैलों की तुलना में इनकी उपयोगिता, स्थायित्व और लागत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इनको बड़े पैमाने पर बनाने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो कब से तथा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में बनाया जायेगा ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस संस्थापन ने पाकेट प्लेट निर्माण के साथ बटन की किस्म के बन्द सैलों का आविष्कार किया है ; और यदि हां, तो उसकी उपयोगिता लागत और उत्पादन का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) (क) इलैक्ट्रोनिकी तथा राडार विकास संस्थान ने भारत इलैक्ट्रोनिक्स में उत्पादन अधीन एक सैट के लिए निकल कैडियम एक बैटरी का विकास किया है । बैटरी के परीक्षण अभी जारी हैं ।

(ख) बैटरी के सन्तोषप्रद सिद्ध होने और उस पूरे पैमाने पर उत्पादन के पश्चात् ही यह विस्तार दिए जा सकते हैं । तदपि प्रत्याशित है कि आयात की जाने वाली बैटरियों की तुलना में इस पर कम लागत उठेगी ।

(ग) जी हां, यदि यह सभी पहलुओं से सन्तोषप्रद सिद्ध हो ।

(घ) फिल्हाल आवश्यक छोटी राशिएं इलैक्ट्रोनिकी तथा रडार विकास संस्थान में ही बनाई जा रही हैं । बैटरी समग्रतः सन्तोषप्रद पाई गई तो थोक उत्पादन पर विचार किया जायेगा ।

(ङ) यद्यपि इलैक्ट्रोनिकी तथा रडार विकास संस्थान को यह कार्य नहीं सौंपा गया था मुख्य प्रायोजना के पार्श्व परिणाम के तौर पर इस सैल का विकास हो पाया था । विकास के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं ।

भूटान के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री के साथ बातचीत

3995. **श्री जी० वेंकटस्वामी** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री ने हाल में उनसे मुलाकात की थी ;

(ख) यदि हाँ, क्या बातचीत की गई ; और

(ग) भूटान के मन्त्री के ठहरने के दौरान क्या निर्णय तथा समझौते किये गये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) (क) से (ग). भूटान के व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री शाही महामान्य नमाग्याल वांगचुक, दि तेनग्ये ल्योनपो 28 जुलाई, 1970 को विदेशी व्यापार मन्त्री से मिले थे । वार्ता के दौरान, भूटान में लघु उद्योगों द्वारा की गई प्रगति, भूटान के प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने तथा विदेशों में भूटानी हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री सम्बन्धी प्रश्नों पर सामान्य रूप में चर्चा हुई थी । इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप कोई विशेष निर्णय अथवा करार नहीं किये गये थे ।

पर्यटक कार चालकों के लिये कारों का आयात

3996. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पर्यटक कार चालकों के लिए विदेशी कारों के अपने कोटे को बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो बढ़ाये गये कोटे की तुलना में पहले का कोटा कितना था ; और

(ग) पर्यटक कार चालकों के लिए कोटा निर्धारित करने की कसौटी क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) पर्यटक कार चालकों के लिए विदेशी कारों की आवश्यकता को राज्य व्यापार निगम पूरा कर रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नही उठते ।

चीनी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र और भारत द्वारा प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये परमाणु क्षमता का उपयोग

3997. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृया करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्यवादी चीन का अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र अब परीक्षण हेतु छोड़ने के लिए तैयार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई परमाणु वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा है कि भारत को परमाणु अस्त्र बनाने चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए परमाणु क्षमता का उपयोग करने पर पुनः विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री श्री (जगजीवन राम) : (क) सरकार को ज्ञान है कि ऐसा शक्य है कि चीन निकट भविष्य में अपना पहला अन्तद्वीपीय वालिस्टिक मीजाइल का परीक्षण करने वाला है ।

(ख) जी नही ।

(ग) नाभिकीय आयुधों के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई अन्तर नहीं आया, कि जो गत सत्र सहित कई अवसरों पर सदन पर स्पष्ट की जा चुकी है ।

मध्य पूर्व में शांति के लिये भारत का योगदान

3998. **श्री शिवकुमार शास्त्री** :
श्री शारदानन्द :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने अमरीकी शांति प्रस्तावों को सशर्त स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो अरब गणराज्य ने क्या शर्तें रखी हैं ; और

(ग) उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अरब राष्ट्रों को बातचीत के लिए सहमत कराने के लिए भारत का क्या योगदान है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने अमरीका के प्रस्ताव बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिये हैं जिनमें 90 दिवसीय युद्ध विराम एवं 22 नवम्बर, 1967 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संस्ताव की शर्तों के अनुसार इस क्षेत्र में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति लाने के लिए राजदूत जारिंग के प्रयत्नों को पुनर्सक्रिय करने की आवश्यकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार पश्चिम एशिया में तनाव समाप्त करने के लिए हाल ही में उठाये गए कदमों का स्वागत करती है। राजदूत जारिंग इस समय संघर्ष रत पार्टियों से सम्बन्ध बनाये हुए हैं और भारत सरकार नवम्बर 1967 के सुरक्षा परिषद के संस्ताव की व्यवस्थाओं की शर्तों के अनुसार उनके समझौते को व्यावहारिक रूप देने में प्रयत्नशील है, भारत सरकार पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति बनाये रखने के लिए इसे अनिवार्य समझती है।

परमाणु विद्युत संयंत्रों में प्लूटोनियम का उत्पादन

3999. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु संयंत्र और राणा प्रताप सागर विद्युत संयंत्र में 400 किलोग्राम प्लूटोनियम तथा कल्पक्कम संयंत्र में 200 किलोग्राम प्लूटोनियम का उत्पादन हो सकता है ; और

(ख) क्या भारत उस प्लूटोनियम से हिरोशिमा किस्म के कम से कम 60 प्लूटोनियम बम बना सकता है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजली घर में प्रतिवर्ष लगभग 115 किलोग्राम प्लूटोनियम का उत्पादन होने की सम्भावना है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिट कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 180 किलोग्राम प्लूटोनियम का उत्पादन करेंगे तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर का एक यूनिट प्रतिवर्ष लगभग 90 किलोग्राम प्लूटोनियम का उत्पादन करेगा।

(ख) प्लूटोनियम का बमों में प्रयोग किया जाना इसकी आइसोटोपीय संरचना पर निर्भर करता है। हम इस बात के लिए बचनबद्ध है कि तारापुर तथा राजस्थान स्थित परमाणु बिजली-घरों में पैदा हुए प्लूटोनियम का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किया जायेगा। दोनों बिजलीघरों के लिये द्विपक्षीय संरक्षण की व्यवस्था है। परमाणु उर्जा का विकास केवल मात्र शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिए करने की भारत सरकार की नीति इस सदन में अनेक बार घोषित की जा चुकी है।

पश्चिमी जर्मनी द्वारा भारतीयों पर प्रतिबंध

4000. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी ने भारतीय पर्यटकों पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रतिबन्ध क्या हैं ;

(ग) क्या अन्य योरोपीय देशों ने भी ऐसे ही प्रतिबन्ध लगाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों ने भारत से आने वाले आगन्तुकों पर कुछ प्रतिवन्ध लगाये हैं ऐसी रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार ने इस मसले पर संबद्ध देशों से बातचीत की है । इन राज्यों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पर्यटक के रूप में आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के साथ अन्य देशों से आने वाले पर्यटकों से अलग बर्ताव नहीं किया जाता है ।

नैप्था का आयात

4001. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निर्यात संवर्धन योजना अधीन नैप्था के आयात की अनुमति देने की एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विद्रोही नागाओं को पश्चिम जर्मनी की ओर से नैतिक तथा ठोस समर्थन

4002. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मई, 1970 के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया कि पश्चिम जर्मनी ने विद्रोही नागाओं को नैतिक तथा ठोस समर्थन देना स्वीकार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार की सत्यता का पता लगाने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने पूछताछ की है । रिपोर्ट में कोई सचाई नहीं है ।

रेयन धागे की कीमत

4004. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैरिफ आयोग ने रेयन धागे पर रिपोर्ट सरकार को दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान देश में छोटे रेयन कातने वालों को राहत देने के लिए ट्रावनकोर रेयन्स के चेयरमैन के प्रकाशित बयान की ओर दिलाया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) टैरिफ आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन है और जैसे ही उसमें दी गई सिफारिशों पर विनिश्चय किये जायेंगे, रिपोर्ट और तत्सम्बन्धी संकल्प सभा-पटल पर रख दिए जायेंगे ।

(ग) जी नहीं ।

चाय कम्पनियों का मुनाफा

4005. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1970 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गत 3-4 वर्षों में चाय कंपनियों के मुनाफे में काफी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) चुनी हुई कंपनियों से संबंधित, वर्ष 1965-66 से 1967-68 तक के तीन वर्षों के तुलन पत्रों के अनुसार चाय कंपनियों के मुनाफे में कमी नहीं आई है । उत्तरवर्ती अवधि के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह बताना कठिन है कि मुनाफे की प्रवृत्ति यथापूर्व कायम है या नहीं ।

ऊन के वितरण की नीति

4006. **श्री शशि भूषण** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 29 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1959 तक की अवधि में जिन वास्तविक उपयोग करने वाले हौजरी निर्माताओं की कोई खपत नहीं थी उनको ऊन के वितरण की नीति में क्या प्रावधान है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश में उन 61 फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें 6,10,000 रुपये की यह राशि वितरित की गई थी ;

(ग) उनको ऊन का कोटा मंजूर करने से पहले कपड़ा आयुक्त द्वारा कच्चे माल के उपयोग और मशीनरी के होने की मौके पर जांच न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या श्री राजकुमार सोनी के सम्बन्ध में मशीनों के होने और कच्चे माल के उपयोग के बारे में हिमाचल प्रदेश के उद्योग निदेशक से मालूम किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). जैसाकि पहले बताया जा चुका है, हौजरी क्षेत्र के वास्तविक उपभोक्ताओं को कच्ची ऊन के आवंटन के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य नीति में आधारभूत अवधि के दौरान विगत खपत से असम्बद्ध सीमित परिमाण के तदर्थ आवंटन की व्यवस्था है। अक्तूबर, 1969 से मार्च, 1970 तक की अवधि में हिमाचल प्रदेश खनन तथा औद्योगिक विकास निगम को, जो हिमाचल प्रदेश सरकार का एक उद्यम है, राज्य के हौजरी एककों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए 6,10,000 रु० का एक विशेष आवंटन किया गया है। चूंकि आवंटन राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को किया गया है, अतः आवश्यक सत्यापन करना उनका कर्तव्य है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिकांश एककों की जांच की चुकी है।

निगम द्वारा अभी तक इन एककों को कोई वास्तविक आवंटन नहीं किया गया है, सभी एककों के मामले में अपेक्षित सत्यापन हो जाने पर ही आवश्यक माल दिया जायेगा। राज्य सरकार ने यह पुष्टि कर दी है कि श्री आर० के० सोनी के नाम से कोई हौजरी एकक पंजीयित नहीं है।

अधिकतम संख्या में शक्तिचालित करघों वाले उद्योगपति

4007. **श्री शशि भूषण** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 29 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने शक्तिचालित करघे हैं ;

(ख) किसी एक उद्योगपति के पास अधिकतम शक्तिचालित करघे कितने हैं और उनकी संख्या कितनी है और उस उद्योगपति का नाम तथा पता क्या है ;

(ग) उक्त भाग (ख) में उल्लिखित उद्योगपति ने किस तिथि को विद्युत चालित करघे खरीदे थे और एक ही समय पर कितने शक्तिचालित करघे खरीदे ;

(घ) शक्तिचालित करघों वाले उद्योगपतियों को कितनी-कितनी ऊन आवंटित की गई है ; और

(ङ) क्या कोटा नियत करने से पहले सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे शक्ति-चालित करघे वास्तव में विद्यमान हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण विकास और रोजगार में समन्वय के लिए केन्द्रीय समिति

4008. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार में समन्वय के लिए एक समिति की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) ऐसी समितियां कितने राज्यों में स्थापित की गई हैं ; और

(घ) ऐसी समितियां स्थापित करने के बारे में राज्य सरकारों की यदि कोई प्रतिक्रिया हुई है तो वह क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति का सम्बन्ध नीचे लिखे कार्यक्रमों को तैयार करने, उनकी प्रगति की समीक्षा करने, सभी उपयुक्त स्तरों पर उनमें समन्वय सुनिश्चित करने और उपयुक्त अवधियों में उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करने से होगा :—

(1) संभावित जीवन क्षमता वाले किसानों के लिए छोटे किसानों के विकास अभिकरण स्थापित करना

(2) उप-सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण दस्तकारों के लिए इसी प्रकार के अभिकरण स्थापित करना

(3) शुष्क-भूमि कृषि परियोजनाएं

(4) बहुधा सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण निर्माण कार्य आदि के लिए गैर-योजना परियोजनायें

(ग) और (घ). जिनसे विचार-विमर्श किया गया है उन सभी राज्य सरकारों ने छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के विकास के कार्यक्रमों की समीक्षा और समन्वय के लिए राज्य स्तर की समितियां स्थापित करने के बारे में अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है । अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में इस प्रकार की समितियां गठित की गई हैं ।

यह भी आशा है कि जिन राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्रों में ग्राम निर्माण कार्य आरम्भ किये गये है उनमें उनके मार्गदर्शन, आयोजना और पुनरीक्षण के लिए राज्य स्तर की समितियाँ गठित की जायेंगी ।

18वीं पंजाब रेजीमैंट द्वारा मैसर्स तिलकसंस से शराब की खरीद

4009. **श्री सूरज भान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3434 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18वीं पंजाब रेजीमेंट ने, जब इसकी यूनिट गुरूदासपुर (पंजाब) में थी, मैसर्स तिलकसन्स से कितनी मात्रा में तथा किस दर पर शराब खरीदी थी ;

(ख) क्या उक्त शराब लाइसेंस पर खरीदी गई थी यदि हां, तो लाइसेंस का नम्बर क्या है और यह लाइसेंस गुरूदासपुर के उप-आयुक्त ने किस तिथि को जारी किया था ;

(ग) यदि यह शराब बिना किसी लाइसेंस के खरीदी गई थी तो इस गंभीर भूल के लिए उत्तरदायी आफीसर कमांडिंग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) यदि खरीदी गई शराब की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जिससे इतना लाभ नहीं हो सकता है कि मैसर्स तिलकसन्स द्वारा ऐसी कीमती ट्राफी दिये जाने को उचित ठहराया जा सके तो क्या सरकार इस सौदे की जांच करेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्र सिंह महीडा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को सक्रिय बनाने में कम्बोडिया का विरोध

4010. **डा० म० संतोषम्** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कंबोडिया के प्रधान मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनः सक्रिय करने का विरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Persons Knowing Indian Languages in Ceylon

4011. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the number of those persons in Ceylon who speak any of the Indian languages ; and

(b) if so, how their number compares with those whose languages is Sinhalese or any other foreign language ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) According to the 1965 Census report of Ceylon Tamil-speaking people form 20% of the total population of Ceylon. Although figures relating the persons who speak other Indian languages are not available, their numbers are known to be negligible.

(b) Sinhalese is spoken by 70% of the population of Ceylon.

Kachhativu Island Dispute

4012. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by the Government of India to counter the claim of Ceylon on Kachhativu Island which was made some years back ; and

(b) whether Kachhativu Island is still a disputed territory ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). The question of sovereignty over the uninhabited Island of Kachhativu continues to be the subject of discussions between the Governments of India and Ceylon. There has been no change in the situation since the matter was last raised on the floor of the House on 8th April. 1970.

सशस्त्र सेना के अधिकारियों में वृद्धि

4013. **श्री प्रेम चंद वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 10 वर्षों में सशस्त्र सेना में अधिकारियों की नियुक्ति में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में उसी अनुपात से वृद्धि हुई है ;

(ग) वर्ष 1960 में (राजपत्रित) अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी थी तथा इस समय उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार अगले वर्ष संख्या में और वृद्धि करने का विचार कर रही है ; यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). चूंकि देश की सुरक्षा की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं का प्रसार हुआ है, गत 10 वर्षों में अफसरों और अवर श्रेणियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ). यह विस्तार प्रकट करना लोकहित में न होगा ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार

4014. **श्री प्रेम चंद वर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था तथा इन वर्षों में निर्यात की प्रमुख वस्तुयें क्या थीं ; और

(ख) सरकार ऐसे क्या ठोस कदम उठा रही है जिससे निर्यात तथा आयात यथा सम्भव सरकारी क्षेत्र के द्वारा किये जायें ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—4064/70]

सशस्त्र सेना मुख्यालय में स्टेनोग्राफर सेवा का पुनर्गठन

4015. **श्री क० लकप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य प्रशासन अधिकारी को सम्बोधित किये गये उनके मंत्रालय के पत्र संख्या 97313/सी०ए०ओ०/डी०पी०सी०/490/एस०/डी० (एस्ट-1/जी०पी०2) दिनांक 2 जुलाई, 1970 के अनुसार सशस्त्र सेना मुख्यालय में स्टेनोग्राफर सेवा का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो देरी होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) इसका पुनर्गठन किस तिथि से किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह महीडा) : (क) से (ग). सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों की आशुलिपिक सेवा को पुनसंगठन के लिए सरकार की स्वीकृति जारी हो गई है। भर्ती के संशोधित नियम गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के सलाह मशविरे से तैयार किये जा रहे हैं। नियमों को अन्तिम रूप-रेखा देने के लिए शीघ्र प्रयास किये जा रहे हैं।

परमाणु क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच करार

4016. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** 29 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5.11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार की क्रियान्विति के ब्यौरे पर इस बीच विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) परमाणु शक्ति का औद्योगिक तथा अन्य कार्यों के लिए उचित पैमाने पर उपयोग होना सम्भवत: कब तक आरम्भ हो जायेगा तथा तत्सम्बन्धी अनुमान का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में धिमाजी तथा उत्तर लखीमपुर स्थित बांध तथा जल निकास विभाग की बाढ़ नियंत्रण शाखा से प्राप्त अभ्यावेदन

4017. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 29 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 586 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आसाम सरकार की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भारत सरकार ने सूचित किया है कि उनका एक प्रवर अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है ।

Setting up of a Naga Regiment

4018. **Shri N. R. Laskar :** **Shri Mayavan :**
Shri Devindar Singh Garcha :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Union Government have decided to raise a new Army Regiment called the Naga regiment ;

(b) if so, what will be its composition ; and

(c) the reasons for raising such a regiment ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). Yes, Sir. The Government have announced on the 1st August. 1970, the raising of a new Army regiment called the 'Naga Regiment'. This regiment, while largely composed of recruits from Nagaland, will also have recruits from other hill regions of India. The regiment is being raised in order that the Naga people may fulfil their desire to play their due role in the Defences Forces of India.

बंगाली रेजिमैंट का बनाया जाना

4019. **श्री समर गुह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमाओं रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, राजपूत रजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट आदि के नाम क्षेत्र, जाति समुदाय तथा धर्म के आधार पर रखे गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बंगाली रेजिमेंट को जिसे ब्रिटिश सरकार से उसकी देश भक्ति पूर्ण गतिविधियों के कारण तोड़ दिया था, पुनर्गठन करने से इन्कार करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जैसा कि 5-8-1970 की तारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर में स्पष्ट किया गया था, यह नाम और रेजिमेंटों कुछ वर्ग विरचना,

ऐतिहासिक कारणों और परम्परा के कारण जारी रहने दी गई है। इन नामों के होते हुए भी भर्ती का कुछ प्रतिशत अन्य क्षेत्रों और जातियों के व्यक्तियों के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

(ख) इस सम्बन्ध में ध्यान सदस्य महोदय के तारांकित प्रश्न संख्या 1427 को 24-4-68 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

रूसी हथियारों के लिए फालतू पुर्जे

4020. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री स० कुण्दू :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप सच है कि रूस द्वारा भारत को सप्लाई किये गये हथियारों तथा सैनिक उपकरणों के फालतू पुर्जे पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ख) सरकार ने देश को फालतू पुर्जों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) यू०एस०एस०आर० द्वारा सप्लाई किए गए आयुधों और साजसामान के लिए फालतू पुर्जों की प्राप्ति में किस प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं हुई, कुछ विलम्ब हुए हैं ; और वह दूसरे देशों से फालतू पुर्जों की प्राप्ति की दशा से कोई अधिक नहीं है। भारत में इन साजसमानों के लिए फालतू पुर्जों को वास्तविक प्राप्यता असंतोष-जनक नहीं समझी गई।

(ख) किसी मद का आयात करते समय या देशीय उत्पादन का आश्रय लेते समय बचत और लागत क्षमता विचारों को सामने रखा जाता है। क्योंकि अधिक फालतू पुर्जों के उत्पादन के लिए क्षाम पदार्थों के लिए हम विदेशी साधनों पर निर्भर हैं, जहां कोई मद देशीयतः उत्पादित की जाती है क्षाम पदार्थों की पर्याप्त राशियें भारी राशि में आयात की जाती हैं। आयात साजसामानों में अधिक के लिए फालतू पुर्जों का देशीय उत्पादन, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा हस्तगत किया गया है, और कुछ मदें अब तक उत्पादित कर भी ली गई हैं।

एजेंटों द्वारा विदेशी शक्तियों को गुप्त जानकारी भेजने के उद्देश्य से गुप्त जानकारी एकत्र करना

4021. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ एजेंट सुरक्षा व्यवस्था के बारे में गुप्त जानकारी एकत्र करने में लगे हैं और ये उक्त जानकारी विदेश शक्तियों को भेजते हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बारे में उचित कार्यवाही करेगी और उनके प्रयासों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). अपनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामले के सम्बन्ध में विदेशी शक्तियों द्वारा गुप्तचरी सूचना करने के एजेंटों द्वारा प्रयासों का सरकार को ज्ञान है। ऐसे प्रयासों की रोक थाम के लिए पग उठाए गए हैं।

डिफेंस इंस्टीटयूट आफ वर्क्स स्टडी, लंडोर (मसूरी)

4022. **श्री विक्रम चंद महाजन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने अपने 1967-68 के प्रतिवेदन (पैरा 48) में यह सुझाव दिया था कि डिफैंस इंस्टीट्यूट आफ वर्क्स स्टडी, लंडोर (मसूरी) को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और यदि हाँ, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जब से एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशें की गई थी, सरकार ने इस संस्थान को पुनः किसी और स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर कई बार विचार किया है।

व्यय में बचत, बचत अभियान, संस्थान के उचित स्थान की अप्राप्यता, और संस्थान द्वारा इस समय धारित भवनों के वैकल्पित उपयोग की आवश्यकता के समक्ष प्रस्ताव को निलम्बित रखने का निर्णय किया गया था।

सिकन्दराबाद में रक्षा प्रबन्ध संस्थान के निर्माण के साथ लंडोर छावनी मसूरी के डिफेंस इंस्टीट्यूट आफ वर्क स्टडी का नियंत्रण इस संस्थान की अन्तरण विचाराधीन है, कि जिसके दौरान डी० आई० डब्लयू० एस० को पुनः किसी और स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर फैसला किया जाएगा।

रुई का आयात

4023. **श्री लतीफ अली खां** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सूती कपड़ा उद्योग ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की रुई का आयात हुआ ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) :

(करोड़ रुपये में)

	1967-68	1968-69	1969-70
	110.21*	123.44*	141.75*
	*कच्ची रुई के निर्यातों को मिला कर ।		
(ख)	83.48	90.18	82.78

तमिल पत्रिकाओं के श्रीलंका में आयात पर श्रीलंका सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध

4024. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार का दक्षिण भारत की तमिल पत्रिकाओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). समाचार प्राप्त हुए हैं कि श्रीलंका, विदेशी मुद्रा की बचत के लिए भारतीय पत्रिकाओं, मुख्यतः तमिल और मलयालम पत्रिकाओं, के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने वाली है । हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं किया गया है फिर भी श्री लंका की सरकार ने खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत होने वाले आयातों को, जिसमें पत्रिकाओं सहित विभिन्न मदें आती हैं, रोक दिया है ।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समय हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

जूतों के उत्पादन के लिए संयंग सप्लाई करने के संबंध में सोवियत प्रस्ताव का रद्द किया जाना

4025. **श्री देविंदर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष 20 लाख जोड़े जूतों का उत्पादन करने की क्षमता वाले सम्पूर्ण संयंत्र की सप्लाई करने के सोवियत प्रस्ताव को किस आधार पर रद्द किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : सरकारी क्षेत्र के जूते बनाने वाले टैफ्को के आधुनिकीकरण के लिये तकनीकी सहायता प्राप्त करने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है ।

वियतनाम समस्या को सुलझाने के लिये बौद्धों का सम्मेलन

4026. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्ध संघर्ष समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वह वियतनाम समस्या का हल खोजने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के सभी बौद्ध देशों का सम्मेलन बुलाने में पहल करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Funds for Ballia - Beral Dam

4027. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the revised estimate of Ballia-Beria dam has been raised to Rs. 2.50 crores ;

(b) whether the Planning Commission has earmarked Rs. 2 crores to the Uttar Pradesh Government for flood control for the year 1970-71 and has asked the Uttar Pradesh Government to spend Rs. 70 lakhs out of the said amount on the Ballia-Beria dam and the Uttar Pradesh Government have not reacted to it favourably ;

(c) whether the Uttar Pradesh Government want additional assistance of Rs. 2 crores 50 lakhs for the said dam from the Central Government ; and

(d) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). According to the latest estimate prepared by the Government of U. P., the Ballia Beria Dam is estimated to cost Rs. 2 58 crores. In September, 1969 the Government of Uttar Pradesh had asked for a special assistance of Rs. 3.00 crores for undertaking flood control works and repairs to important bunds including the Ballia Beria Bund. However this could not be agreed to as the flood control schemes are to be taken up and executed as a part of the State Plan Schemes for which Central assistance is released in the form of block loans and grants without being tied to a particular scheme. The State Governments are free to spend the amount on any scheme according to its relative urgency.

During as 1970-71, the allocation for flood control for U. P. was raised by the Planning Commission from Rs. 1.5 crores to Rs. 2 00 crores which included an earmarked out lay of Rs. 70 lakhs for the Ballia Beria Dam. The State Government have not agreed to this arrangement and have requested that no amount should be earmarked for Ballia Beria Dam as the whole of the outlay for the current year stands committed for other urgent schemes. The request is under consideration in the Planning Commission.

विदेशी सांस्कृतिक केंद्रों को पुन: खोलना

4028. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत मई में बन्द किये गये विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को पुन: खोलने की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पहले के निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 12 अगस्त 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 388 का उत्तर देते समय स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

भारतीयों से अफ्रीका छोड़ने की मांग

4029. **श्री दे० अमात** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीका के एक से अधिक देशों में भारतीयों से कहा जा रहा है कि वे उन देशों को छोड़ जायें ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) कीनिया, उगाण्डा, तन्जानिया, मालावि, घाना आदि जैसे कुछ अफ्रीकी देशों ने व्यवसाय, व्यापार और नियोजन के क्षेत्रों में, अपने राष्ट्रिकों को अधिमान्यता देने के उद्देश्य से उन क्षेत्रों में गैर राष्ट्रिकों के स्थान पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कुछ वैधानिक तथा अन्य उपाय किए हैं। इन उपायों का प्रभाव जो अफ्रीकीकरण की नीति के अनुपालन में किए गए हैं उन सभी गैर-नागरिकों पर पड़ता है, जिनमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, चाहे वे किसी राष्ट्र वा जाति के हों। इन गैर-नागरिकों में कई लोगों को जिन पर इन उपायों का असर पड़ा है इन देशों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है।

(ग) सम्बद्ध राष्ट्रीय सरकार ने ये उपाय अपने प्रभुसत्तात्मक अधिकार का प्रयोग करते हुए किया है। भारतीय मूल के जिन अधिकांश लोगों पर इनका असर पड़ा है, वे ब्रिटिस पासपोर्टधारी हैं और भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार पर बार-बार इस बात के लिए जोर दिया है कि इन लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी स्पष्ट उन पर है।

भारत सरकार ने भारतीय मूल के उन प्रभावित लोगों को, जो पूर्व अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत आना चाहते हैं, उदारता से सीमाशुल्क संबंधी रियायत तथा व्यापार आयात नियंत्रण रियायत देने का निश्चय किया हैं।

बम्बई में रूसी व्यापार कार्यालय भवन के बारे में गृह कार्य मंत्रालय का प्रतिवेदन

4030. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में मुख्य मन्त्री के आवास के ठीक सामने रहस्यात्मक ढंग से बनाये जा रहे रूसी व्यापार मिशन के भवन के बारे में उनके मन्त्रालय को प्रस्तुत किये गये गृह कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन पर विचार लिया गया है ;

(ख) उस भवन में एक व्यापार मिशन स्थापित करने के बारे में रूसी दूतावास के अवरोध को रद्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या रूसी दूतावास ने बम्बई के घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस प्रकार का भवन बनाने के कारण बताये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) ; (क) इस विषय पर गृह मन्त्रालय के साथ पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था ।

(ख) रूसी राजदूतावास के इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया गया है ।

(ग) निर्माण स्थल को पट्टा पर देना और भवन निर्माण करना हमारे नियमों तथा मान्य राजनयिक मान दंडों के प्रतिकूल नहीं हैं ।

भारत के चीन और पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला करने की स्थिति में होने के बारे में प्रतिरक्षा मन्त्री का वक्तव्य

4031. **श्री रवि राय** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 2 अगस्त, 1970 को करांची में कहा था कि भारत अब चीन और पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला करने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने ऐसे आक्रमण का मुकाबला करने के लिए देश की सशस्त्र सेनाओं को तैयार करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में कि आया हम पाकिस्तान और चीन के इकट्ठे आक्रमण के विरुद्ध हम अपनी रक्षा कर पाने को तैयार हैं, रक्षा मन्त्री ने बताया कि हमें इसके लिए निरन्तर तैयार रहना है ।

(ग) हमारी रक्षा तैयारी देश के सामने आने वाले संकटों के परिणाम का ध्यान रहता है ।

दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई के विरुद्ध विश्व जनमत को पक्ष में करना

4032. **श्री रविराय** :

श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री करने के निर्णय के विरुद्ध विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए जाम्बिया तथा तंजानिया से सम्पर्क स्थापित करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पूर्व अफ्रीकी देशों के साथ इस संबंध में उभयक्षीय बातचीत आरम्भ करने की क्या विशिष्ट कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालल में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) अधिकांश राष्ट्रमंडल देश और लगभग समस्त विश्व की यही मत है और ये ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री पुनः शुरू करने के बारे में भारत सरकार की ही तरह चिन्तित है। भारत सरकार इस मसले पर जाम्बिया एवं तन्जानिया सहित राष्ट्रमंडल देशों से सम्पर्क बनाये हुए है।

(ख) आम जन चेतना यह है कि इस मसले पर ओ० ए० यू० जैसी गोष्ठियों एवं गुटमुक्त सम्मेलनों में विचार होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार लुसाका में होने वाले गुटमुक्त शिखर सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार विमर्श करने की तैयारी कर रही है।

अफ्रीका को शस्त्रों की सप्लाई के मामले को गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उठाना

4033. **श्री रवि राय :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों के लुसाका में होने वाले आगामी सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को शस्त्रों की पुनः सप्लाई करने के मामले को उठाने का निर्णय किया है ; और

(ग) सरकार ने ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को अब से आगे शस्त्र सप्लाई करने के विरुद्ध इन देशों की राय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि दक्षिण अफ्रीका को हथियार सप्लाई किए जाएं। भारत समान विचारधारा वाले सभी देशों से सम्पर्क बनाए हुए है और स्थिति का मुकाबला करने के लिऐ उनसे सहयोग करेगा।

खाल का निर्यात

4034. **श्री वंश नारायण सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से अन्य देशों को खाल के निर्यात के लिए निश्चित किये गये कोटे से निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ कृपापात्र बड़े निर्यातकर्त्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है जिनका इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले इसका निर्यात केवल दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों को किया जाता था जबकि अब उसका निर्यात मुख्य रूप से रूस को किया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार का अपने इस निर्णय में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). चमड़े के निर्यात पर अधिक इकाई मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से 1959 में बकरी की कच्ची चमड़ियों के निर्यात पर कोटा प्रतिबन्ध लागू करने का विनिश्चय किया गया। निर्यात कोटे में शनैः शनैः कमी की नीति का प्रभाव पड़ा कि सहज रूप में कच्ची चमड़ियों के स्थान पर कमायी हुई चमड़ियों का निर्यात होने लगा है। 1970 के लिए, सुस्थापित निर्यातकों के सर्वश्रेष्ठ वर्ष के निर्यात का 15 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है और अनुमान है कि वर्ष 1973-74 तक कच्ची चमड़ियों का निर्यात पूरी तरह से बन्द हो जायेगा।

1968-69 तथा 1969-70 में सोवियत संघ द्वारा कच्ची चमड़ियों की खरीद कच्ची चमड़ियों के कुल निर्यात का क्रमशः 48 प्रतिशत तथा 62 प्रतिशत थी।

रूसी मानचित्र में 'नेफा' को चीनी भूभाग के रूप में दिखाया जाना

4035. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कः :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय भूभाग के कुछ भागों को चीनी भूभाग के रूप में दिखाने के बारे में भारत सरकार ने कितने मामलों की ओर रूस सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) प्रत्येक मामले में उस सरकार ने क्या उत्तर दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में प्रकाशित उसी विश्वकोश में 'नेफा' को चीनी भूभाग के रूप में दिखाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रश्न पर सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार ने कम से कम दस बार सोवियत सरकार का ध्यान उनके नक्शों की गलतियों की ओर दिलाया है।

(ख) कुछ समय पहले तक तो वे यह ही उत्तर देते थे कि ये नक्शे पुराने हैं और हमारे विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं। और अभी हाल ही में यह मामला जब उनके साथ उठाया गया तो सोवियत प्राधिकारियों ने हमें यह बताया है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर उनके मानचित्र कार और विशेषज्ञ तकनीकी ढंग से विचार कर रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि सोवियत संघ भारत की प्रादेशिक अखण्डता का पूरा सम्मान करता है और यह कि इस तरह के नक्शों में सीमाओं का गलत दिखाया जाना भारत की सीमाओं के प्रति सोवियत संघ के सम्मान और समझ का कोई प्रतीक नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) इस गलती की ओर मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास ने 22 जून 1970 को सोवियत विदेश कार्यालय का ध्यान आकर्षित किया था।

Filling up Higher Posts in Indian Embassies Abroad

4036. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a proposal to fill up about 400 high-level posts lying vacant in our Missions abroad ; and

(b) manner in which the posts are being filled up ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. There are at present only 11 senior posts lying vacant in our Missions abroad. Of these, 4 are newly created ones.

(b) Officers have already been selected to fill 7 of these vacancies, and steps to fill the remaining 4 are also being taken in the normal administrative course.

अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र का पुन: खोला जाना

4037. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीकी राजदूतावास को यह बता दिया है कि वे अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों को पुन: खोल सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्य संचालन को नियमित करने के लिए सरकार ने क्या शर्तें निर्धारित की हैं ; और

(घ) सरकार को उनके योजना के सम्बन्ध में अमरीका और रूस सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। 12 अगस्त 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 388 का उत्तर देते समय स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Representations for Construction of Bridges over Tirhut Canal under the Gandak Scheme

4038. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received several representations from the public for the construction of bridges in Harnahi and Baranraj villages and at 581 R. D. over Tirhut main canal under Gandak scheme ; and

(b) if so, the time by which necessary action is proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). No representations have been received by the Central Government in this regard. However, the local officers of the State Government have been asked to furnish a detailed report on the subject, which is awaited.

Execution of Bagmati Project, Bihar

*4039. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar has announced to undertake the work of Bagmati project this year :

(b) if so, the progress made in this regard and the time by which the work in this regard is likely to be undertaken ;

(c) the estimated expenditure likely to be incurred on the implementation of Bagmati Project Scheme and the amount of Central assistance out of it ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). Phase I of the Bagmati Project, envisaged to cost Rs. 5.78 crores, has been approved by the Planning Commission for inclusion in the developmental plants of Bihar. A provision of Rs. 2.8 crores has been made in the Fourth Plan for this new project, which is likely to be completed in all respects by early Fifth Plan.

Central assistance to States implementation of their developmental plans is given in the form of block loans and grants and is not related to any individual schemes or group of schemes or head of development.

Setting up of Thermal Power Station at Motipur in North Bihar

*4040. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is dire necessity of electricity in North Bihar ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government for setting up a thermal power station at Motipur in North Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes.

(b) A scheme for installation of a new thermal power station near about Muzaffarpur is under formulation by the State authorities.

The location of a thermal power station at Motipur has not been considered feasible for the present mainly because broad-gauge railway siding facilities for the transporting of coal are likely to be made available earlier at Muzaffarpur.

Erosion of Burhi Gandak River at Bariyarpur, Bihar

4041. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no action is being taken to save permanently the Motipur Sugar Mill, Railway line and the National High-way from the erosion of Burhi Gandak

river at Bariyarpur near Motipur of District Muzaffarpur in Bihar in spite of the assurances given by him in this regard and the erosion is still persisting during this year ?

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Central Government purpose to help the State Government in this respect; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). No report of erosion by the Burhi Gandak during the current flood season has been received. The Government of Bihar have reported that the Motipur Sugar Mill, Railway line and National Highway are safe from the floods of Burhi Gandak at Bariyarpur near Motipur in Mazaffarpur District. They have further reported that permanent measures for checking erosion on the right bank will be considered on completion of model studies which are in progress and results of which are expected within about two months.

(c) and (d). Initiation, formulation and execution of flood control works is the responsibility of the State Government. The Central Government give such technical assistance as may be required by them.

राजस्थान के इंजीनियरों द्वारा जल संसाधनों संबंधी पृथक मन्त्रालय की मांग

4042. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सिंचाई इंजीनियरों के सम्मेलन में जल संशाधनों के लिए एक पृथक मन्त्रालय की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). समाचार पत्रों में छपी इस रिपोर्ट को देख लिया गया है कि राजस्थान सिंचाई इंजीनियरों के एक सम्मेलन में जल संसाधनों के एक पृथक मन्त्रालय की मांग की गई है। राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

केन्द्रीय स्तर पर, देश भार में जल संसाधनों के विकास के लिए समन्वय का काम इस समय सिंचाई व विद्युत मन्त्रालय कर रहा है । राजस्थान के जल संसाधन अपेक्षतया बहुत थोड़े हैं और राज्य की सिंचाई हेतु पानी की बहुत सी आवश्यकताओं के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है । राजस्थान की आवश्यकताएं मान्य हैं और सिंचाई व विद्युत मन्त्रालय ने यथा-सम्भव अन्य राज्यों से पानी लेकर राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूतकाल में सभी सम्भव प्रयत्न किए हैं और कर रहा है । इन परिस्थितियों में यह अनुभव किया जाता है कि राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संसाधनों के किसी अलग मन्त्रालय को कोई जरूरत नहीं है ।

पारादीप पत्तन से अयस्क का निर्यात

4043. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 से 1974-75 तक पारादीप पत्तन से जापान, रूमाविया तथा अन्य देशों को कितने टन अयस्क का निर्यात किया जाएगा ;

(ख) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम से रेलवे ने हाल ही में यह अनुरोध किया है कि वह उड़ीसा के उस क्षेत्र में अयस्क यातायात के सम्बन्ध में पूर्वानुमान बतावें जहां तालचेर बिमलगढ़, कोयरा-बांसपारी रेलवे लाइन बिछाये जाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है जो पारादीप पत्तन से लाया जाएगा और वहां से बाहर भेजा जाएगा ;

(ग) यदि हां, तो पारादीप पत्तन को भेजे जाने वाले अयस्क की मात्रा क्या होगी और क्या रेलवे को इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस मामले में उड़ीसा सरकार के खान विभाग का परामर्श भी लिया गया है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसके क्या विचार हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) वर्ष 1970-71 से 1974-75 तक पारादीप पत्तन से जापान, रूमानिया तथा अन्य देशों को लौह अयस्क की निम्नोक्त मात्राएं निर्यात किए जाने की संभावना है :—

मात्रा लाख टन में

देश	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
जापान	18.75	19.50	19.50	27.00	30.00
रूमानिया	7.10	9.00	9.00	10.00	10.00
अन्य देश	0.65	1.50	1.50	3.00	5.00
	26.50	30.00	30.00	40.00	45.00

(ख) से (घ). प्रस्तावित क्षेत्र में, तालचेर-बिमलगढ़, कोयरा-बंसपाती रेलवे लाइन बिछाए जाने के लिए यातायात सर्वेक्षण के सम्बन्ध में रेलवे प्राधिकारी, पारादीप पत्तन से प्रस्तावित रेलवे लाइन द्वारा खुलने वाले क्षेत्रों से लौह अयस्क से निर्यात की सम्भानाओं के सम्बन्ध में, विभिन्न स्रोतों से, जिनमें खनिज तथा धातु व्यापार निगम भी शामिल है, जानकारी एकत्र कर रहे हैं। सर्वेक्षण किये जाने वाले इस प्रस्तावित क्षेत्र में विद्यमान खानें तथा साथ ही उड़ीसा से मलांगटोली खांडधर खंड भी आ जायेंगे। खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विचार यह है कि वह इस मामले में अपनी राय रेल मंत्रालय को संबंधित सरकार राज्य विभागों के साथ विचार-विमर्श करके मलांगटोली निक्षेपों पर जी० एस० आई० के प्रतिवेदन (अब प्राप्त हो चुका है) का अध्ययन करने के बाद भेजेगा।

पश्चिमी कमान, शिमला, में मुख्य इंजीनियर द्वारा रखी जाने वाली अधीक्षकों की बी० आर० ग्रे० II को पदोन्नति सूची

4044. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कमान, शिमला, के मुख्य इन्जीनियर द्वारा अपनी कमान में बी०/आर० ग्रेड II के अधीक्षकों की पदोन्नति सूची रखी जाती है ;

(ख) उक्त सूची में प्रविष्टि के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हतायें क्या हैं ;

(ग) क्या पदोन्नति सूची में वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से होता है या विभागीय परीक्षा पास करने की तिथि से ;

(घ) इस पदोन्नति से सम्बन्धित नियम एवं सिद्धान्त क्या हैं और उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ङ) क्या पदोन्नति सूची में से कुछ ऐसे कर्मचारियों के नाम उड़ा दिये गए हैं जिनके नाम उसमें 1966 से चले आ रहे थे ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्रसिंह महीडा) : (क) एम०ई०एस० में सुपरेंटेंडेंट बी०/आर० वर्ग 3 का कोई वर्ग नहीं। इशारा शायद बी०/आर० ग्रेड II सुपरेंटेंडेंटों की ओर है। पश्चिमी कमान मुख्य इन्जीनियर ने बी०/आर० वर्ग II सुपरेंटेंडेंटों की बी० आर० वर्ग । सुपरेन्टेन्डेन्टों की पदोन्नति के लिए एक चयन सूची बना रखी है।

(ख) और (घ). बी०/आर० वर्ग II सुपरेन्टेन्डेन्ट की बी०/आर० वर्ग । सुपरेन्टेन्डेन्ट को पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यतायें भरती नियमों के दसवे स्तम्भ में दर्शाई गई हैं। जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4065/70]

(ग) वरीयता नियुक्ति की तिथि के अनुसार नियत की जाती है।

(ङ) और (च). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत और उत्तरी कोरिया के बीच व्यापार

4045. **श्री श्रीचंद गोयल** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1970 के अन्त तक भारत और उत्तरी कोरिया के बीच कितनी राशि का व्यापार हुआ ;

(ख) किन-किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया गया ; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार को बढाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जून 1970 से 30 जून 1970 तक भारत तथा कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के बीच केवल 21 लाख रुपये का व्यापार हुआ ।

(ख) भारत से निर्यातित एकमात्र मद हाई स्पीड डीजल आयल (21 लाख रु०) थी । इस अवधि में कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से किसी भी मद का आयात नहीं किया गया ।

(ग) हाल में हुई सरकारी व्यापारिक वार्ताओं में कुछ मदें अभिज्ञात हुई हैं । निर्यात आयात व्यवसाय को सुकर बनाने के लिये दोनों देशों के उद्यमों के स्तर पर सम्पर्क विकसित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Mis-use of Central Assistance for Harduaganj Project

4046. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the financial assistance given by the Central Government for the Harduaganj Project ;

(b) the number and value of boilers purchased from John Tomson Company for the said project ;

(c) the extent of loss sustained by Government so far due to the boilers not working to their capacity ;

(d) whether these boiler had been tested before commissioning and if not, the reasons therefor ;

(e) the name of the engineer who supervised the working of these boiler since the time of their purchase ; and

(f) whether the assistance given by the Central Government was properly utilised, if not, whether the Central Government propose to conduct an enquiry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No earmarked financial assistance was given by the Central Government for the Harduaganj Project.

(b) Four boilers at a total cost of Rs. 1,95,80,491.

(c) Boilers did not work according to the contracted efficiency. The extent of financial loss thus involved has not been assessed.

(d) The boilers were put into commercial operation subject to the performance test being carried out at a later date. However, the performance test has not yet been carried out in view of the fact that the contracts are still carrying out the modifications required for the contracted efficiency.

(e) Shri N. K. Bannerjee, who was Superintending Engineer from April 1960 to September 1965.

(f) Does not arise.

Casteism in the Matter of Appointment in Gandak Barrage Project

4047. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that preference is given by the high officials of the Barrage Department to the people belonging to their own castes in the matter of appointment in the Gandak Project ; and

(b) if so, the stepts Central Government propose to take to stop this irregularity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) Work on the Gandak Barrage is being executed by the Bihar Government and the officers working in the Barrage Division are Bihar Government officers. Their appointments etc. are under the administrative control of the State Government who have reported that unless concrete cases are cited it will be difficult to look into the matter.

कोचीन पत्तन पर विस्फोटक पदार्थों से भरे जहाजों के लिए घाट का निर्माण

4048. **श्री अदिचन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोचीन पत्तन पर विस्फोटक पदार्थों से भरे जहाजों के लिए घाट बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि कोचीन पत्तन पर विस्फोटक पदार्थों से भरे जहाजों के लिए घाट के रहने से बहुत सी नौवहन कम्पनियों ने पत्तन पर आना बन्द कर दिया है ; और

(ग) क्या सरकार को इस घाट को हटाने के बारे में कोचीन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्र सिंह महीडा) : (क) सरकार ने अभी हाल में कोचीन पत्तन पर विस्फोटक पदार्थों से भरे जहाजों के लिए कोई भी घाट नहीं बनाया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

तमिलनाडु में सूती कपड़ा मिलों को पुनः चालू किया जाना

4049. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम की स्थापना के पश्चात् तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में कितनी सूती कपड़ा मिलें पुनः चालू की गई हैं ;

(ख) उन मिलों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ;

(ग) अभी कितनी मिलों को पुनः चालू करना शेष है तथा अभी तक लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिला है ; और

(घ) उन्हें कब तक पुनः चालू किया जाएगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) ; (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के गठन के समय (अर्थात् 1-4-1968 को) बन्द पड़ी 8 में से 6 मिलें अब चालू हो चुकी हैं।

(ख) लगभग 5,300।

(ग) और (घ). जून, 1970 के अन्त तक कोयम्बटूर जिले में 4 मिलें बन्द पड़ी थी और इस का असर 2,500 कर्मचारियों पर पड़ा। इनमें से दो मिलों के सम्बन्ध में समापन करने के आदेश दिए जा चुके हैं जबकि एक मिल को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना उपयुक्त नहीं समझा गया है क्योंकि इसका आकार लाभप्रद स्तर का नहीं है और इसकी मशीनें पुराने ढंग की हैं। उपरोक्त अधिनियम के अधीन बाकी एक मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हैं।

लोहे के कबाड़ का निर्यात

4050. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु कबाड़ व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा तैयार की गई भारत में लोहे का कबाड़ विषयक रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार 1969-70 में निर्यात की जा सकने वाला फालतू कबाड़ लगभग 16,45,000 टन होगा ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में उपर्युक्त मात्रा में से कितने कबाढ़ का निर्यात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) धातु स्क्रैप व्यापार निगम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1969-70 में निर्यात के लिए उपलब्ध फालतू लौह स्क्रैप की अनुमानित मात्रा 4,32,300 मे० टन थी।

(ख) वर्ष 1969-70 में निर्यात की गई लौह स्क्रैप की कुल मात्रा 4,17,301 मे० टन थी।

लुधियाना के श्री राज कुमार सोनी द्वारा की गई अनियमितताएं

4051. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधियाने के राज कुमार सोनी नामक एक व्यापारी को पीतल का सामान तथा वर्तनों के लिए निर्यात लाइसेंसों को ऊन तथा संश्लिष्ट रेशे के लिये आयात लाइसेंसों में बदलने जैसी बहुत सी अनियमितताओं से सम्बद्ध पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन सौदों में कितनी मात्रा के तथा कितने मूल्य के लाइसेंस सम्मिलित हैं ;

(ग) इस जालसाजी में जिन व्यक्तियों ने उसको कथित रूप से अवप्रेरित किया, उनके क्या नाम हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने उसकी कबीर वूलन मिल्स के नाम से केश बांधने वाले धागे के उत्पादन के लिए कच्चे माल के आयात लाइसेंस देने को 'विकृत' बताया हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). जानकारी, जिस सीमा तक उपलब्ध है, एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चीन के प्रति सरकार का नर्म रवैया

4052. **श्री जि० ब० सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों के नामों को जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित चीनी स्वागत समारोह में भाग लिया था पहले वर्षों की भांति इस वर्ष नोट नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) क्योंकि ऐसे उपाय आवश्यक नहीं समझे जाते ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को कोयले की सप्लाई में कमी

4053. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को अपने विभिन्न विद्युत उत्पाक संयंत्रों के लिए कोयला अपेक्षित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले की इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त उपक्रमों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्द चीन समस्या का शांतिपूर्वक निपटारा करने के सम्बन्ध में रूस के उप-विदेश मन्त्री के साथ बातचीत

4054. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के उप-विदेश मंत्री द्वारा किये गये भारत के हाल के दौरे के समय उन्होंने हिन्द-चीन की समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिये रूसी पहल के बारे में उससे विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 5 अगस्त, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 222 का उत्तर देते समय यह सूचना सदन को दी जा चुकी है ।

नागालैंड के रंगमा क्षेत्र में नागा विद्रोहियों द्वारा छिप कर किए गए आक्रमण में मारे गए लोग

4055. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के रगमा क्षेत्र में नागा विद्रोहियों ने एक अधिकारी और कुछ जवानों पर मई, 1970 में छिपकर हमला किया था ;

(ख) इस हमले में कुल कितने लोग मारे गए थे ;

(ग) जो व्यक्ति घटना स्थल पर मर गये थे, उनके अतिक्ति क्या चार शव और भी मिले थे ;

(घ) ये शव कहां-कहां से किस-किस हालत में किस तारीख को प्राप्त हुए ; और

(ङ) क्या सरकार का ध्यान 20 मई, 1970 के 'स्टेट्समैन' में शव प्राप्त होने के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) मई 1970 के दौरान नागालैंड में किसी घात में सुरक्षा सेनाओं का कोई भी हताहत नहीं हुआ ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) जी हां, परन्तु रिपोर्ट सच नहीं ।

भारत में समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिए उत्तर कोरिया के दूतावास द्वारा विदेशी मुद्रा का बदला जाना

4056. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर कोरिया के महावाणिज्यि दूत द्वारा अब तक अर्थात् 25 जुलाई, 1970 तक भारत के विभिन्न समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापनों पर कुल या लगभग कितनी धन राशि खर्च की जिन्हें उनके 'प्रीमियर किम इल सुंग' का प्रचार करने के लिए प्रकाशित किया गया ; और

(ख) क्या उक्त धन राशि को भारत में सरकारी तौर पर उस विदेशी मुद्रा से बदला गया जो उन्हें अपनी प्योंगयोग सरकार से प्राप्त हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इस तरह के विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च हुआ यह पैसा कहां से आया ।

उत्तर कोरिया के विज्ञापन प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र

4057. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया के कौंसल जनरल द्वारा हाल ही में भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गये उन अनेक विज्ञापनों का सरकार को पता है जिनमें प्रधान मन्त्री (किम इल सुंग) का प्रचार किया गया है ; और

(ख) ये विज्ञापन किन-किन समाचार पत्रों में और किस किस तारीख को छपे थे ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस बारे में कई विज्ञापन सरकार के देखने में आए हैं ।

(ख) कुछ अंक निम्नलिखित है :—

1. हिन्दू	13-12-69
2. दी इंडियन एक्सप्रेस	2-2-70
3. दी स्टेट्समेन	5-2-70
4. दी अमृत बाजार पत्रिका	7-2-70
5. दी इंडियन एक्सप्रेस	26-2-70
6. हिन्दूस्तान स्टेन्डर्ड	2-3-70
7. पेट्रियेट	3-3-70
8. नेशनल हेरल्ड	11-3-70
9. दी इंडियन एक्सप्रेस	21-3-70
10. हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड	28-3-70
11. नेशनल हेरल्ड	7-5-70
12. दी इंडियन एक्सप्रेस	15-5-70
13. दीन दीवून	20-5-70
14. पेट्रियेट	25-5-70
15. पेट्रियेट	5-6-70
16. अमृत बाजार पत्रिका	18-6-70
17. हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड	19-6-70
18. दी इंडियन एक्सप्रेस	24-6-70
19. पेट्रियेट	25-6-70
20. पेट्रियेट	30-6-70

उत्तर कोरिया के कौंसल जनरल को चेतावनी

4058. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया के कौंसिल जनरल को हाल ही में और कुछ समय पहले भी मन्त्रालय में बुलाकर उनके द्वारा किए गये ऐसे भाषणों के लिये चेतावनी दी गई थी जिनमें उनके द्वारा भारत के मित्र देशों की भर्त्सना और निन्दा की गई थी और जिनमें उनके द्वारा भारत की भूमि से शीतयुद्ध का प्रचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो किस किस दिनांक और किस किस अवसर पर उन्हें चेतावनी दी गई तथा उत्तर कोरिया के कौंसिल जनरल की गतिविधियों के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). विदेश मंत्रालय ने समय समय पर उक्त प्रधान कौंसल का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि भारत के मित्र देशों की आलोचना करना उनके लिये अनुचित है ।

उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि मंडल का भारत का दौरा

4059. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1970 और 30 जून, 1970 के बीच उत्तर कोरिया के कितने तथा किस प्रकार के सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडलों ने भारत का दौरा किया है ; और

(ख) प्रतिनिधि मन्डलों के प्रत्येक सदस्य के नाम और हैसियत का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1970 से 30 जून, 1970 के बीच कोरियाई लोकतंत्रात्मक जन गणराज्य से निम्नलिखित तीन गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडल भारत आये :—

(1) अखिल भारतीय मजदूर संघ के निमंत्रण पर गुन्टूर में इसके 28वें अधिवेशन में शामिल होने के लिये एक मजदूर संघ प्रतिनिधिमंडल ।

(2) अखिल भारतीय भारत-कोरियाई ऐसोसियेशन के निमंत्रण पर कोरिया-भारत मैत्री एसोसियेशन का एक प्रतिनिधिमंडल ।

(3) भारत अफ्रो-एशियाई एकता समिति के निमंत्रण पर अफ्रो-एशियाई एकता प्रतिनिधिमंडल ।

(ख) (1) मजदूर संघ प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(i) श्री सिम जे सांग,
कोरिया, प्योंगयांग के मजदूर संघों की जनरल फैडरेशन की केन्द्रीय परिषद (सी०सी०जी०एफ०) के उपाध्यक्ष नेता

(ii) श्री इक जांग की,

कोरिया के सी०सी०जी०एफ० के सदस्य, प्योंगयांग

(iii) श्री रिम योंग जे,

कोरिया के सी०सी०जी०एफ० के सदस्य, प्योंगयांग

(2) कोरिया भारत मित्रता प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे :—

(i) श्री जुंग सेउंग ग्यू,

विदेश स्थित सांस्कृतिक संबंध के लिये डी०जी०आर०के० सोसाइटी के निदेशक एवं कोरिया-भारत सांस्कृतिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष — नेता

(ii) श्री वोय डाक सन,

कोरिया-भारत सांस्कृतिक सोसाइटी — सदस्य

(iii) श्री जू ह्योंग सन,

कोरिया-भारत सांस्कृतिक सोसाइटी — सदस्य

(iv) श्री किम युन ताईक,

कोरिया-भारत सांस्कृतिक सोसाइटी — सदस्य

(3) अफ्रो-एशियाई एकता प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे :

(i) श्री म्योंग चन सन,

प्योंगयांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति — नेता

(ii) मैडम ली चोंग इल,

अफ्रो-एशियाई एकता समिति की कार्यसमिति की सदस्या — उपनेता

(iii) श्री म्यांग गंग साम,

अफ्रो-एशियाई एकता समिति के मन्त्री — सदस्य

Irrigation Schemes Sanctioned for Madhya Pradesh

4061. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of irrigation schemes sanctioned for Madhya Pradesh during the year 1967-68 and 1968-69 and the cost involved in each of these schemes ;

(b) the total acreage of land that would be brought under irrigation in Madhya Pradesh after the completion of the aforesaid schemes ; and

(c) the acreage of land under irrigation at present in Madhya Pradesh under the major and medium scnemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The following Irrigation Schemes were approved by the Planning Commission for inclusion in the developmental Plans of Madhya Pradesh for 1967-68 onwards :—

S. No.	Name of Scheme	Estimated Cost in Rs. lakhs	Ultimate benefits in lakh acres
1.	Hasdeo R. B. Canal	497.21	1.17
2.	Dudhwa (Revised Estimate)	311.34	No direct benefits Benfits are under "Remodelling Mahanadi Canal system".
3.	Remodelling Mahanadi Canal System	282.69	1.40
4.	Bagh R. B. Canal	371.98	0.528
5.	Kunwarpur Tank	85.64	0.105
6.	Bargoor Nala Tank	70.14	0.06
7.	Phuka Nallah Project	48.20	0 55

(b) The pre-plan irrigation from major and medium irrigation projects in Madhya Pradesh was 12.6 lakh acres. The ultimate benefits from major and medium irrigation projects taken up in the plans is assessed to be 24.9 lakh acres additional on their full development.

(c) 18.5 lakh acres by the end of 1969-70.

Central Assistance Given to Madhya Pradesh for Irrigation Schemes

4062. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the assistance provided by the Central Government to Madhya Pradesh for irrigation schemes during the year 1969-70 ; and

(b) the additional acreage of land that would be brought under irrigation in Madhya Pradesh as a result thereof and the total acreage of land that would be under irrigation in Madhya Pradesh including this additional acreage of land.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) From 1969-70 onwards Central assistance to States is being given in the form of block loans and grants to the States Annual Plans as a whole and is not related to any individual scheme/group of schemes or any head of development.

(b) It is assessed that an additional area of 1.60 lakh acres was brought under irrigation during 1969-70 from major and medium irrigation projects, raising the irrigated area in the State in this Sector to 18.5 lakh acres.

Development of Backward Districts in the Country under a Special Development Scheme

4064. Shri Jageshwar Yadav : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to bring the backward districts in the country under a special development scheme and undertake a new programme in this regard and if so, the details thereof ; and

(b) the State-wise names of the districts which are proposed to be brought under the said scheme and the dates from which the development schemes in this regard are likely to be undertaken ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Development of backward areas is an integral part of the State plans and the States have been requested to adopt appropriate schemes to suit their needs and potentials. The question of having a Central scheme to cover all the backward districts of all States does not arise.

(b) Does not arise.

National Income for 1969-70

4065. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the final figures of national income in 1969-70 are now available and if so, the details thereof ; and

(b) whether the national income has registered an increase or decrease this year over the previous year and the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मारिशस के पत्तनों में रूसी अड्डे

4066. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि रूस से मारीशस के पत्तनों में अपने नौसैनिक अड्डे बना लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हिन्द महासागर की सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) मारीशस में सोवियत नौसैनिक अड्डों की स्थापना का सरकार को ज्ञान हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की 'आक्रमण' और 'आक्रमणकर्ता' की परिभाषायें

4067. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राट्र संघ 'आक्रमण तथा 'आक्रमणकर्ता' की परिभाषा करने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके बारे में भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। आक्रमण की परिभाषा करने के प्रश्न पर सभी दृष्टिकोणों से विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष समिति स्थापित की है। इस समिति की बैठक 13 जुलाई 1970 से 14 अगस्त 1970 तक जेनेवा में होने वाली थी। इस विशेष समिति में एक सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं है।

(ख) और (ग). जेनेवा में हाल में विशेष समिति का जो अधिवेशन हुआ उससे सम्बद्ध कार्य की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है जिससे समिति में जिन प्रस्तावों पर चर्चा की गई उनके ब्यौरों का पता चले। हमने जेनेवा स्थित अपने मिशन से तुरन्त रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।

बिहार में आणविक संयंत्र की स्थापना

4068. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आणविक विकास के कार्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में आणविक संयंत्र स्थापित करेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना बिहार राज्य आणविक विकास तथा अनुसंधान कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी तथा अन्य राज्यों में इस कार्य के लिए तुलानात्मक कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यूरेनियम, बैरिलियम तथा कौल्मबियम-टेंटेलम का बड़े पैमाने पर पूर्वेक्षण ; जादूगुडा स्थित यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा यूरेनियम धातुक का खनन तथा इससे सांद्रित यूरेनियम तैयार करना और नरवा पहाड़ में यूरेनियम की दूसरी खान का विकास करना परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिहार में किये जा रहे कार्यों में शामिल है।

(ख) क्योंकि इस क्षेत्र में कोयले के विशाल भण्डार विद्यमान हैं, अतः यहां परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर होने वाले व्यय का राज्य-वार ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है। कारण यह है कि इन कार्यों से सभी राज्य लाभान्वित होते हैं।

फिरोजपुर में सैनिक आरामगृह

4069. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल, श्री धर्मवीर द्वारा 1967 में रखे गये शिलान्यास के बाद फिरोजपुर में सैनिक आरामगृह के चवन के निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) क्या सैनिक आरामगृह के भवन के निर्माण में इस प्रकार का विलम्ब अन्यत्र भी हुआ है ?

(ग) ऐसे सैनिक आरामगृह के लिए स्थान चुनने और उनके निर्माण के लिए धन की मंजूरी देने हेतु क्या कसौटी अपनाई जाती है ; और

(घ) एक बार मंजूरी दिये जाने के बाद भवन निर्माण के कार्य को तेजी से पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जब प्राप्त हुई तो सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है, कि ऐसी प्रयोजनाएं समग्रतः राज्य सरकारों के के नियन्त्रण में हैं ।

(ग) और (घ). सैनिक मिश्रावागारों के लिए स्थानों का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा, भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकताओं के निर्धारण के अनुसार किया जाता है। निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था राज्यों की युद्धोत्तर सेवावों के पुनर्निर्माण और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनरावास के लिए राज्यों के विशेष निधियों से की जाती है । यह निधियें भी समग्रतः राज्य सरकारों के नियन्त्रण में हैं ।

केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम

4070. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कुटीर उद्योग एम्पोरियम को अपने अधिकार में कब लिया था ;

(ख) क्या सरकार द्वारा उसको अपने अधिकार में लेने के बाद उसकी प्रसिद्धि में तेजी से गिरावट आई है ; उसके प्रशासनिक निकाय के दो संस्थापकों ने त्यागपत्र दे दिया है और संभरणकर्ताओं ने नये प्रबन्धकों में अविश्वास प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो एम्पोरियम की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जुलाई 1964 में सरकार ने संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ का पंजीकरण किया था ।

(ख) और (ग). 1965-66 में इस एम्पोरियम की 95.85 लाख रु० की बिक्री हुई थी जो 1969-70 में बढ़कर 220.86 लाख रु० की हानि हो गई । इसके अतिरिक्त एम्पोरियम ने 1969 तथा 1970 में क्रमशः कलकत्ता तथा बम्बई में अपनी दो शाखायें भी खोली हैं ।

शासी निकाय के दो सदस्यों ने अपना त्याग-पत्र दिया है और सरकार यह चाहेगी कि वे अपने त्याग-पत्र वापिस ले लें।

सम्भरकों को भुगतानों में विलम्ब के कारण कुछ शंकायें थी परन्तु अब ये सामान्य ढंग से ही दूर हो गई हैं।

Indian Area under Dispute with China, Pakistan, Nepal and Burma

4071. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total area in square miles of Indian territory and territorial waters bordering China, Pakistan, Nepal and Burma which is under dispute at present ;

(b) the area of Indian territory in square miles which has been or is being claimed by the various nations ;

(c) the details of the initiative taken by Government of India in this regard ; and

(d) the reaction of Government in this regard and the action Government propose to take in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

China

(a) and (b). India's boundary with China is based on history tradition and custom is also confirmed by treaties. However, in Ladakh, the Chinese have illegally occupied 14,500 square miles of our area. In addition, through an illegal border settlement with Pakistan, China has occupied over 2000 square miles of Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir.

(c) and (d). The Government of India are seeking the return of the illegally occupied territories through peaceful means.

Pakistan

(a) and (b). As far as the Government of India are concerned there is no territorial dispute as such with Pakistan. Pakistan, as the House is aware, is in illegal occupation of approximately 30,500 sq. miles of our territory in the Indian State of Jammu and Kashmir. Some difficulties have also cropped up in the demarcation work on certain small stretches on India-East Pakistan sector.

(c) and (d). As regards the territory under illegal occupation by Pakistan, it remains the policy of the Government to secure the return of such areas through peaceful and bilateral negotiations. Discussions are continuing between the Survey authorities of the two countries regarding the stretches on the India-East Pakistan Sector.

Nepal

(a) to (d). There is no area in dispute between India and Nepal. Only the question of demarcation on the ground because of shifting streams remains in a few small areas.

Burma

(a) to (d). There is no dispute with Burma.

Surrender of Rebel Nagaland Force to Indian Defence Forces

4072. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of Defence be pleased to state whether it is a fact that some of the officers of the rebel Nagaland Force have surrendered themselves to the Indian Defence Forces during the period from March 1970 to-date ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Yes, Sir. 4 persons styled as officers surrendered themselves to the security forces and civil authorities from 1st March 1970 to 17th August 1970.

पूर्वी पत्तनों के माध्यम से खनिज धातुओं के निर्यात के बारे में करार

4073. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में पूर्वी पत्तनों के माध्यम से खनिज धातुओं का निर्यात करने के बारे में विदेशों के साथ कोई करार किये गये हैं : और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पत्तन के माध्यम से कितनी मात्रा में खनिज धातुओं का निर्यात किया जायेगा और उक्त निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). आगामी वर्षों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशी खरीदारों के साथ लौह अयस्क के सम्बन्ध में निम्नलिखित संविदायें तय की गई है :—

(1) मार्च 1971 से अप्रैल 1980 तक जापान को 6.126 करोड़ टन बेलाडिला लौह अयस्क की पूर्ति । यह माल पूर्वी तट पर विशाखापतनम के पत्तन द्वारा भेजा जायेगा ।

(2) 1971-72 में जापान को 10 लाख टन किरीबुरू लौह अयस्क की पूर्ति ।

(3) अप्रैल 1971 से मार्च 1974 तक जापान को 65 लाख टन बेल्लारी होस्पेट लौह अयस्क की पूर्ति । यह माल मद्रास, कुड्डालौर, पारादीप तथा कलकत्ता/काकीनाडा के पत्तनों द्वारा भेजा जाएगा ।

(4) जनवरी 1971 से दिसम्बर 1980 तक रूमानिया को 80 लाख टन लौह अयस्क की निश्चित मात्रा की पूर्ति । यह अयस्क पूर्वी/पश्चिमी तटों पर भारत के विभिन्न पत्तनों द्वारा भेजा जायेगा ।

(5) मैंगनीज अयस्क की संविदायें खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती हैं । पूर्वी क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क का निर्यात विशाखापतनम पर केन्द्रित होता जा रहा है ।

1970-71 में उपर्युक्त पत्तनों से जहाजों द्वारा माल भेजने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तय की गई मैंगनीज अयस्क की देशवार बिक्री निम्नोक्त प्रकार है :—

मात्रा लाख मे० टन में
मूल्य लाख रु० में

	मात्रा	मूल्य
जापान	3.8	353.58
बेल्जियम	0.4	42.58
चैकोस्लावाकिया	0.4	64.40
उत्तरी कोरिया	0.1	17.17
योग :	4.7	477.73

बिहार के देहातों में बिजली लगाने का कार्यक्रम

4074. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कुल देहातों में से कितने देहातों को बिजली लगाने सम्बन्धी कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और वहां देश में अन्य राज्यों की तुलना में कितने प्रतिशत देहातों में बिजली लगाई गई है ; और

(ख) क्या बिहार में देहातों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को छोटी सिंचाई योजनाओं के साथ सम्बद्ध करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिहार के 67,655 ग्रामों में से, जुलाई, 1970 के अन्त तक 7538 ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है। जिससे विद्युतीकृत ग्रामों को, प्रतिशतता 11.2 हो जाती है जबकि अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता 15 है।

(ख) 1966-67 से बिहार और देश के अन्य राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को इस तरह बनाया जा रहा है कि उनमें सिंचाई पम्पों के ऊर्जन पर बल दिया जाता है। इसको चौथी योजना के दौरान चालू रखा जाएगा और लघु सिंचाई कार्यक्रम को कूप समूहों को ऊर्जित करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के साथ जोड़ दिया जायेगा। बिहार में जून, 1970 के अन्त तक 58,511 सिंचाई पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित किया गया जब कि तीसरी योजना (31-3-1966) के अन्त तक 10660 सिंचाई पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित किया जायेगा।

Chinese Threat to Enter Indo-China War

4075. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the reported statement of Chairman Mao in which he has threatened to jump into Indo-China war ; and

(b) if so, Government's reaction thereto and the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government of India have no confirmation of any such statement.

(b) Does not arise.

मध्य पूर्व के देशों के लिए रूस का शान्ति प्रस्ताव

4076. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार द्वारा मध्य पूर्व देशों के बारे में प्रस्तुत शांति प्रस्तावों का सरकार ने अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंदपाल सिंह) : (क) सरकार ने जुलाई के अन्त में अखबारों में प्रकाशित ऐसी रिपोर्टें देखी है । प्रकाशित प्रस्तावों में युद्ध विराम एवं 22 नवम्बर, 1967 के सुरक्षा परिषद के संस्ताव के क्रियान्वयन का सुझाव दिया है जिसमें अधिकृत क्षेत्रों से वापसी तथा शांति की शर्तों के लिए संयुक्त राष्ट्र एवं चार शक्तियों की गारंटी शामिल हैं ।

(ख) पश्चिम एशिया में तनाव समाप्त करने के लिए भारत सरकार इन सभी कदमों का स्वागत करती है । सरकार को विश्वास है कि पश्चिम एशिया में उचित एवं स्थाई शांति के लिए 22 नवम्बर, 1967 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संस्ताव का पूरी तरह क्रियान्वयन अनिवार्य है ।

उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना

4077. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं फर्मों ने उड़ीसा में पारादीप के निकट पटसन मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस के लिये सरकार को आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नही, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और आवेदन पत्र कब से अनिर्णीत पड़े हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). मे० श्री प्रकाश कं० कटक ने पारादीप के निकट पटसन मिल स्थापित करने के लिये 18-5-68 को एक आवेदन-पत्र दिया था। कम्पनी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है और उसके प्राप्त होने पर परियोजना की व्यावहार्यता पर विचार किया जायेगा।

महाराष्ट्र में गावों में बिजली लगाना

4078. **श्री न० रा० देवघरे** : **क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है ;

(ख) महाराष्ट्र में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई जानी है ; और

(ग) शेष गांवों में बिजली लगाने में लगभग कितना समय लगेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 31-7-70 तक महाराष्ट्र में 10,350 ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है।

(ख) महाराष्ट्र में 25,501 ग्रामों को अभी बिजली देनी शेष है ;

(ग) चौथी योजना के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में अब भी, कृषि की उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया जा रहा है और ग्राम विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक आनुषंगिक भाग है। महाराष्ट्र में किस तिथि तक सभी ग्रामों को बिजली दे दी जायेगी यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह तो आगामी योजनाओं में ग्राम विद्युतीकरण के लिये धन की उपलभ्यता पर निर्भर करेगा।

हथकरघा उद्योग में सुधार

4079. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हथकरघा उद्योग में सुधार करने के लिये कोई विशेष प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हथकरघा उद्योग के विकास के लिये विभिन्न प्रयोजनों हेतु ऋणों तथा अनुदानों के रूप में पहले ही सहायता दी जा रही है जिनमें हथकरघा सहकारी समितियों तथा सहकारी बुनाई कारखानों को सहायता, उपकरण की पूर्ति, रंगाई घरों तथा समापन संयंत्रों की स्थापना चलती फिरती गाड़ियां, बिक्री भंडारों तथा उत्पादन संस्थाओं पर आवर्ती व्यय भी शामिल हैं। हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर एक रुपये में 5 पैसे की दर पर छूट के रूप में भी सहायता दी जा रही है। वर्ष में अल्प अवधियों के लिये एक रुपये में 5 पैसे की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है।

भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार

4080. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सम्बन्धों में और सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने भी इस सम्बन्ध में अपनी इच्छा व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में सरकार बराबर पहल करती रही है। अन्य बातों के अतिरिक्त इनका सम्बन्ध सम्पत्ति और आस्तियों को लौटाने, शत्रुतापूर्ण प्रचार को दबाने, युद्ध नहीं संधि करने, व्यापार फिर से शुरू करने, यात्रा तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधायें देने तथा सिविल एयरलाइन्स द्वारा फिर से उड़ान करने से है।

(ख) जी नहीं, पाकिस्तान का उत्तर सकारात्मक नहीं रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

4081. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों में हथकरघा उत्पादों का कुल कितना निर्यात किया गया ;

(ख) हथकरघा उत्पादों का निर्यात किन देशों को किया गया था ; और

(ग) हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाई की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों में हथकरघा उत्पादों के निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त है :—

वर्ष	मूल्य (हजार रुपये में)
1967-68	11,69,92
1968-69	15,77,04
1969-70	28,93,60

(ख) 1969-70 के दौरान भारतीय हथकरघा उत्पादों के प्रमुख आयातक देश निम्नोक्त हैं :—

(1) सिंगापुर (2) मलयेशिया (3) दक्षिण यमन

(4) पश्चिम जर्मनी (5) फ्रांस (6) संयुक्त राज्य अमेरिका

(7) स्वीडन (8) ब्रिटेन (9) जापान

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) निर्यातों की निर्यात योग्य किस्मों, जैसे धागे, रंग-सामग्रियां तथा रसायनों, कच्चे रेशम आदि के उत्पादन के लिये कम मात्रा में उपलब्ध कच्चे माल को प्राप्त करने में सहायता देना ;

(2) हथकरघों से सम्बन्धित तकनीकी संस्थाओं की सहायता से निर्यातकों को निर्यात के लिये नई किस्में तथा नमूने विकसित करने में सहायता देना ;

(3) विदेशों में हथकरघा माल का प्रचार तथा प्रसार ;

(4) समय-समय पर भारतीय हथकरघा प्रतिनिधिमंडलों तथा अध्ययन दलों को विदेशों में भेजना ;

(5) तुरन्त पहने जा सकनें वाले परिधानों के लिये पूर्णतः आधुनिक डिजाइन, प्रतिरूपों आदि, के सम्बन्ध में भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम लि०, नई दिल्ली द्वारा विदेशी विशेषज्ञों के साथ सहयोग करारों का किया जाना ;

(6) समय समय पर अन्य देशों द्वारा आयोजित मेलों तथा प्रदर्शनियों में हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० और अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि०, बम्बई द्वारा भाग लिया जाना ;

(7) हथकरघा माल की बिक्री तथा प्रचार के लिये विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात लि०, और अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि०, द्वारा शाखा कार्यालयों का खोला जाना ;

(8) हथकरघा कपड़े पर से बिक्री कर हटाने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध करना ; तथा

(9) उत्कृष्ट हथकरघा निर्यातकों को पुरस्कार दिये जाते हैं ।

चाय अधिनियम, 1953 का संशोधन

4082. **श्री हेम राज** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय अधिनियम, 1953 से चाय उद्योग के विकास में कोई मदद नहीं मिली है तथा चाय बोर्ड का कार्य संचालन भी अनेक दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चाय अधिनियम, 1953 में संशोधन करने का है और यदि हाँ, तो कब ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) जब कभी आवश्यक समझा गया है चाय अधिनियम, 1953 में संशोधन किए गए हैं। एक संशोधन गत बजट सत्र में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिससे कि चाय बोर्ड, चाय उद्योग के विकास हेतु योजनाओं के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुदान तथा ऋण प्राप्त कर सके ।

महाराष्ट्र में दरवाह तहसील के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

4083. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दरवाह तालुक्क में बिजली लगाने सम्बन्धी योजनाओं को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेज दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केलापुर तथा पडब्ल्यू० बी० एन० तहसील के केवल 76 गांवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में महाराष्ट्र बिजली बोर्ड द्वारा क्या कारण बताये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में केलापुर, वाणी, दर्वाह तालुक्कों में विद्युतीकरण की प्रतिशतता क्रमश: 22.5, 6.23 और 34.6 है । यवतमाल जिले की प्रतिशतता 24.1 है जबकि महाराष्ट्र राज्य की 28.4 है। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा यवतमाल जिले के सम्बन्ध में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत स्कीम में वाणी और केलापुर के तालुक्क शामिल थे क्योंकि इन दो तालुक्कों में विद्युतीकरण की प्रतिशतता अपेक्षतया कम थी । महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्कीम को ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अपनी स्वीकृति दे दी है ।

बिजली की सुविधा प्राप्त गांव तथा पम्प

4084. **श्री देवराव पाटिल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 31 मार्च, 1970 को कितने गांवों में बिजली लगी हुई थी और पम्पों को बिजली के कनेक्शन मिले हुए थे ; और

(ख) उक्त राज्यों में 1970-71 में गांवों में बिजली लगाने तथा पम्पों को कनेक्शन देने का क्या कार्यक्रम है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रखी गई है [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—4066/70]

(ख) चौथी योजना के दौरान भी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में सिंचाई पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया जाता रहेगा और ग्राम विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक आनुषंकि मात्र रहेगा। अतः अब पम्पों को ऊर्जित करने के ही लक्ष्य बनाये गये हैं। 1970-71 के दौरान, राज्य योजनाओं के लिए निर्धारित राशियों में से 1,08,940 पम्पों को ऊर्जित करने का कार्यक्रम बनाया गया है राज्यवार ब्यौरा उपबन्ध-II में दिया गया है। 1970-71 के दौरान देश में ग्राम विद्युतीकरण निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए धन में से 1.5 लाख अतिरिक्त पम्प सेट ऊर्जित होने की सम्भावना है।

कृषि प्रयोजनों हेतु प्रयोग की जाने वाली बिजली पर राज सहायता

4085. **श्री देवराज पाटिल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में कृषि प्रयोजनों हेतु प्रयोग होने वाली बिजली की दर प्रति किलोवाट आवर 12 पैसे अथवा इससे अधिक है ; और

(ख) 12 पैसे प्रति किलोवाट आवर की दर से अधिक के लिए राज सहायता देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, केरल, मैसूर, (जल विद्युत क्षेत्र) और पंजाब के राज्यों में कृषि उद्देश्यों के लिए विद्युत की सप्लाई की औसत टैरिफ दर 12 पैसे प्रति यूनिट से कम है ; तमिलनाडु के राज्य में यह दर 12 पैसे यूनिट है ; अन्य राज्यों में यह दर 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक है। जिन राज्यों में कृषि उद्देश्यों के लिए दरें 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक थीं, उनमें बिजली की दरों में उपदान देने की स्कीम को, जो 1-4-1966 से 31-3-1969 तक की अवधि के लागू थी, जारी रखने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

Refusal to Issue Passport to Shri B. P. Koirala by Nepalese Government

4086. **Shri Mahant Avedya Nath** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state whether it is a fact that the Government of Nepal had refused to issue passport to Shri B. P. Koirala former P. M. of Nepal to visit European countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : According to the Government's information Shri B. P. Koirala had applied for a passport to the Nepalese Government some months ago in order to consult medical specialists abroad. The Government of Nepal did not issue him a passport.

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में 'न्यूयार्क टाइम्स' में विज्ञापन

4087. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 जुलाई, 1970 के 'न्यूयार्क टाइम्स' के रविवारीय संस्करण में भारत में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चार कालमों में छपे विज्ञापन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या अनेक इस्लामिक संगठनों के हस्ताक्षर से प्रकाशित होने वाले इस विज्ञापन के लिए पाकिस्तान सरकार ने वित्तीय तथा अन्य कथित सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या न्यूयार्क स्थित हमारे राजदूतावास को अमरीका के पाठकों के मन से उन गलत प्रभावों को जो कि इस विज्ञापन से अवश्यमेंव उत्पन्न हुए होंगे, दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु अनुदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो न्यूयार्क स्थित हमारे दूतावास द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा के अनेक इस्लामी संगठनों के समर्थन से यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ था । वित्त एवं सहायता के कौन से छिपे स्रोत हो सकते हैं इनके बारे में सरकार ने समुचित निर्णय ले लिया है ।

(ग) इस प्रकार के झूठे प्रचार का मुकाबला करने के लिए सरकार तथा विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा पूरी निगरानी रखी जाती है और समुचित तरीके अपनाये गए हैं ।

केन्दीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ से गायब हुए प्रतिरक्षा संबंधी दस्तावेजों के बारे में केन्दीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

4088. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ से गायब हुए प्रतिरक्षा सम्बन्धी दस्तावेजों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सी० बी० आई०) की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी० वी० सी०) की परामर्श की प्रतीक्षा है। रिपोर्ट का विवरण बताना जनता के हित में नहीं है।

जलढाका पन बिजली परियोजना, पश्चिम बंगाल

4089. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भू-सर्वेक्षण विभाग के श्री पी० सी० हजारा ने परियोजना स्थल पर इंजीनियरिंग भूगर्भीय तथा भूमिगत पानी के बारे में सर्वेक्षण किया था और 27 अगस्त, 1958 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हाँ।

(ख) श्री हजारा द्वारा प्रस्तुत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में, धरातल की कठिन दशाओं तथा प्रतिकूल भूवैज्ञानिक विशेषताओं, जैसे कर्तन क्षेत्रों (शीअर जोन) की विद्यमानता, प्रपात तथा विभिन्न भौतिक गुणों वाले चट्टानी डाइकों, की ओर निर्देश किया गया और इसमें सुरंग बनाने में खतरों, जैसे भूगत जल का अन्दर की ओर फट पड़ना और चट्टानों का गिरना, आदि, की ओर संकेत था। उन्होंने ड्रिलिंग के दौरान पर्याप्त सुरंग सपोर्टों की सिफारिश की। चट्टानों की प्रकृति और दशाओं को सही-सही आंकने के लिए उन्होंने यह भी सिफारिश की कि भूवैज्ञानिक क्षेत्रीय अन्वेषण-छिद्र गहराई तक किए जांए तथा यह सुझाव दिया कि कि वृहत् कार्य मदों के अभिकल्प तथा स्थान को भूवैज्ञानिक परीक्षण परिणामों के आधार पर संशोधित किया जाए।

जलढाका पन-बिजली परियोजना, पश्चिम बंगाल

4090. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलढाका परियोजना सहित पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के विभिन्न अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जलढाका पन-बिजली परियोजना के बनाये जाने से संबंधित सभी बातों की जांच तथा इस बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किये आयोग के समक्ष साक्ष्य देते समय यह कहा है कि यदि बांध बन गया होता तो 1968 और 1969 की बाढ़ से हुई तबाही को रोका जा सकता था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जलढाका जल-विद्युत परियोजना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित किए गए जांच आयोग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के विभिन्न अधिकारियों का, जिनमें जलढाका परियोजना के अधिकारी भी शामिल हैं, यह दावा था कि यदि बराज पूरा हो गया होता तो 1968 और 1969 के संकटों से बचा जा सकता था। पश्चिम बंगाल सरकार आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

Per-Capita Consumption of Power in Bihar

*4092 **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the per capita consumption of power in Bihar is less as compared to other States ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that power lines often remain out of order for the whole day due to disruption of power supply from D. V. C. ;

(d) if so, the reasons for this disruption and the steps taken by Government to prevent it ;

(e) whether Government has chalked out any plan to step up the consumption of power in Bihar : and

(f) if so, the details thereof and the time by which Government propose to complete it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The reasons for low per-capita electricity consumption in Bihar are inadequacy of transmission and distribution system in certain areas and slow progress of industrial development in the area.

(c) and (d). Interruptions of short durations in power supply have taken place due to occasional shortfalls in the output of generating stations of the DVC or outages of generating stations of the State Electricity Board. Steps have been taken to improve the quality of middlings supplied to DVC thermal stations, so as to maintain their designed output and to improve the operation and maintenance of the generating stations of the Bihar State Electricity Board.

(e) and (f). The present installed capacity of Bihar State Electricity Board (excluding diesel stations) is about 300 MW. Efforts are being made to raise, the installed capacity to about 850 MW by the end of the Fourth Plan. The details of additional installed capacities and the dates by which these are expected to be commissioned are as follows :—

Name of Scheme	Capacity under installation (MW)	Anticipated date of commissioning
Barauni Thermal	50	October 70
Pathratu Thermal	420	April 71 to March 74
Kosi Hydro	15	March 72
Subarnarekha Hydro	65	March 74
Total :	550 MW	

Amendment of Cantonment Board Act, 1924

4093. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that almost all the Cantonment Boards in the country have passed resolutions demanding amendment to be made in the Cantonment Board Act, 1924 ;

(b) if so, the time by which Government propose to bring an amending Bill in the Parliament ; and

(c) the reasons for the delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Comprehensive amendments to the Cantonment Board Act are, nevertheless, under the consideration of Government and a Bill incorporating these amendments is proposed to be introduced in Parliament as soon as feasible. It is necessary to give adequate time for detailed examination of very large number of suggestions received in this connection.

नेपाल से भारतीय सेना सम्पर्क दल के कर्मचारियों को वापस बुलाना

4094. **श्री मु० आ० खां** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नेपाल स्थित भारतीय सेना सम्पर्क दल के सभी कर्मचारियों को वापिस बुलाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) और (ख). महामहिम सरकार के अनुरोध पर भारतीय सैनिक-सम्पर्क दल काठमाण्डु गया था । सफलतापूर्वक काम समाप्त करने के पश्चात नेपाल सरकार के अनुरोध पर दल को अब वापस बुला लिया गया है ।

Soviet Collective Security Scheme for Asia

4095. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state the details of the "Asian Collective Security Scheme" sent by the Minister of USSR to the Government of India for their consent and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The Government of India have not been sent any details of the Asian Collective Security Scheme by the Minister of the USSR.

Supply of Water for Agricultural Purposes from Chambal Canal to Morena and Bhind Districts of Madhya Pradesh

*4096. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the quantity of water proposed to be supplied from the Chambal Canal to Morena and Bhind Districts of Madhya Pradesh during the current agricultural year ;

(b) the reaction of the Central Government to the non-supply of the prescribed quantity of water to Madhya Pradesh by Rajasthan from the said canal during the last agricultural year ; and

(c) the steps being taken by the Central Government to ensure distribution of the waters of the Chambal Canal between the aforesaid two States strictly in accordance with the agreements concluded in this regard earlier ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 70% of the water released into the right main canal at Kota Barrage is proposed to be supplied to Madhya Pradesh.

(b) The short supplies last year were due to inadequate carrying capacity of the right bank main canal This problem was looked into by a high level Techical Committee and the implementation of a few of their proposals has brought marked improvement.

(c) A Standing Committee has been set up by Chambal Control Board to ensure proper distribution of Chambal canal between the two States of Rajasthan and Madhya Pradesh. This Committee meets periodically whenever there is a need for distribution between the two State Governments in this regard.

उड़ीसा की निर्यात संभावनाओं के बारे में सर्वेक्षण

4097. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के एक भाग (विंग) द्वारा उड़ीसा की निर्यात संभावनाओं के बारे में हाल में सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा प्रकाशित कर दिया गया है और सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है ;

(ग) क्या प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि उड़ीसा में इस्पात का एक और कारखाना लगाना चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) व्यापार के भारतीय संस्थान को, जो विदेशी व्यापार मन्त्रालय द्वारा स्थापित स्वायत संगठन है, उड़ीसा सरकार ने राज्य की निर्यात संभाव्यता का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया है ताकि राज्य के निर्यात प्रयत्नों के विस्तार के लिए ठोस उपाय निर्धारित किये जा सकें ।

(ख) संस्थान ने सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया है । इस संस्थान तथा उड़ीसा राज्य सरकार के बीच हुई संविदा के अनुसार संस्थान द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन की प्रतियां भेज दी गई हैं ।

(ग) और (घ). इस्पात के लिए आंतरिक मांग को पूरा करने तथा उत्तरोत्तर बढ़ते हुए निर्यात को बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इस उद्योग को आरम्भ करने में लगने वाले लम्बे समय को देखते हुए, सर्वेक्षण प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि सालम, हासपेट तथा विशाखा में आयोजित तीन संयंत्रों के अतिरिक्त, नये इस्पात संयंत्रों की योजना बनाने का

कार्य काफी पहले आरंभ कर दिया जाना चाहिए। उस सीमा तक, सर्वेक्षण प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि देश के अन्य स्थानों के मुकाबले में उड़ीसा में संभावित स्थानों के सापेक्ष गुणावगुण का निर्धारण सुकर बनाने के लिए ब्यौरे वार तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ किये जाने चाहिये।

बदरपुर ताप बिजली घर

4098. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर ताप बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आरम्भ में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या परियोजना उस समय-सीमा के अन्तर्गत पूरी हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जैसाकि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रलेख में निर्दिष्ट है, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के पहले यूनिट (100 मैगावाट) की अनुसूची के अनुसार 1971-72 में और 100-100 मैगावाट के अन्य दो यूनिटों को 1972-73 में चलाने की संभावना है।

(ख) और (ग). प्रथम यूनिट के चालू होने के स्थगित होने की संभावना है क्योंकि सिविल कार्यों पर प्रगति अनुसूची के अनुसार नहीं हुई है और देशी निर्माताओं द्वारा उपस्कर के कुछ आवश्यक सामान की डिलीवरी अवधि को बढ़ा दिया गया है। सिविल कार्यों और उपस्कर की डिलीवरी के कार्य में तेजी लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि पहले यूनिट को 1972 के अन्त तक चालू कर दिया जाये।

ब्रिटेन की रौल्स रायस कम्पनी के सहयोग से हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा 'एडौर इन्जनों' का निर्माण

4099. **श्री वि० कु० मोडक** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की रौल्स रायस कम्पनी के सहयोग से हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा 'एडौर इन्जनों' का निर्माण करने सम्बन्धी हाल में प्रकाशित समाचार ठीक है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्ध ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) एच० एफ० 24 विमान के लिए शक्ति संयंत्र के तौर पर रोल्स राईस टर्बोजेका "अडौर" इन्जन के प्रयोग की संभावना विचाराधीन है। इस मामले में अभी कोई निर्णय तय नहीं हो पाया।

बालासौर स्थित प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टाब्लिशमेंट का विकास तथा उसका विस्तार किया जाना

4100. **श्री स० कुन्दू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में बालासौर स्थित प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टाब्लिशमेंट के विकास एवं प्रसार के लिए धन-राशि की कोई मंजूरी दी गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भविष्य में चान्दी पुर, बालासौर में मुख्य प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट बालासौर पर 1969-70 में व्यय की गई और 1970-71 के लिए स्वीकृत की गई राशियां इस प्रकार हैं :—

	1969-70 (वास्तविक)	1970-71 (स्वीकृत)
	लाख रुपयों में	
छोटे निर्माण कार्यों और रख रखाव को छोड़कर वृहद् कार्य	13.10	8.33
स्टोर	40.09	29.40

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 1969-70 में वास्तविक व्यय और 1970-71 के लिए आवंटन जैसे कि उल्लिखित पहले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, इन वर्षों की अनुमानित राशियों से कुछ अधिक है ।

इसके अतिरिक्त 93.10 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक वृहत् निर्माण कार्य योजना की शीघ्र ही स्वीकृति प्रत्याशित है, कि जिसके लिए निम्न निधियों का उपबंध किया जायेगा :—

1971-72	10 लाख
1972-73	30 लाख
1973-74	30 लाख

शेष 23.10 लाख अगली योजनावधि के लिए आगे ले जाये जायेंगे ।

(ख) और (ग). सभी परीक्षात्मक कार्य की जिसमें अन्तग्रस्त है गनों/गोलाबारूद का दागना तथा महत्वपूर्ण प्रूफ कार्य, पहले से बालासोर में किया जा रहा है । आर० एण्ड० डी० के कृत्य में वृद्धि के कारण बालासौर में कार्यभार भी बढ़ा है। इस बढ़े कार्यभार से निपटने के लिए, राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों प्रकार के सविवर्ग में वृद्धि का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस समय और कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सेन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी, दिल्ली

4101. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी, दिल्ली के कितने अभ्यावेदन, जो कि वेतन नियत किये जाने के बारे में हैं, उनके मन्त्रालय के पास अनिर्णित पड़े हैं ;

(ख) ये कब से अनिर्णित पड़े हैं ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) मन्त्रालय में इस समय कोई अभिवेदन निलम्बित नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Chinese Espionage Activity on Indo-Nepal Border

4102. **Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that the Chinese are indulging in espionage activities clandestinely near the Indian borders adjoining Nepal and at the same time are preparing the strategy to wage a war against India in future ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Government have not received any such information.

(b) Does not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात

4103. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जब भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया कुल निर्यात अपने कार्य के 51वें सप्ताह में केवल 45 करोड़ रुपया था, किन्तु वर्ष 1969-70 के अन्तिम सप्ताह में निर्यात में 10 करोड़ रुपये कि वृद्धि हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इन निर्यातों का मूल्य तथा मद-वार व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) 51वें सप्ताह तक राज्य व्यापार निगम के वास्तविक निर्यात 51.98 करोड़ रुपये मूल्य के थे और 52 सप्ताहों के निर्यात 55.15 करोड़ मूल्य के थे ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०-4067/70]

दिल्ली छावनी के अन्तर्गत आने वाले गांवों में मूल नागरिक सुविधायें

4104. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी के अन्तर्गत आने वाले कुछ गांवों में पानी, बिजली और नालियों जैसी मूल नागरिक सुविधायें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन गावों के नाम क्या हैं और उनमें इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्रसिंह महीडा) : (क) और (ख). छावनी बोर्ड ने दिल्ली छावनी के सभी गांवों को पानी की सप्लाई प्राप्य कर दी है ।

सड़कों पर बिजली की रोशनी मेहरम नगर और नारायणा को प्राप्य की गई है, जबकि मेहरम नगर, नारायणा और पुराने नंगल में नालियें प्राप्य कर दी गई हैं ।

उपरोक्य सुविधाओं का, छावनी बोर्ड को निधियों की प्राप्यता के अनुरूप क्रमशः प्रसार और सुधार किया जा रहा है। ऐसा बता पाना सम्भव नहीं कि दिल्ली छावनी के अन्दर आने वाले सभी गांवों में उपरोक्त सुविधाओं की सम्पूर्ति कब तक हो पाएगी ।

दिल्ली छावनी के माड लाइन में रहने वाले भारतीय वायु सेना के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

4105. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना तथा अन्य प्रतिरक्षा सेवाओं के चतुर्थ श्रेणी के बहुत से कर्मचारी दिल्ली छावनी के माड लाइन में रहते हैं ; जहाँ इन कर्मचारियों के क्वाटर बहुत ही छोटे और टूटी-फूटी अवस्था में हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनसे इस आवास के लिये सरकार के अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक किराया लिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्वाटरों की मरम्मत करने तथा उनकी दशा सुधारने के लिए और किराये आदि के मामले में उनको सरकार अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर मानने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) जी हां ।

(ख) 1915 में जो भवन स्थायी ब्यौरों के अनुरूप निर्माण किए गए थे इस समय निर्धारित मान से कम हैं । तदपि भवन खस्ता हालत में नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भारी मरम्मत की गई है और जल कनेक्शनों सहित उचित गगक्ष प्राप्य किये गये हैं । क्वाटरों में बिजली है । हाल में स्वीकृत संशोधित पैमानों के अनुसार छत के पंखे प्राप्य किए जाएंगे फ्लश टाइटयों के ब्लाक बना दिए गए हैं । चालू वर्ष के रखरखाव कार्यक्रम के अंश के तौर पूर वार्षिक रंग और सफेदी की जाएगी ।

Silting up of the Ganga River Bed and Its Canal

*4106. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bed of the river Ganga and its Canal had silted up ;

(b) whether it is also a fact that the U P. Government have requested the Central Government for assistance for its dredging ; and

(c) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The U. P. Government have requested the Ministry of Defence for some equipment like bulldozers. They have been informed by that Ministry that the requisite equipment is not readily available as all the available machinery has been released for restoration of road communications in Joshimath Section.

Boosting the Morale of People Living in Areas Bordering China

4107 **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Himalayan countries like Nepal, Bhutan etc. are apprehending danger to their security as a result of detonation of Atom Bomb by China ;

(b) whether it is also a fact that our educated folk living in the areas bordering China are also feeling panicky ; and

(c) if so, the steps being taken by the Government to create a sense of security in them ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). There is no indication to this effect.

(c) Does not arise. However as the House has been informed on a number of occassions suitable measures have been taken on our side for the security of our border areas.

Alleged Irregularities in Appointment/Contracts at Gandak Projects

4108. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government are making available to the Bihar Government the entire amount being spent in connection with the implementation of the Gandak project ;

(b) if so, whether Government will place on the Table a community-wise data of persons to whom jobs and contracts have been given at the said project ;

(c) whether any irregularities are envolved in giving appointments and contracts at the said project ; and

(d) if so, the remedial measures proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Irrigation Projects form part of the developmental plans of the States, and the administrative responsibility for the execution of the Schemes is that of the State Government. Upto 1968-69 earmarked Central loan assistance used to be given to the State Governments of U. P. and Bihar for financing expenditure on Gandak project, but this loan assistance formed part and parcel of the overall Central assistance to the State Plans.

In the Fourth Plan, Central assistance to State Plan schemes is in the form of block loans and grants and is not tied to individual schemes or heads of developments.

(b) and (c). As the administrative responsibility for the implementation of the projects is that of the State Governments, this information is not available with the Government of India. The Officers of Gandak Project are State Government officers and their appointments etc. are under the administrative control of the State Government. Award of contracts also is the responsibility of the State Government.

(d) Does not arise.

भारत-अमरीकी उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविजन परियोजना

4110. **श्री रा० बरुआ** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-अमरीकी उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविजन परियोजना के बारे में भारतीय तथा अमरीकी वैज्ञानिकों के बीच हाल ही में परामर्श हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो परिकल्पित परियोजना के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक हुई चर्चा से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, हां।

(ख) उपग्रह तथा टेलीविजनों की सहायता से प्रशिक्षण देने सम्बन्धी परीक्षण करने के लिए तैयार की गई परियोजना का विवरण 'टेलीविजन का विकास' नामक पुस्तिका में दिया गया है ; जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनेक बार जो आवधिक विचार-विमर्श किए गए उनमें ही इस बारे में बातचीत की गई। थोड़े दिन पहले ही जो बातचीत की गई वह बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है।

सिंचाई के लिए पानी का वैज्ञानिक उपयोग

4111. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 अगस्त, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "साइंटिफिक यूज आफ वाटर फार इरीगेशन" सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) एक एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए 1500 गैलन पानी से घटाकर औसतन 400 गैलन पानी का उपयोग करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि इससे एक जैसे परिणाम निकलते हैं और पानी जमा क्यों नहीं होने पाता तथा खरापन भी नही रहता ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 60 प्रतिशत पानी मार्ग में सूख जाता है और यदि हां, तो सिंचाई सम्बन्धी परिव्यय में से नहरों के किनारों को पक्का बनाने (लाइनिंग) के लिए कितने प्रतिशत धन-राशि रखी गई है ;

(घ) क्या इस प्रकार किनारों को पक्का बनाने के लिए (लाइनिंग) के लिये ईंटों के भट्टे स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की सहायता दी जायेगी ; और

(ङ) क्या पानी की अच्छी व्यवस्था का उचित प्रचार किया जायेगा और इसके लिए विस्तार कर्मचारियों (एक्सटेंशन स्टाफ) को जिम्मेदारी दी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि विभाग जिनके कार्यभार में जल प्रबन्ध आता है, निम्नलिखित पग उठा रहे हैं :

1. अपेक्षित जल की मात्रा तथा इसके समयों का निर्धारण करने के लिए वृहत् सिंचाई परियोजनाओं को कमान में अनुसंधान केन्द्र खोलना ।
2. सिंचाई के लिए पानी के वैज्ञानिक प्रयोग में किसानों के प्रशिक्षण के लिये प्रदर्शन फार्म स्थापित करना ।
3. एक खेत से दूसरे खेत में सिंचाई के लिए जलमार्गों और क्षेत्रीय नालियों का निर्माण ।
4. नियंत्रणों को मजबूत करके पानी के दुरुपयोग और अपव्यय को बन्द करना ।
5 उन नहरों को पलस्तर करना जिनमें निस्राव सम्बन्धी हानियां अत्यधिक हैं ।

(ग) हानियां 40 से 50 प्रतिशत के बीच होती हैं । केवल मुख्य नहरों को पलस्तर करने की लागत से सिंचाई नहरों की लागत दूनी हो जायेगी । अतः मितव्यता के लिए इस समय पलस्तर रहित नहरें बनायी जा रही हैं और उनमें पलस्तर तब लगाया जाता है जब बिल्कुल अनिवार्य होता है, उदाहरणार्थ, जब वे पारगम्य भूमि में से गुजरती हैं ।

(घ) पलस्तर करने की आवश्यकता और प्रयोग में लाए जाने वाले सामान की टाइप कई एक बातों पर निर्भर करती हैं जैसा कि पलस्तर को सापेक्ष मितव्यता, भूमि की किस्म, सामान की उपलभ्यता आदि । जब कभी ईंटों की लाइनिंग की जाती है तो गैर-सरकारी संस्थाओं से ईंटे प्राप्त करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जाती ।

(ङ) कृषि अनुसंधान केन्द्रों और प्रदर्शन फार्मों के माध्यम से जल प्रबन्ध की आवश्यकता पर बल दिया जाता है । वर्तमान प्रणालियों में सुधार लाने के लिए खाद्य और कृषि मन्त्रालय में एक जल प्रबन्ध कक्ष भी खोला गया है ।

ऋण देने के लिए काफी बागान को लघु उद्योग समझना

4112. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी के बाग लगाने वालों द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज की औसत दर कितनी है ;

(ख) बागान को छोटे पैमाने के उद्योग न समझने तथा काफी से मिलने वाले अदायगी के बंधक पर 7½% पर ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसी प्रकार काफी अभिसाधन (क्यूरिंग) संस्थानों के छोटे पैमाने के उद्योगों की भाँति ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) काफी बोर्ड से काफी उगाने वालों द्वारा लिये गये दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋणों पर 7½% प्रतिवर्ष ब्याज लगता है और देय तारीखों पर असल तथा ब्याज की अदायगी नियमित रूप से करने पर ½% प्रतिवर्ष की छूट मिलती है।

(ख) क्योंकि काफी बागानों में कोई निर्माण प्रक्रिया नहीं होती इसलिए उन्हें लघु उद्योग नहीं कहा जाता। फिर भी बोर्ड द्वारा बागानों के लिए 7½% की दर पर ऋण मंजूर किये जाते हैं और जैसा उपर्युक्त (क) में कहा गया है, ½% छूट दी जाती है। बोर्ड द्वारा ली गई प्रतिभूति में बागान में उगाई गई काफी पर तथा बोर्ड की पूल निधि में से उस पर देय अदायगियों पर प्रभार भी शामिल हैं।

(ग) सहकारी क्षेत्र में अभिसाधन संस्थान, बोर्ड से ऋण सहायता लेने के पात्र हैं। निजी क्षेत्र में अभिसाधन कार्यों के लिए ऋण देने की व्यवस्था बोर्ड की योजना में नहीं है।

तारापुर बिजली परमाणु घर से उत्पादित विद्युत का उपयोगीकरण

4113. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 अगस्त, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि तारापुर परमाणु बिजली घर की आधी परमाणु बिजली का उपयोग नहीं किया गया था, यदि हां, तो अगर इस विद्युत को बेचा जाये तो उससे कितनी आय होगी ;

(ख) अन्य राज्यों में इस बिजली के पूर्ण उपयोग के लिए अपेक्षित संचार लाइनों के विस्तार पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ग) क्या संचार लाइनों का विस्तार करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अक्तूबर, 1969 से जून, 1970 तक (जिसमें ये दोनों महीने शामिल हैं), तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र ने वास्तव में महाराष्ट्र और गुजरात को 13,780 लाख यूनिट विद्युत भेजी थी। उसी अवधि के दौरान, यदि दोनों राज्य तारापुर में उत्पन्न समस्त विद्युत का समुपयोजन करते, तो यह केन्द्र

20,250 लाख किलोवाट विद्युत पैदा कर सकता था। तारापुर में जिस विद्युत का समुपयोजन नहीं हुआ, उसकी लागत लगभग 3·6 करोड़ रुपये आती है।

(ख) और (ग). उत्तरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त ग्रिड कनेक्शनों की व्यवस्था करके तारापुर में उत्पन्न होने वाली समस्त विद्युत के पूर्ण समुपयोजन की सम्भाव्यता का अध्ययन हो रहा है। इन लाइनों के निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा की कोई आवश्यकता नही पड़ेगी।

सूती कपड़े के बारे में दीर्घावधि करार की अवधि बढ़ाना

4114. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार तथा टैरिफ सम्बन्धी सामान्य करार (गाट) के अन्तर्गत किये गये सूती कपड़े के बारे में दीर्घावधि करार की अवधि 1 सितम्बर, 1970 से तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त करार की शर्तें क्या हैं और इस करार में सम्मिलित देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत ने इस करार की अवधि बढ़ाने के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है और इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। मई 1970 में हुई गाट सूती वस्त्र समिति की बैठक में सूती वस्त्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घावधि प्रबन्ध की अवधि को जो 30 सितम्बर, 1970 को समाप्त हो रही है, 1 अक्तूबर 1970 से 30 सितम्बर, 1973 तक बढ़ाने के सम्बन्ध में आम मतैक्य था। अभी तक इस प्रबन्ध की अवधि बढ़ाने के संलेख को फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, नार्वे तथा बेल्जियम ने स्वीकार किया है। प्रबन्ध की मुख्य-मुख्य बातों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4068/70**]

(ग) भारत प्रमुख आयातक देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय आदि के साथ द्विपक्षीय बातचीत के संतोषजनक रूप से संपन्न होने की शर्त पर, सिद्धांत रूप में इस प्रबन्ध की अवधि बढ़ाने को सहमत हो गया है। भारत सरकार द्वारा इस संलेख की स्वीकृति हेतु आवश्यक औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं।

भारत सिद्धांन्त रूप में इस प्रबन्ध की अवधि बढ़ाने के लिए राजी हो गया है ताकि वह सूती वस्त्रों के निर्यात व्यापार में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दोनों प्रकार की बातचीत में सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सके।

भारत के शक्तिचालित करघे

4115. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शक्तिचालित करघों तथा उनके द्वारा नियोजित मजदूरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके द्वारा धागे की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है ; और

(ग) उनके द्वारा कितने कपड़े का उत्पादन किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) देश में शक्तिचालित करघों का राज्यवार ब्यौरा :

राज्यों के नाम	1-3-1970 को शक्तिचालित करघों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2296
केरल	1602
मैसूर	19598
तमिलनाडु	20690
पांडिचेरी	620
गुजरात	57280
राजस्थान	4453
प० बंगाल	8577
बिहार	2100
असम	474
उड़ीसा	1175
उत्तर प्रदेश	13517
महाराष्ट्र	94424
मध्य प्रदेश	9268
दिल्ली	1394
पंजाब तथा हरियाणा	17572
हिमाचल प्रदेश	39
जम्मू तथा काश्मीर	18
त्रिपुरा	24
दादरा और नागर हवेली	114
मनिपुर	4

शक्तिचालित करघों द्वारा नियोजित मजदूरों की संख्या संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) और (ग). केवल शक्तिचालित करघों द्वारा प्रयुक्त किये गये धागे की मात्रा और उनसे उत्पादित कपड़े के आंकड़े नहीं रखे जाते। वर्ष 1968 और 1969 के दौरान, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को, जिसमें शक्ति चालित करघे और हथकरघे दोनों शामिल हैं, धागे की सिविल सुपुर्दगियां क्रमश: 38.9 तथा 39 करोड़ कि० ग्रा० थी। इन वर्षों के दौरान, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र द्वारा कपड़े का अनुमानित उत्पादन, क्रमश: 353 करोड़ मीटर और 353.8 करोड़ मीटर था।

वन उत्पादों का निर्यात

4116. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन उत्पादों की महत्वाकांक्षापूर्ण निर्यात नीति बनाने से पूर्व देश में वास्तविक वन क्षेत्र तथा वन संपदा की 100 से अधिक वस्तुओं का वाणिज्यिक मूल्य सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है ;

(ख) क्या संसाधनों की पूर्ण जानकारी के बिना वन संसाधनों का उपयोग करना एक त्रुटिपूर्ण योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). वन उत्पादक की निर्यात नीति को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सलाह से अन्तिम रूप दिया जाता है और वह मंत्रालय इस सम्बन्ध में राज्य वन विभाग की सलाह लेता है। वन उत्पाद की उपलब्धता घरेलू खपत आदि का अनुमान लगाकर इसके निर्यात योग्य फालतू भंडार का पता लगाया जाता है। यही कारण है कि वन के बहुत से उत्पाद निर्यात नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत आते हैं और इनकी उच्चतम सीमा कोटे निर्धारित करके निर्यात सीमित किए जाते हैं।

नकद फसलों के निर्यात के लक्ष्यों की पूर्ति

4117. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात नीति संकल्प के संदर्भ में सरकार ने देश की आवश्यकता पर उचित ध्यान देते हुए अच्छी निर्यात क्षमता प्राप्त करने के लिए नकद फसलों के लिए भूमि आवश्यकता का आवंटन अथवा निर्धारण कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार नकद फसलों की खेती कृषकों की इच्छा पर छोड़कर निर्यात लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा करने की आशा करती है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) यह कार्य खाद्य कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में वृद्धि की दर

4119. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से जून, 1970 तक, वर्षवार, निर्यात में वृद्धि की दर क्या रही है ; और

(ख) वर्ष 1968-69, 1969-70 और जून, 1970 तक कुल निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं का अंश कितना रहा है ; (एक) इंजीनियरी उत्पाद, (दो) लोहा तथा इस्पात, (तीन) कच्चा माल, (चार) पटसन के सामान सहित कपड़ा और (पांच) बागान में पैदा होने वाली वस्तुयें ;

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण (विवरण I) संलग्न है ।

(ख) कुछ प्रमुख वस्तुओं के निर्यात आंकड़े मई, 1970 तक उपलब्ध हैं । इसलिए, प्रश्न में दी गई वस्तुओं के लिये निर्यात आंकड़े (कच्चे माल को छोड़ कर) संलग्न विवरण (विवरण II) में दिये गये हैं । मई, 1970 के लिए "कच्चे माल" के निर्यातों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

विधरण I

वर्षवार निर्यातों में वृद्धि की दर

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल निर्यात	प्रतिशत वृद्धि	प्रतिशत गिरावट
1966-67	1156.56	—	
1967-68	1198.69	3.6	
1968-69	1357.87	13.3	
1969-70	141.21	4.1	
अप्रैल-जून, 1970	340.03		(—) 2.8 प्रतिशत
अप्रैल-जून, 1969	349.76	—	

विवरण II

		1968-69	1969-70	अप्रैल 1970 से मई, 1970	कुल निर्यातों का प्रतिशत भाग		
					1968-69	1969-70	अप्रल 1970
1.	इंजीनियर माल	67.42	89.52	18.11	5.0	6.3	7.4
2.	लोहा तथा इस्पात	74.45	77.20	16.63	5.5	5.5	6.8
3.	कच्चा माल *	292.91	308.96	उपलब्ध नहीं है	21.6	21.9	उपलब्ध नहीं है
4.	कपड़ा, जिसमें पटसन का माल भी शामिल है	348.37	355.32	52.43	25.7	25.1	21.3
5.	बागान में पैदा होने वाली वस्तुयें	174.47	144.12	16.82	12.7	10.2	6.8
	कुल निर्यात	1357.87	1413.21	246.10			

* 1. कच्चे खनिज पदार्थ ।
2. खनिज तेल ।
3. पशु तथा वनस्पति तेल ।
4. रसायन सहित

सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की पेंशन तथा उपदान के प्रयोजनार्थ सेवा अवधि का गिना जाना

4120. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन तथा उपदान के प्रयोजन के लिये कमीशन दिये जाने से पूर्व सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की केवल 2/3 सेवा अधिक गिने जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह नियम भेदभावपूर्ण नहीं हैं जिससे उन जवानों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो अपनी योग्यता से कमीशन प्राप्त अधिकारी की पदवी पर पहुंचे हैं ;

(ग) क्या सरकार इस मामले को ठीक करने के बारे में विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) कमीशन प्राप्त अफसरों को सेवानिवृत्ति पेंशन की राशि मुख्यत: (1) की गई कमीशन सेवा की कुल अवधि (2) ऐसी सेवा की सम्पूर्ति पर साधारणत: अफसर जो वेतन ले रहा होगा और (3) सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पहले निरन्तर जिस पद को अफसर ने ग्रहण किया हो, पर निर्भर है। तदनुसार, प्रत्येक पद के लिये प्रमेय पेन्शन का दर नियत किया जाता है। उदाहरणत: एक मेजर को जिसने 22 वर्ष निरन्तर अर्ह सेवा की हो और जो उस प्रावस्था में 1250 रुपये मासिक ले रहा हो 550 रुपये मासिक पेंशन का अधिकारी होगा। 22 वर्षों से अधिक सेवा वाले मेजर भी केवल 550 रुपये मासिक पेंशन के अधिकारी होंगे।

उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार जो कमीशन प्राप्तक अफसरों की पेंशन राशि नियत करने के लिए अपनाया गया है, पदों से उन्नत किसी अफसर की सेवानिवृत्ति पेंशन का हिसाब करने के लिए उसकी सिपाही की सेवा की कमीशन सेवा के बराबर महत्व देना आवश्यक है। इसलिए इस समय केवल सिपाही के तौर पर की गई 2/3 सेवा कमीशन सेवा के लिए पेंशन के लिए गिनी जाती है।

तदपि पदोन्नत अफसरों को समय से पहले सेवा से निवृत्त होने से रोकने से लिए प्रोत्साहन न देने के लिए किसी सिपाही की सेवा को उपदान के लिए गिनने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) उपरोक्त (क) के समक्ष कोई भिन्न भेद नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता। तदपि, (अफसरों समेत) सेवा सेविवर्ग के गैर-प्रभावी लाभों का समग्र प्रश्न का वेतन आयोग द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना मिली है कि राज्य सभा में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के बारे में वाद-विवाद आरम्भ हो गया है। अत: माननीय मंत्री अभी वहीं पा सकेंगे। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मंत्री महोदय ही उत्तर दें तो यहां पर वाद-विवाद को सायंकाल तक के लिए स्थगित किया जा सकता है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : इसको शाम को पांच बजे अथवा पांच बजकर तीस मिनट पर लिया जाये।

श्री वि० श्रीकातंन नायर (क्विलोन) : जब तक सरकार को संबंधित देशों में नियुक्त अपने राजदूतों से निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक इस प्रस्ताव को नहीं लिया जाना चाहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इसका विरोध करता हूं । आपने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है । अतः इस पर चर्चा की जानी चाहिए ।

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कछनूर) : यह एक गम्भीर मामला है । अतः इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए । नियमों के अनुसार बोलने का अवसर उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने इसके लिए नोटिस दिया है । यदि आप इस विषय पर पूरी चर्चा की अनुमति दें तो मेरा निवेदन है कि मुझे भी बोलने का अवसर प्रदान किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल यह कहा था कि जानकारी प्राप्त हो जाने दीजिए और उसके पश्चात यदि हम सभी की यह राय हुई कि इस पर चर्चा होनी चाहिए तो मैं इसकी अवश्य अनुमति दूंगा । जहां तक वी० श्रीकान्तन नायर के सुझाव का सम्बन्ध है अभी हम यह नहीं जानते कि उनका उत्तर क्या है । अतः उसके पता लगने पर ही सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

श्री वी० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार को स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में होना चाहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमें इस पर दो बजे अथवा पांच बजे चर्चा का अवसर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पांच बजे चर्चा होगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपसे कल मिला था और मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था जिसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसके फलस्वरूप कुछ नगरों में बिजली की सप्लाई अस्तव्यस्त हो गई है । ऐसा केवल मजूरी बोर्ड के पन्चाट को क्रियान्वित न करने के कारण ही हुआ है । इस बारे में श्रम अथवा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : बिना पूर्व सूचना के आपको इस प्रकार खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए ।

श्री समर गुह (कंटाई) : पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों ने आज से तीन दिन तक हड़ताल करने की घोषणा की है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वे चाहते हैं कि सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मजूरी बोर्ड ने जो सिफारिशें की हैं उनको क्रियान्वित किया जाये ।

Shri Molabu Prashad (Bansgaon) : It had appeared in the press yesterday that fourteen distri.ts of Ut'er Predash had been badly affected by d:ought. I request that hon. Minister of food and Agriculture kindly make a statement in tnis regard. I had also given a calling attenti n noti.e yesterday in this regard which was rejected.

Mr. Speeker : Yer please give this in writting. I will send it to the hon. Minister.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1969 के वार्षिक प्रतिवेदन

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : मैं विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1969 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, वर्ष 1968-69 के लिए लेखापरीक्षित लेखे सहित, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4058/70]

बाढ़ की स्थिति के बारे में अनुपूरक विवरण

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में अनुपूरक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० —4059/70]

गार्डन रीच वर्कशाप के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य दस्तावेज

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, वर्ष 1968-69 के लिए गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4060/70]

रुई के गट्ठे बांधने के लिए जूट-टाट का निर्यात (निरीक्षण) नियम

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : मैं निर्यात (किस्म नियंत्रण और (निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, रुई के गट्ठे बाँधने के लिए जूट-टाट का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

की एक प्रति जो दिनांक 6 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2672क में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4062/70]

पारपत्र (संशोधन) नियम

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1061 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4061/70]

राज्य–सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 19 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में खाद्य अपमिश्रण निर्धारण (संशोधन) विधेयक, 1970 पास कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा 21 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक से जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति से श्री शीलभद्र याजी के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान में राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त समिति में रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए राज्य सभा के सदस्य श्री राम निवास मिर्धा को नियुक्त किया।

———

खाद्य अपमिश्रण (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1970 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

———

सत्र की कालावधि बढ़ाने के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE : EXTENTION OF SESSION

अध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर यह निर्णय किया है कि सरकारी कार्य तथा अन्य चर्चाओं को पूरा करने के लिए गुरूवार 3 सितम्बर 1970 को लोकसभा की बैठक होगी। परन्तु उस दिन प्रश्न काल नहीं होगा।

कार्य मंत्रणा समिति इस बात पर भी सहमत हो गई है कि संविधान (24वां संशोधन) विधेयक मंगलवार को लिया जाये तथा बुधवार 2 सितम्बर 1970 को ही इसको पारित कर दिया जाये।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

(श्री रवि राय)

अध्यक्ष महोदय : मैं पुलिस अधीक्षक, पूरी, उड़ीसा, से प्राप्त दिनांक 25 अगस्त, 1970 के एक बेतार संदेश की सूचना सभा को देता हूँ, जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य श्री रवि राय को राज भवन, पुरी पर कब्जा करने के लिए एक जलूस का नेतृत्व करने के कारण 25 अगस्त, 1970 को लगभग 3.45 बजे म० प० पर गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 447 और 511 के अधीन उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया। उनके जमानत देने से इन्कार करने पर उन्हें जेल में हिरासत में लिया गया और पुरी जेल में रखा गया।

सदस्य को दोषसिद्धि

CONVICTION OF MEMBER

(श्री झारखंडे राय)

अध्यक्ष महोदय : मैं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी, से प्राप्त दिनांक 25 अगस्त, 1970 के एक तार की सूचना सभा को देता हूँ जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य श्री झारखंडे राय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन उसी दिन सात दिन के साधारण कारावास की सजा दी गई।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : 1 सितम्बर 1970 को हम संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने वाले हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि गिरफ्तार हुए सभी सदस्यों को उनके साथ

संसद भवन के अभिरक्षक आ सकते हैं। मत देने की अनुमति दी जाये क्योंकि हम चाहते हैं कि विधेयक पास हो जाये।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

छठां प्रतिवेदन

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का छठां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राष्ट्रीय सेवा विधेयक
NATIONAL SERVICE BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण और इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा किये जाने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण और इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा किये जाने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL'S DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वह सभा संकल्प करती है कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों का अवधारित करने तथा उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने और तत्सम्बन्धी या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में तीन और सदस्य शामिल किये जायें जिनमें से दो सदस्य इस सभा के हों, अर्थात् :—

(1) श्री यशवन्त राव चव्हाण

(2) श्री विद्या चरण शुक्ल

और 1 सदस्य राज्य सभा से हो ; और

वह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि उक्त संयुक्त समिति में राज्य सभा से एक और सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा सहमत हो और संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को बतायें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि भारत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों का अवधारित करने तथा उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने और तत्सम्बन्धी या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में तीन और सदस्य शामिल किये जायें जिनमें से 2 सदस्य इस सभा के हों, अर्थात् :—

(1) श्री यशवन्त राव चव्हाण

(2) श्री विद्याचरण शुक्ल

और 1 सदस्य राज्य सभा से हो ; और

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि उक्त संयुक्त समिति में राज्य सभा से एक और सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा सहमत हो और संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1970-71
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1970-71

अध्यक्ष महोदय : 1970-71 के बजट सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अब

सभा में चर्चा तथा मतदान होगा। इसके लिए दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे पन्द्रह मिनट के अन्दर स्लिप भेज दें।

मांगें अब सभा के समक्ष हैं।

वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
30	1	**श्री वि० प्र० मंडल**	समुद्र में मछलियां पकड़ने के बारे में नीति	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
33	2	,,	सरकारी दुग्ध योजनाओं, विशेषकर दिल्ली दुग्ध योजना से दूध की सप्लाई	100 रुपया
33	3	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	मखनिया दूध के पाउडर तथा बटर आयल के आयात पर प्रासंगिक व्यय	,,
33	4	,,	चीनी का निर्यात बन्द करने की वांछनीयता	,,
35	5	**श्री वि० प्र० मंडल**	वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी नीति	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
70	6	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	पूर्वी पाकिस्तान से आये परिवारों के लिए सहायता कार्य	100 रुपया
108	7	,,	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की अंशदान के कोटे में वृद्धि की आवश्यकता	,,

1	2	3	4	5
117	8	श्री श्रद्धाकर सूपकार	भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना से उत्पादकों तथा व्यापारियों पर प्रभाव	100 रुपया
127	9	,,	केन्द्रीय सहायता शिविर में रहने वालों के लिए अनाज की खरीद तथा सप्लाई सम्बन्धी लेखा विधि	,,
60	10	श्री वि० प्र० मंडल	देश में बनी मोटर कारों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के साथ साथ उनकी किस्म में गिरावट	,,
69	11	,,	कोयले की खानों से भेजे गये कोयले और थोक पर उपकर का औचित्य	100 रुपया
70	12	,,	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	,,
78	13	,,	देश में राष्ट्रीय राजपथ की स्थिति	,,
100	14	,,	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि का कार्य चालन	,,
111	15	,,	राज्य पेंशनों के सम्बन्ध में पेंशनों के राशिकृत मूल्य के केन्द्रीय अंश की अदायगी का औचित्य	,,
112	16	,,	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-चालन	,,

1	2	3	4	5
114	17	**श्री वि० प्र० मंडल**	अन्य पार्टियों तथा सरकारी कंपनियों को ऋण देने का औचित्य	100 रुपया
117	18	,,	कपास निगम की स्थापना का औचित्य	,,
127	19	,,	केन्द्रीय सहायता शिविर में रहने वालों को अनाज की सप्लाई	,,
30	20	**श्री लोबो प्रभु**	मीन क्षेत्रों के विकास की योजना की क्रियान्विति विशेषकर मालवी में मत्स्य बन्दरगाह का निर्माण जिसके लिए चार वर्ष पूर्व विदेशी सहायता देने का प्रस्ताव किया गया था।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
33	21	,,	दुग्ध प्रायोजना की सीमायें जिसमें अन्य नगरीय क्षेत्र तथा मैसूर राज्य शामिल नहीं।	100 रुपया
33	22	,,	8.20 करोड़ रुपये की हानि उठाकर 11 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए चीनी का निर्यात	,,
35	23	,,	ढुलाई कार्य के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण जैसे निरर्थक संगठन की स्थापना जो कि गर-सरकारी संघ में होना चाहिए।	,,

1	2	3	4	5
35	24	**श्री लोबो प्रभु**	अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फिति तथा कमी के संकट को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपया
60	25	,,	बिना पर्याप्त सूचना के मोटर कारों के मूल्यों पर नियंत्रण	,,
114	26	,,	कलकत्ता पत्तन में कुप्रबंध	,,
114	27	,,	गैर-सरकारी कारखानों के अर्जन से सरकार को हानि	,,
117	28	,,	लगभग 700 करोड़ रुपये के कपास के व्यापार के अर्जन से गैर-सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों और पूंजी का विस्थापना	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
78	29	,,	राष्ट्रीय राजपथों के पोषक पथों की उपेक्षा	100 रुपये
100	30	,,	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास द्वारा अन्य विभागों के कार्यों का बिना उन्हीं बन्धनों के पुनः किया जाना जिसके कारण सरकार द्वारा राहत देना आवश्यक हो जाता है ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
112	31	,,	बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था	100 रुपया
30	34	**श्री रामावतार शास्त्री**	मत्स्य पालन की योजना को सफल बनाने की आवश्यकता	,,

1	2	3	4	5
30	35	श्री रामावतार शास्त्री	मछली की कीमतों में वृद्धि को रोकने में असफलता	100 रुपया
33	36	,,	सभी राज्यों के नगरों में दूध सप्लाई योजनायें चालू करने की आवश्यकता	,,
33	37	,,	दूध के उत्पादन में और वृद्धि करने की आवश्यकता	,,
33	38	,,	दूध की सप्लाई में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता	,,
33	39	,,	दूध सप्लाई योजनाओं का विकास करने के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने की आवश्यकता	,,
112	40	,,	किसानों और छोटे उद्योग-पतियों को बैंकों से ऋण देने में भ्रष्टाचार और अनियमिततायें	,,
112	41	,,	बैंकपतियों को मुआवजा न देने की आवश्यकता	,,
112	42	,,	राष्ट्रीयकृत बैंकों में अफसर शाही रोकने की आवश्यकता	,,
112	43	,,	राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेशक बोर्डों में बैंक कर्म-चारियों के प्रतिनिधियों के शामिल करने में असफलता	,,
117	44	,,	कपास का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता	,,

1	2	3	4	5
117	45	श्री रामावतार शास्त्री	कपास के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता	100 रुपया
117	46	,,	कपास पैदा करने वाले किसानों को उचित मूल्य देने की आवश्यकता	,,

अध्यक्ष महोदय : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में चर्चा के लिए अभी छः घण्टे का समय शेष है। क्या आप इसमें से कुछ समय किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए देंगे।

Shri Molahu Prashad : We have no objection if the time is reduced but help us in getting reply from her ministers.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे। परन्तु यदि आप चाहें तो इस समय को कुछ कम कर दिया जाये और इस प्रकार बचने वाले समय का प्रयोग अन्य प्रस्तावों पर चर्चा के लिए किया जा सकता है।

Shri Ramavtar Shasbtri (Patna) : You must give few times for this subject.

Mr. Speaker : Let it be there house.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैंने छः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। पिछले अनेक वर्षों से हम घाटे पर चीनी का निर्यात कर रहे हैं। चीनी के प्रत्येक किलोग्राम के लिए खजाने को 53 पैसे देने पड़ते हैं। इस चीज को बन्द किया जाना चाहिए। हमें यह बताया जाता है कि हम इस प्रकार विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि हम इसके लिए हमें कितनी हानि उठानी पड़ रही है ?

सरकार ने कपास निगम की स्थापना के बारे में अनुपूरक मांग प्रस्तुत की है। कृषि मूल्य आयोग ने 1968 में कपास निगम स्थापित करने की सिफारिश की थी। मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने इस बारे में निर्णय लेने के लिए दो वर्षों का समय किन कारणों से लिया है। भारत में प्रति एकड़ कपास का उत्पादन विश्व के सभी देशों से कम है। सरकार को प्रतिवर्ष कपास की 400 लाख गांठों का आयात करना पड़ता है। यदि सरकार किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन तथा सुधरे हुए बीज सप्लाई को तो कपास के उत्पादन को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। कपास का आयात बन्द किया जाना चाहिए और हमें इस मामले में आत्म निर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को अनाज की सप्लाई की समस्या एक गम्भीर समस्या है और इसे संतोषजनक ढंग से हल किया जाना चाहिए। इन लोगों को दण्डप्रक्रिया तथा अन्य शिविरों में ले जाने में अधिक समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

दुग्ध केन्द्रों में विशेष दिल्ली दुग्ध केन्द्र में बहुत अधिक कुप्रबन्ध है। इसको ठीक करने के लिए सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri Baswant (Bhiwandi) : Mr. Speaker, Sir, I support the supplementary any Demands for Grants. At the same time I would like to say a few words regarding the Demand No. 31. Ther are three main objectives of the fisheries development Programmes during the Fourth Plan. Boost the production of fish in order to fulfil the necessities of protein, step up exporting capacity of fish and ameliorate the economic condition of the fishermen.

Use of trawlers in deep sea-fishing has made much head way in fish industry. In order to make fishing more profitable, it is highly essential to make proper arrangements for the protection of machine-boats in bad weather. Also ample facilities should be given to store fish in the coast itself. The Goverament of India has given a new dimension to this industry during the last two decades and it made much headway. But the most important thing in this regard as I said before, is how to protect the fishing boats from the vagaries of weather. I think for this, the machines of Gardiner (England) and Manmar (Japan) are considered to be the best of the Type. This doesn't mean that I am against the indigenous machines. But the fishermen would prefer the foreign machines which have comparatively longer duration and are mostly immune from possible damage As regards the price, where an indigenous machine costs Rs. 50,000, these foreign machines having the same horse power, cost only Rs. 18,000. Moreover, the indigenous manufacturers would not pay any heed to the complaints raised by the customers. In view of all these facts, if possible, all efforts should be made to manufacture these machines, here, in collaboration with the Gardner or Manmar Companies.

The fishing industry is progressing by leaps and bounds. There should be ample facilities for deep-sea-fishing as well as fishing in bad weather, and in mid-ocean. Countries like Japan have achieved tremendous progress in fishing industry. Maharashtra has a vast coastal area with a length of 700 miles. The Minister of fisheries in that State has set up a Fisheries Development Corporation. They held discussion with the Nichero Company of Japan. As a result of the co-operation of this company, we can make avail of the sophisticated technology of Japan in fishing. Therefore I make sincere appeal to the Government to permit the State Government to seek the collaboration of the Nichero Company and improve the fishing industry.

श्री रा० की० अमीन (ढ़ढ़का) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार ने तीन या चार महीने के अन्दर, 215 करोड़ रुपए की मांग की है। अगर हम इसकी गहराई से छानबीन करें तो, पता लगेगा कि इस रकम में से 150 करोड़ रुपए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान देने के लिए हैं। जब फरवरी में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक द्वारा अंशदान का निर्णय किया गया था, तो सरकार अपने बजट में उक्त रकम का प्रावधान कर सकती थी। परन्तु सरकार ने ऐसा न करके अब यह पूरक मांग प्रस्तुत की है।

मैं चार मुख्य बात की आलोचना करूंगा। पहली है, वाणिज्यिक बैंकों को क्षतिपूर्ति के रूप में 43 करोड़ रुपए दिए जाना। दूसरी बात है चीनी के लिए निर्यात शुल्क के रूप में 8 करोड़

रुपये दिये जाना। तीसरी बात है पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों की सहायता के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया जाना और चौथी बात है रूई निगम के लिए 50 लाख रुपयों का दिया जाना।

शरणार्थियों की समस्या को लीजिये। मेरे विचार से सरकार ने अब तक इस समस्या की गम्भीरता एवं जुरुता से ठीक तरह से नहीं समझा है। गत वर्ष स्थिति यह थी कि हम पुनर्वास विभाग के कार्यों को करीब-करीब पूरा कर चुके थे। मगर जनवरी से शरणार्थियों का भारी संख्या में आना फिर से शुरू हुआ अब तक 1,75,000 या उससे भी अधिक लोग आ गये हैं। इस सत्र के अब तक करीब दो लाख शरणार्थियों यहाँ आ चुके होंगे।

इस 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि और पहले की 7 करोड़ रुपये की राशि इस गुरू गम्भीर समस्या के हल के लिए अपर्याप्त है। अब जो लोग आते हैं उनमें अधिकाँश समाज के निचले स्तर के हैं। अतः विभाजन के तुरन्त बाद हमने शरणार्थियों की समस्या का सामना किया, वह इससे भिन्न है। इनके पास कोई धन-संपत्ति या और कुछ ही नहीं। यदि हम देश की हालत को देखें तो पता लगता है कि यहां की आर्थिक स्थिति भी अब सुधरी हुई नहीं है। देश भर में लोग गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। जमीन के लिए सर्वत्र आन्दोलन चलाया हुआ है। प्रति-व्यक्ति आय में गत कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस स्थिति में इस अतिरिक्त भार का कैसे वहन किया जायेगा? पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में नक्सलपंथियों की हिंसात्मक गतिविधियां जारी हैं। इन शरणार्थियों को वहां बसा दिया जाएगा, तो बाद में और भी उलझी हुई कई समस्यायें पैदा होंगी। अतः अब समय आ गया है कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कोई न कोई उपाय सोचे। मगर ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने पुराने रवैये को अब तक छोड़ा नहीं है। क्या सरकार ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान से कहा कि "शरणार्थियों को मत भेजो" क्या सरकार ने इस देश में रहने वाले उन लोगों से जो हर समस्या को धर्म की दृष्टि से देखते हैं, कहा है कि तुम पाकिस्तान से कहो कि इससे बहुत गम्भीर समस्याएं पैदा होंगीं? सरकार की ओर से इसको हल करने के लिए कोई नया प्रयास दिखाई नहीं देता। वे कम से कम संयुक्त राष्ट्रसंघ से विस्थापितों के पुनर्वास के लिए किसी न किसी प्रकार का अनुदान मांग सकते थे जैसा कि यूरोपीय देशों ने किया है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में है। जब ये बैंक सामाजिक नियन्त्रण में थे उस स्थिति और और अब जबकि राष्ट्रीयकृत हुए, की स्थिति में क्या अन्तर है? अन्तर केवल स्वामित्व और प्रबन्ध में हुआ। स्वामित्व के लिए सरकार 87 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दे रही है। राष्ट्रीयकरण के पहले इन बैंकों से कुला मिला के 3 से 4 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होता था। सरकार ने क्या केवल इस तीन या चार करोड़ रुपये के लिये ही ये सारी चीजें की हैं? प्रबन्ध में परिवर्तन करने के लिए सरकार ने निदेशक मंडल में अधिकांशतः वित्त मंत्रालय और स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा रिजर्व बैंक के लोगों को नियुक्त किया है। कृषि, और छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा का रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं कर पाये। इन्हीं लोगों को समस्त बैंकिंग योजना के प्रबन्ध कार्य के लिए नियुक्त किया गया है।

असल में बैंकों का शासन अभिभावक चलाता है और अभिभावक को सरकार नियुक्त करती है। अतः बहुत सम्भव है कि बैंकों के शासन कार्यों में सरकार का अधिक दबाव पड़े। जहां तक मुद्रा की सप्लाई के आर्थिक प्रभाव का प्रश्न है, मुद्रा और ऋण एक ही बात है। सरकार अधिक मुद्रा छापकर और ऐसी संस्था को वह देकर जो कि कृषकों और छोटे उद्योगों को ऋण दे सकती है और उक्त मदद की पूर्ति कर सकती थी। उन्हें इस कार्य के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ही न पड़ती। मगर जो कार्य पहले सफलतापूर्वक किया जा रहा था। सरकार ने उसमें बाधा उपस्थित की है और कृषकों और छोटे उद्योग चलाने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना सरकार खुद तैयार नहीं कर पाई।

तीसरी बात रूई निगम के बारे में है। यहां मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह एक अप्रजातांत्रिक निर्णय है। इस निर्णय के समर्थन में केवल दो ही बातें कही गई हैं। पहली बात है कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश और दूसरी बात है सत्तारूढ़ कांग्रेस दल का बम्बई प्रस्ताव/बम्बई अधिवेशन में रूई उद्योग को अपने हाथ में लेने के बारे में स्पष्टतः कुछ नहीं कहा गया था। वहां केवल कृषि पदार्थ के सभी व्यापारों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बारे में ही कहा गया था। कृषि मूल्य आयोग केवल कृषि एदार्थों के मूल्य-निर्धारण के लिए गठित किया गया था। इसके आधार पर सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिये था जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यह मूलतः एक प्रतियोगितापूर्ण व्यापार है। हो सकता है कि वर्तमान ढांचे में कुछ कमियां हों। मगर इन्हें पूरा किया जा सकता है। क्या सरकार ने इन कमियों का पता लगाने की कोशिश की है ? नहीं, इसके बजाए सरकार ने तमाम ढांचे को ही बदल डाला। इससे वह रूई के व्यापार में कोई उन्नति नहीं कर सकेगी। अब हम केवल अमरीका, तथा तीन अफरीकी देशों से रूई का आयात करते हैं। अब सरकार ग्राहकों को कोटा देती है और वे कुशल दलालों के जरिये रूई का आयात करते हैं। जहां तक आंतरिक व्यापार का सम्बन्ध है, जहां रूई का उत्पादन किया जाता है, वहां इसका उपयोग भी होता है। गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक उत्पादन होता है, और अधिक उपयोग भी वहीं होता है तमिलनाडु में रूई का उपयोग अधिक होता है मगर उत्पादन कम होता है। इस मामले में कुछ निर्णय लेते समय उदारतापूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी लोग ऐसा नहीं कर सकते। अतः मेरा कहना यह है कि 50 करोड़ रुपए की मांग को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं केवल दो ही बातों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गरीबी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हाल में रिजर्व बैंक के द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि 1953-54 में खाद्यान्न के उपयोग और उर्जा के मूल्य के मामले ग्रामीण जनता का 52 प्रतिशत अंश गरीबी के स्तर से भी नीचे था। बारह वर्षों के अन्दर यह 70 प्रतिशत हो गया। सरकार को इसकी ओर बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए।

अन्त में में मुद्रा स्फीति के बारे में भी एक-आध शब्द कहूंगा। जब श्रीमती गांधी वित्त मन्त्री भी थी, थोक मूल्य-सूचकांक 172 था और वह चार महीनों में 180 हो गया। इस प्रकार

अगर यह बढ़ता जायेगा, तो इस देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी ? क्या सरकार ने मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाया है ? अगर नहीं, तो अगले बारह महीनों में स्फीति बहुत अधिक बढ़ेगी और साथ ही साथ निर्वाह-खर्च भी बढ़ेगा और सरकार मध्यम वर्ग को तबाह कर देगी और देश में केवल अत्यधिक समृद्ध वर्ग और गरीब वर्ग ही रह पायेंगे ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : माननीय मन्त्री महोदय ने खेल-कूद के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था नही की है । अत: मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्शित कराना चाहता हूं ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जोकि एक बहुत बड़ा देश है । अब तक खेलकूद के क्षेत्र में संसार में कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सका है । जब मैक्सिको में हाकी के खेल में हमें हार खानी पड़ी, तब माननीय मन्त्री महोदय भी वहां उपस्थित थे । मैं यह नहीं मानता कि भारत में कुशल खिलाड़ी नहीं हैं या हो नहीं सकते । मगर गड़बड़ी तब होती है, जब इन सारी चीजों में राजनीति घुस आती है । हमारी कमी को दूर करने के लिए कुछ ठोस कार्य किया जाना चाहिए । अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान अपनी खेलकूद की नीति की ओर आकर्शित कराता हूं ।

लम्बे समय से मैं मांग कर रहा हूं कि खेलकूद के लिए एक अलग मन्त्रालय बनाया जाना चाहिए । विश्व के बड़े-बड़े देशों में इसके लिए अलग मन्त्रालय बनाये गए हैं । खेलकूद के क्षेत्र में भारत को महामानवों की सृष्टि करनी चाहिए तभी दूसरे देशों के साथ हम प्रतियोगिता कर सकते हैं ? यह उचित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण द्वारा ही हो सकता है । अत: मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें ।

सदन के विचारार्थ मैं एक सुझाव पेश करूंगा । हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में पराजित होनां हमारे लिए बड़े दुख और अपमान की बात है । आजकल होता यह है कि खेल-कूद संघ प्राय: राजनीतिज्ञों के हाथ में चले जाते हैं । अत: मेरा सुझाव यह है कि अगले 10-15 वर्ष तक के लिये सारे खेलकूद संघों को समाप्त किया जाना चाहिए और खेल कूद सम्बन्धी सभी कार्य केन्द्रीय मन्त्रालय को सौंप दिया जाना चाहिये । इस मन्त्रालय को खेल-कूद की संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण करने की शक्ति दी जानी चाहिये और इसमें कोई भी राजनैतिक लोग नहीं आने चाहिए । अगर हम ऐसा करेंगे तो आगामी कुछ वर्षों में हमारे देश में पहले दर्जे के ओलम्पिक स्पोर्ट्स दल बनेगा । खेल के कई मदों में जैसे दंगल, टेनिस आदि में हमारे देश ने अच्छा नाम कमाया है । हमें उस नाम और प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहिए ।

हमने देखा कि मैक्सिको में क्या हुआ । जब कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद में विजयी होता है, तो जो व्यापक सम्मान और आदर उसे प्राप्त होता है, वह शब्दों में प्रकट नही किया जा सकता । आपको स्वयं वहां उपस्थित होकर इसका अनुभव करना चाहिए, तभी मालूम होगा । मैं इसके पक्ष में हूं कि भारतीय टीम विदेशों का पर्यटन करे और विदेशी टीम भी यहां आये । मगर हमारे टीम को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उस समय मैं लन्दन में था और मैंने टेलीविजन में खेल देखा था। मैं बहुत अधिक निराश हुआ था। अतः मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं।

डा० कर्णी सिंह : मैक्सिको ओलिम्पिक की हाकी में हुई हमारी हार के बारे में सदन में एक बार चर्चा की जा चुकी है। अब म्यूनिच में अगला ओलिम्पिक खेल दो वर्ष बाद होगा। इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी जांच से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस ओलिम्पिक खेल में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता हैं जिनको खेलकूद में निष्ठा है और जो हमारे देश की विजयपताका विश्व के देशों के सम्मुख मस्ती से फहराते देखना चाहते हैं। मगर इस मार्ग में कुछ बाधाएं आती दिखाई पड़ती हैं। यह है दक्षिण अफ्रीका का भाग लेना। हम दक्षिण अफ्रीका को खेल के कई मदों में हरा सकते हैं। लेकिन, अगर हम उस खेल में शामिल नहीं होते, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भाग लेता है, तो अन्तराष्ट्रीय खेलकूद में आगामी वर्षों में हम बहुत पिछड़ जायेंगे।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : अन्तर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक्स एसोसियेशन इसके लिए जिम्मेदार है।

डा० कर्णी सिंह : ओलिम्पिक्स इससे भिन्न है। अन्तर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक चार्टर के अनुसार दक्षिण अफ्रीका इसमें भाग नहीं ले सकता मगर विश्व चैम्प्यनसिपो में दक्षिण अफ्रीका भाग ले सकता है और हमारे खिलाड़ियों का विचार यह है कि उसको हराने के लिए हमारे टीमों को अच्छा मौका दिया जाना चाहिए। हम दक्षिण अफ्रीका को शूटिंग में कई बार हरा चुके हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों को उनका मुकाबला करने का मौका दिया जाना चाहिए।

अन्त में मेरा निवेदन है कि खेलकूद का कार्य एक अलग मन्त्रालय को सौंप दिया जाना चाहिए, और हमारे सभी खिलाड़ियों को भी दूसरों की तरह समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Mr. Speaker, Sir, I strongly oppose these Demands. I have gone through the note in the Supplementary Demand. The Government have demanded a sum of Rs 215 57 crores If it was for any developmental programme in the country, I would support it. But this big amount is demanded for the payment of debts to other countries I would say that the Government should not indulge in prodigality, which will ruin the country.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी रखें।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Four minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

Shri Randhir Singh (Rohtak) : In Delhi there are thousands of rickshaw-pullers. Daily earnings of one individual comes to Rs. 10 to 15 But now the middle men take away Rs. 10 from them. The Delhi Administration has now decided to issue free licences to the owners of rickshaws. The poor rikshaw-pullers are being exploited. I want the Government to take serious note of it. The Delhi Administration is depriving these poor people of their meagre income. The land is for the tiller and similarly the rickshaws should be given to the pullers as their own. I make an appeal to the Government to take necessary action to ensure that the poor rickshaw-pullers are not exploited. They should put down the vested interests with an iron hand.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं । अशोक होटल में हड़ताल चल रही है । मंत्री महोदय ने हमसे कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सभी हड़तालियों को वापस काम पर लिया जाएगा मगर दुर्भाग्यवश उन लोगों को निलंबित किया गया है । अतः हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें कि सभी कर्मचारियों को वापस लिया जायेगा और निलंबन आदेश रद्द कर दिया जायेगा ।

दूसरी बात है कानपुर जेल में संसोपा के कार्यकर्ताओं पर निर्दय लाठी प्रहार किया जाना । मैं इसीलिए यह मामला यहां उठा रहा हूँ क्योंकि श्री चरण सिंह न्यायिक जांच नहीं करायेंगे । केन्द्रीय सरकार इसकी जांच कराये ।

Shri Janeshwar Misra : As I said earlier, this Government has no right to demand any amount from the people. In the Introductory Note, it is stated that out of the total demand of Rs. 215 57 crores, Rs. 94 15 lakhs are meant for refunding the amount which was drawn from the Emergency Fund in the shape of advance during the last year. Out of the rest an amount upto Rs. 173.51 crores will be balanced by the outcome in respect of the Complementary Demands and Procurement etc. Thus, as a matter of fact an expenditure of Rs. 36 12 crores will be incurred this year.

It seems that the Government is trying to delude both the Parliament and the People by bringing forward such a statistics. For the last twenty three years, they have been spending big amounts to construct and reconstruct roads with these amounts they constructed roads in Connought Place in Delhi, Chowpati in Bombay and Chowrangi in Ca'cutta. Not even a single road in rural areas was reconstructed, during this long period. Almost all roads in rural areas are full of pits, and on each road layers of waste substances which produce foulsmell, can be seen The Government is collecting tax from the poor villagers and constructing big roads in Connought Place etc. Therefore I strongly oppose this Demand.

I would say a few words regarding the wasteful expenditure by this Government. During a visit of Prime Minister to U.P. the State Government had to incurr an expenditure of Rs. 4 lakhs in ten days. This means that the expenses of the Prime Minister of

India for one da only are Rs. 40,000. Not only the Prime Minister, but almost all other Ministers are also following this line. I want that this huge expenditure should be cut short considerably and fixed and that amount should not be more than one thousand or two thousand rupees per month Otherwise this Government have no moral right to demand the additional amount.

The Demand touches the item of education also I cannot understand why we should concede it. Recently one boy Raj Kumar Jain, studying in Delhi University, gave his answers Paper in the examination in Hindi. But the University authorities did not allow him to get through the examination. What sort of education is it ? Similarly thousands and thousands of young men and women come out of the Universities and Colleges in the country every year. The certificate which is issued to them bears no value at all. Which they join the University they are asked to make an undertaking that they would alide by all the rules and regu ations of the institution But the Chancellor, or Registrar or the Minister also should make an undertaking before the students, that they will be provided appropriate jobs the moment they come out of the University. This undertaking must be reciprocal. Otherwise what is the use of their education ? It only helps the youth of this country become mere wanderers. Why should we give them permission ? The Government demands money for repairing roads, saying that the roads were damaged by the saboteurs. Here the saboteurs, when they are kept in jail, are provided superior class. But at the same time when the volunteers of S.S P. go to jail, they are treated with contempt and all the decency and decorum are thrown to the winds in dealing with their case. The saboteurs, dacoits, murders and other anti-social elements are given superior class, and here they demands money from the people. I sincerly make a appeal to all that permission for not even a single paisa should be given to the Government.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I rise to oppose these Demands. There are some fundamental reasons for it The Government is misusing the money which is collected from the people as tax etc. The primary and ultimate task of a Government should be to provide the basic requirements to its citizens. But this Government failed miserably in that repect, and the country is now on the verge of a violent explosion. The Western countries, where man power is less, and work is more, always use big machinery. But India is rich in man-power. But the Government has told the line of Western, industrialised countries. Here they are big machines in production and this inevitably leads to unemployment amongst the people. This is a basic defect in our industrial policy. The Government should pay more attention to small scale and medium industries.

Another grave mistake the Government have committed is that they spent lion's share of the resources only in big cities. There are big hospitals, big industries, universities, schools and all other institutions in big cities. But all the time villages have been neglected. As a result of this the people from village are coming to cities in hundreds and thousands, in search of jobs. Once again I warn the Government that unless they decentralise the industry and set up small scale industries in the villages, the whole country will be pushed towards a bloody revolution.

The Government has proved their inefficiency in collecting taxes. The system of tax collection is basically defective. There is no fixed criterion for this. The Income Tax Officer can reduce or increase the annual income and there by tax according to his whims and fancies. As a result of this the businessmen and others keep two registers. One is the original and the other is a fake one. The fake register is shown to the Income Tax Officer. A man who is having an annual income to the tune of Rs. 1 lakh, shows only Rs. 25 thousands the Government as his real income. This is an anti-social tendency. Had the Government rectified the defects of the existing tax collecting system, they would not have to come and demand additional amount now.

This Government have not so far tried to check the black money Black money is responsible for high rise in prices. I would like to ask the Government as to what they have done to check the black money. What right they have got to come before the Parliament with their supplementary Demands ?

We want foreign exchange for various purposes. Indians living in London have invested crores of rupees in British banks, and the British Government is taking benefit out of that. Time and again I appealed to the Government to provide ample facilities in the Indians banks there so as to attract these Indian investors. But the Government did not pay any heed to this side.

This Government is committing follies one after another. Their policy is wrong. We cannot support their policies. We strongly oppose these Demands because this Government have proved themselves inefficient in maintaining economic stability and social progress.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I support these Supplementary Demands. But at the same time, I would draw the attention of the Government towards the backwardness of our State. There is no major industry in Uttar Pradesh. The unemployment problem has assumed serious dimensions there. Especially the Eastern districts of U.P. are very much backward economically. These areas are in constant danger of being innundated in the floods. The rate of charge of electricity is highest in these areas and even the electricity supply scheme is not free from defects. Amount is collected from us for the supply of electricity, but we are not getting it even for a month in a year.

Floods have ravaged the whole Eastern districts of U P. and have rendered thousands of poor peasants homeless. The Government should take ample care to prevent floods in these areas.

Since there is no industry in our area, we are economically backward. Our area cannot provide raw materials. Therefore such industries should not be set up which may require raw materials in advance. The Government should set up small scale industries there and solve the problems of unemployment and economic backwardness.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, in Principle I do not have any objection towards the Supplementary Demands which are placed before the House, but I object to the items for which these are made.

The Government seems to have serious concern over the decline in sugar export. But they are not concerned with the arrears due from the side of mill owners to lakhs of cane-growers. Had these Demands been put forward with a view to making some provisions to tackle the problems facing by the cane-growers regarding the fair price of cane etc., it could be appreciated. But the Government have no concern of the peasants.

Provisions have been made in these Demands for machanisation of fishing industry and for the import of milk-powder and butter. But they are having no concern over the burning Problems of land distribution.

In Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, Bihar and Assam about 31,000 land agitators are put behind the bars. 14 peasants are shot dead. The State Governments are out to suppress this movement at any cost. The Prime Minister says that this movement is illegal. But have the Government made any effort to go to the grassroots and make a fair solution to this problem. This sort of suppressive policy is not going to solve any problem. Therefore I oppose this Demand.

Bihar, U P., Assam, Bengal and Rajasthan are draught-hit States. Irrigation facilities should be provided in these States in order to save these States from the draught. Gandak, Kosi and other projects should be completed as early as possib e But there is no mention of these things in these Demands. It seems that the Government is quite unaware of these vital things. I know that the work in Gandak project is going very slowly. Time and again I appealed to the Government to take these projects on a national level. But they always pay deaf ear to this plea.

The Government have demanded additional amount for the construction of roads. I know that the part of national highway which lies between Muzaffarpur and Motihari has become u terly useless. Lion's share of the amount goes in the hands of the contractors and the officers. Hence I demand that a thorough inquiry should be instituted into these matters.

Another important matter is the proposed interim relief to the employees of Central Government. In the Introductory Note, there is no mention of this. Hence, we want the Government to give interim relief to its 27 lakhs employees.

Some cases are going on in the court of law against the Delhi police and the Government spend lakhs of rupees every year on this. I request the Government to withdraw the cases and allow them to resume their duty. The Government intends to scatter the police personnel here and there and thereby weaken their agitation. This policy is undemocratic.

Just now Shri Misra in his speech, made a reference to the unemployment of educated youth. The Government did not pay ample attention to this problem. They ought to have considered these problems while putting the Demands. But they demanded money for such things which are not in tune with the necessities of the country.

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : मैं इस मांग का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस प्रसंग में मैं चीनी के निर्यात के लिए 8.20 करोड़ रुपया की मांग का जिक्र करना चाहता हूँ। चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य यहां के मूल्य से और यहां के उत्पादन मूल्य से भी कम है। अतः सरकार यह रकम निर्यात करने वालों की सहायता के लिए मांग रही है।

सरकार क्यों इतनी हानि उठाकर चीनी का निर्यात करती है ? सरकार कहती है कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए है। मगर यह कोई कारण नहीं है। 11 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाने के लिए सरकार असल में 19.64 करोड़ रुपए खर्च करती है। इस प्रकार चीनी का निर्यात करने से क्या लाभ है। डालर देश के अन्दर बेचा जा रहा है। स्टर्लिंग देश के अन्दर बेचा जा रहा है। बड़े-बड़े उद्योगपति इसे खरीद रहे हैं। उत्पादन में इतना भारी खर्च उठाकर सरकार चीनी का निर्यात क्यों करने देती है ? 19.64 करोड़ रुपये से 11 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस व्यापार को भी सरकार अपने हाथ में ले। वह विदेशी मुद्रा कमा सकती है। मगर चीनी के निर्यात के पीछे कुछ और उद्देश्य है। यह उद्देश्य है मिल मालिकों को अधिकाधिक फायदा पहुंचाना। इसके द्वारा देश का धन नष्ट हो रहा है।

अगस्त 15 के तुरन्त पहले चीनी के महीने के कोटे में कटौती की गई। क्या यह इसलिए की गई कि चीनी की मांग कम हो गई है ? कभी नहीं। 'एकानामिक्स टाइम्स' कहता है कि देश में चीनी की कुल आवश्यकता 3.25 से 3.50 लाख टन तक है, और शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में चीनी की मांग में वृद्धि हुई है। कोटे में कटौती करने का कारण 'एकानामिक्स टाइम्स' के लेख से स्पष्ट होता है। उसमें कहा गया है कि कोटे में कटौती करने के बाद जुलाई के तीसरे सप्ताह में चीनी के मूल्य में प्रति टन पर 160 रुपये की वृद्धि हुई है। तो यह स्पष्टतः मालूम होता है कि सरकार मिल मालिकों और चीनी के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा करती है। सत्तारूढ़ दल इन मिल मालिकों से चुनाव का चन्दा इकट्ठा करते हैं। क्योंकि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। अतः वे पैसे पर निर्भर रहना चाहते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है। राष्ट्रीयकरण बड़े-बड़े उद्योगपति एवं व्यापारियों को जमाकर्ताओं की जमा पूंजी को अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करने से रोकने के लिए ही किया गया था। राष्ट्रीयकरण समाज के निम्न स्तर के गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भी किया गया था। मगर क्या सरकार ने अपनी ऋण नीति में कोई परिवर्तन किया है ? नहीं। प्रश्न यह है कि क्या इन बैंकों की जमा पूंजी का कृषि क्षेत्रों में विनियोजन किया गया है। सरकार यह काम अवश्य कर सकती है। अनाज का व्यापार इन बैंकों के ऊपर सौंप दिया जा सकता है। ये बैंक साधारण किसानों से अनाज खरीद कर उसकी सहायता कर सकते हैं। ये बैंक छोटे एवं गरीब किसानों को ऋण दे सकते हैं और इस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं। मगर सरकार ने यह नहीं किया।

अन्त में मैं कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में एक दो बात कहूंगा। जब राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड का गठन किया जा रहा था, तो सरकार ने वचन दिया था कि उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाएगा। मगर सरकार ने ऐसा नहीं किया। वैसे ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि वेतन आयोग में भी कर्मचारियों के प्रतिनिधि रखे जाएंगे। मगर किसी को भी नही रखा गया। सरकार इस प्रकार के वचन और आश्वासन क्यों देती है ? यह एक तरह की राजनैतिक मोहरेबाजी है। वे यह सब जनता को धोखा देने के लिए करते हैं और वे आगे भी ऐसा करते रहेंगे।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : बजट में रखे गये प्रस्तावों से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे निवेश मंडियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद निवेश मंडी में काफी सुधार हुआ है। सब वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। इसके परिणामस्वरूप नये-नये उद्योग आरम्भ हुए हैं।

गत वर्ष हमारे औद्योगिक उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और हम यह चाहते हैं कि इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन में 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो जिससे उपभोक्ताओं और जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

अतः नये उद्योगों की तेजी से स्थापना की जानी चाहिए।

नये उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस देने हेतु बहुत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए।

एकाधिकार आयोग ने कुछ व्यवस्था की है जो व्यवहारिक नहीं है। उद्योगों की स्थापना में विलम्ब को रोकने के लिए अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। उद्योगों की स्थापना में आने वाली रूकावटों को दूर करना चाहिए। इस विषय पर एकाधिकार आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिए और इस बात के लिए पूरे प्रयास किये जाने चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन में अधिक गति से वृद्धि हो। इस समय देश में कागज, टायर और ट्यूब रसायन, रंग औद्योगिक कच्ची सामग्री आदि की कमी है। स्कूटरों और टैक्टरों आदि की भी मांग बढ़ रही है। अतः नये उद्योगों की स्थापना की मांग को अत्यावश्यक समझा जाना चाहिये और उनकी स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।

गत दो महीनों से मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है। इसको रोकना चाहिए अन्यथा निर्वाह व्यय बढ़ जायेगा। उत्पादन को बढ़ाने का एकमात्र उपाय औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि करना है और खरीददारों के लिए मंडी तैयार करना है जिससे मूल्यों की वृद्धि को रोका जा सके और जनता को कुछ राहत मिल सके।

प्रतिष्ठानों को आधुनिक रूप देने और नये उद्योग स्थापित करने के लिए अग्रिम धनराशि देने के बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम धनराशि दिये जाने के बारे में स्पष्ट निदेश दिये जाने चाहिए।

सरकारी क्षेत्र में स्थापित परियोजनाओं के कार्य में विकास की काफी गुंजाइश है। इनके प्रबन्ध में सुधार किया जाना चाहिए जिससे वे देश की अर्थ व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर सकें।

श्री समर गुह (कंटाई) : पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य के बजट में कोई व्यवस्थ नहीं की गई है। उस क्षेत्र के निवासियों में लगभग 60 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हैं। उस क्षेत्र का विकास किये जाने से पश्चिम बंगाल की अनाज की 11 प्रतिशत कमी पूरी हो जाएगी।

उक्त क्षेत्र तटवर्ती प्रदेश में हैं और यहां खारी पानी के कारण गहन खेती करने में कठिनाई हो रही है। पूर्व पाकिस्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में आये लगभग 3 लाख लोगों को वहां बसाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में योजना तैयार की है लेकिन उस पर बहुत रुपया खर्च होगा। यदि केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकार को सहायता दे तो उद्योगों में नया विनियोजन तथा उनका विस्तार किया जा सकता है।

राज्य की वर्तमान कानून और व्यवस्था का लाभ उठाकर कुछ मंत्री उद्योगपतियों से अपने उद्योग अन्यत्र ले जाने का आग्रह कर रहे हैं।

कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने से ही पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार नहीं हो जायेगा इसके लिए राज्य में सामाजिक अर्थ व्यवस्था में भी सुधार किया जाना आवश्यक है।

जब तक किसानों के लिए पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों में काम की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक राज्य की समस्या हल नहीं हो सकती।

मैं सरकार से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को राष्ट्रपति के शासन के दौरान हाल में औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने और नये निवेशों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में हाल में ही बनाई गई परियोजना के लिए ऋण संबंधी सहायता देगी। दूसरे, क्या केन्द्रीय सरकार दूसरे राज्य के मंत्रियों को उद्योगपतियों को उद्योगों को अन्य राज्यों में ले जाने के बारे में भड़काने से रोकेगी ?

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : A feeling of unstability has been created due to the proposal of nationalisation of sugar industry. Mill owners are not paying money and they are not making any preparation for the crushing of sugar-cane. The production of sugar-cane is expected to be 42 to 45 lakh tonnes this year. The production of sugar-cane in U.P. and Bihar was so much last year that it was not possible for the sugar mills to crush it.

I am, therefore, of this opinion that Hon. Minister may call the mill owners and ask them to make preparation for the crushing of sugar-cane, so that the farmers may not suffer any loss.

The former Food and Agriculture Minister, Shri Jagjiwan Ram gave an assurance that a Commission will be appointed to look into the matter whether the rich mills may be allowed to start work and whether they may be nationalized or not.

That Commission should be appointed as early as possible and it should submit its report after studying all aspects in this regard and then alone it may be decided whether the sugar industry may be nationalized or not.

I am not against starting industries in public sector. But the management in the public sector may be improved. It is not possible to start any business in public sector in profit.

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन अनुपूरक मांगों में अन्तरिम सहायता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय मंत्री यह बतायें कि ऐसी व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं।

मैं श्री तिवारी के प्रस्ताव का तीव्र विरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्तरिम निदेशक बोर्डों के गठन का उल्लेख किया गया है। इन अन्तरिम बोर्डों में अधिकांश निदेशक गैर-सरकारी हैं। राष्ट्रीयकरण संबंधी अधिनियम में ही एक ऐसी योजना है जिसके आधार पर निदेशक बोर्ड का गठन किया जायेगा। उक्त योजना निर्माणाधीन है और इसके पूरा हो जाने के

बाद इसे सभी में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। दोनों सदनों द्वारा उक्त योजना पर दिये गये सुझावों के बाद हम राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के स्थायी बोर्डों का गठन करेंगे। उक्त बोर्ड में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि अवश्य होगा। हमारा यह निर्णय है कि कर्मचारियों का प्रतिनिधि करने के लिए एक निदेशक होना चाहिए (**अन्तरबाधायें**)

हम उक्त योजना पर सभा में विचार करेंगे और यदि इसमें कोई त्रुटि होगी तो उसको दूर करने का प्रयास किया जायेगा। इसके बाद स्थायी बोर्डों का गठन किया जायेगा और उन्हें अन्तरिम बोर्डों में बदला जायेगा क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को कस्टोडियनों द्वारा चलाया जाये।

सरकार वेतन आयोग में श्रम प्रतिनिधि शामिल करने का वायदा कर चुकी है। लेकिन इस मामले को श्रमिक राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। हमें इसके लिए किसी विशेष नाम को एकमत से प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी सामान्य नाम को प्रस्तुत करना संभव नहीं हुआ है।

सरकार इस बारे में पूरा प्रयास कर रही है।

यह कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण, केवल बड़े जमींदारों को मिलता है और छोटे किसानों की अभी भी उपेक्षा की जाती है। हमने इस बात का प्रयास किया है कि उक्त वर्ग की उपेक्षा न की जांय। यह हो सकता है कि कुछ बड़े जमींदारों को ऋण मिल गया हो लेकिन छोटे किसानों को भी ऋण दिया जायेगा। हमने इस बारे में विचार किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा ऋणपात्रता की है। हम इस बारे में कुछ उपायों पर विचार करेंगे जिससे हम उक्त कठिनाइयों को दूर कर सकें।

सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि उपेक्षित वर्गों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाय।

उपेक्षित वर्गों को कम ब्याज की दर पर ऋण देने के बारे में कस्टोडियनों से विचार किया जा रहा है। इस बारे में उनसे एक समझौता किया गया है और हम उसे क्रियान्वित कराने का प्रयास कर रहे हैं।

हमारे चीनी के कुल उत्पादन का 7.5 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप हमें काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है और हमारा उद्देश्य चीनी के व्यापारियों को सहायता देने का नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार के विरुद्ध लगाये गए आरोप निराधार हैं।

यह कहना ठीक नहीं है कि सरकारी उपक्रम हानि में चल रहे हैं। अधिकांश सरकारी उपक्रम लाभ में चल रहे हैं। 85 या 86 सरकारी उपक्रमों में से अधिकांश बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। सरकारी उपक्रमों के विकास के लिए हम पूर्णतया प्रयत्नशील हैं। सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत और अधिक उपक्रम लाभ उठायेंगे। उक्त उपक्रमों में होने वाली हानियों से हम घबरायेंगे नहीं।

रुई निगम की स्थापना राष्ट्रीय हित में की गई है। इसकी स्थापना से वही लोग चिन्तित हैं जो निर्यात से अनुसूचित लाभ उठा रहे हैं। रुई निगम की स्थापना का निर्णय राष्ट्र के हित में है अतः परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों के रवैये में अवश्य परिवर्तन आना चाहिए। इस बारे में मैंने वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा था। ऋण देने के बारे में बहुत सी त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली अन्तरिम सहायता के बारे में कुछ भी नहीं बताया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह विशेष प्रश्न वेतन आयोग को सौंपा गया है। वेतन आयोग को विभिन्न निकायों से अन्तरिम सहायता के बारे में 500 से अधिक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। वेतन आयोग से इस मामले में अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया है। हम अपने कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहते हैं। उन्होंने अपने विचार वेतन आयोग के सामने रख दिए हैं।

सरकार ने वेतन आयोग से उक्त तारीख का भी उल्लेख करने का अनुरोध किया है जिस तारीख में उन्हें अन्तरिम राहत दी जायेगी।

अतः वेतन आयोग जिस तारीख को अपनी सिफारिशें देता है उसका अधिक महत्व नहीं है। वह अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश भूतलक्षी प्रभाव से कर सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसे ही वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा और सरकार इस बारे में निर्णय करेगी हम इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सब कटौती प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मैं अपने कटौती के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव मछली पालन विभाग के बारे में है। पलनों में सुधार कर अधिक मछली पकड़ने की उनकी योजना है। सरकार यूगोस्लाविया में इस सम्बन्ध में रखे गये प्रस्ताव को स्वीकार करने में असफल रही है। मछली पकड़ने के कार्यक्रम के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

दुग्ध परियोजना केवल चार बड़े शहरों और उनके सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित है। दूध की मांग तो हर जगह होती है। दूध की मांग उन स्थानों पर तो और अधिक होती है जहां लोगों की आय कम होती है। सरकार को उक्त योजना सभी मुख्य नगरों और उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में आरम्भ करनी चाहिए।

चीनी उद्योग से सबको लाभ हुआ है। पेकिंग सेवा के लिये राज्य विकास प्राधिकरण की स्थापना का पता लगा है। अभी सरकार को यह कार्य पर्याप्त यात्रा में मिल रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन से कोई लाभ नहीं है। इस पर 3 करोड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान है। यदि हमारी वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक होगा तो हमारे से कोई भी देश वस्तु नहीं खरीदेगा। इससे मुद्रास्फीति को मदद मिलेगी।

कारों के मूल्य नियन्त्रित करने के बारे में आपको जानकारी है। सरकार स्वयं मूल्य निर्धारित करती हैं और स्वयं ही उसमें परिवर्तन करती है।

कलकत्ता पत्तन का स्थान अब पहले के स्थान पर छठा हो गया है। उक्त पत्तन के सुधार के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए।

कपास व्यापार को अपने हाथ में लेना उचित नहीं है। सरकार यह कैसी सोचती है कि वह कपास व्यापार अपने हाथ में लेने में सफल होगी जबकि खाद्य व्यापार असफल रहा है।

राष्ट्रीय राजपथ बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सहायक सड़कों के बिना राष्ट्रीय राज-पथ का देश के लिए कोई लाभ नहीं। उक्त सड़कें ग्रामीणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना देश का कोई लाभ नहीं हो सकता।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। अग्रिम धनराशि लेने की अधिकतम दर 9½ प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। क्या इससे देश के लोगों का हित होगा?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माल्वे पत्तन का मामला सरकार के विचाराधीन है। यूगोस्लाविया सरकार ने इस बारे में अभी तक भारत सरकार को कोई सुझाव नहीं दिये हैं।

प्रधान मन्त्री के दौरे के सुरक्षात्मक उपाय किये जाते हैं। उक्त व्यवस्था प्रत्येक प्रधान मन्त्री के लिए की जाती है। उक्त प्रयोजन पर आवश्यता से अधिक व्यय नहीं किया जाता। इस धनराशि को जनता की हानि कहना अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने का समय समाप्त हो गया। मन्त्री महोदय के उत्तर देने से पूर्व आप प्रश्न पूछ सकते थे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पीठासीन को सहयोग दे।

अब मैं कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगे (सामान्य) मतदान के लिए रखी तथा स्वीकृत हुई

THE FOLLOWING SUPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1970-71 WERE PUT AND ADOPTED

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	(खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय)	
30	कृषि	1,000
33	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	9,20,00,000
	(विदेश व्यापार मंत्रालय)	
35	विदेश व्यापार	4,01,000
60	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,00,000
	(श्रम नियोजन, और पुनर्वास मंत्रालय)	
69	श्रम और नियोजन	1,000
70	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	3,00,00,000
	(जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय)	
78	सड़कें	93,00,000
	(सामाजिक कल्याण विभाग)	
100	सामाजिक कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	15,00,000
	(वित्त मंत्रालय)	
108	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	1,50,00,00,000
111	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	1,15,000
112	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	43,66,67,000
114	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	7,32,44,000
	(विदेश व्यापार मन्त्रालय)	
117	विदेश व्यापार मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	50,00,000
	(श्रम नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय)	
127	श्रम नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	32,85,000

विनियोग (संख्या 3) विधेयक

APPROPRIATION (NO. 3) BILL

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :—

"वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री रामावतार शास्त्री ने इस बारे में नोटिस दिया है। मैं उन्हें इसके लिए 5 मिनट का समय दूंगा।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There have been heavy drought in many parts of the country. Nothing has been stated by the Minister in this regard. 65 lakhs people have been effected by drought in Bihar. 80 to 90 percent of crops have been destroyed as a result of drought. Several people have died as a result of draught in Rajasthan.

Government must take some steps in this direction. Government must provide relief to the drought effected area. It should not wait State Governments request.

Interim relief should be provided to Central Government servants. Recognised and unrecognised should be allowed to submit memorandums. It is surprising that the Pay Commission people do not like to talk with unrecognised unions. (*Interruption*).

But there are certain unrecognised unions which are more powerful than the recognised unions. I therefore, request you to consult all these unions and then take an appropriate decision. I do not know the reasons of their being discriminated.

Shri Vidya Charan Shukla : We have made necessary provision for drought etc. in the Bihar Budget. We have made provision of Rs. 50 crores for such clamaties.

Pay Commission has accepted memorandums from all Unions whether they are recognised or unrecognised. Government cannot issue instructions to Pay Commission to call such and such Unions. It is upto the Pay Commission to call any Union it thinks fit.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेतक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2, 3 and Schedule were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे)

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 1970-71 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) पर चर्चा करेगी। इस पर चर्चा के लिए 2 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1970 के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :—

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
2	विविध व्यय	2,000

रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	1	**श्री वि० प्र० मंडल**	'व्याख्या' में स्पष्ट किए गए सर्वेक्षण कार्य तथा उसकी त्रुटियां	100 रु०
2	2	**श्री लोबो प्रभु**	एपटा मंगलौर लाइन का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए दिया गया समय।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाए
2	3	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**	नैरो गेज रेलवे लाइनों में मरम्मत का न होना।	100 रु०
"	4	" "	ग्वालियर-भिंड-इटावा मार्ग पर ब्राड गेज रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता।	"

1	2	3	4	5
2	5	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :	मध्य रेलवे में ग्वालियर-भिंड, ग्वालियर शिवपुरी, ग्वालियर शियोपुर, नैरो गेज लाइनों को ब्राड गेज लाइनों में बदलने की आवश्यकता ।	100 रु०
,,	6	,, ,,	दतिया से अर्ह तक बरास्ता लहर एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	7	,, ,,	गुना-सस्सी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में विलम्ब ।	,,
,,	8	श्री बलराज मधोक :	दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लिंक रोड, महरोली रोड और जेल रोड पर उपरि पुल बनाने में असफलता ।	,,
,,	12	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे में बिहटा से बिक्रम-पालीगंज, अरवल और कुर्था होते हुए जहानाबाद तक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
	13	,, ,,	पूर्व रेलवे के जहानाबाद से एकगर सराय होते हुए राजगीर तक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
	14	,, ,,	राजगीर से गया रेलवे स्टेशन तक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
	15	,, ,,	रानापुर रेलवे स्टेशन से नदी के किनारे के साथ-साथ डेहरी आन सोन तक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
	16	,, ,,	मुगल सराय से पटना होते हुए आसनसोल तक विद्युतीकरण की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
2	17	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पूर्व रेलवे में पटना से गया स्टेशनों के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।	100 रु०
„	18	**श्री धीरेश्वर कलिता :**	उत्तर सीमान्त रेलवे में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर वर्तमान लाइन को जोगीघोपा से गोहाटी तथा डिबरूगढ़ तक बढ़ा कर ब्राड गेज लाइन का निर्माण करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जायेगी ।
„	19	„ „	उत्तर सीमान्त रेलवे में फकीरग्राम से डूबरी तक ब्राड गेज लाइन का निर्माण करने में असफलता ।	„

श्री चे० मु० पुनाचा (मंगलौर) : मंत्री महोदय ने इस सभा में एक ग्यारह सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी । रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का मैं समर्थन करता हूँ । उपर्युक्त ग्यारह सूत्री कार्यक्रम सामान्यत: यात्री सुविधाओं और यातायात से सम्बन्धित है । नि:संदेह ये दोनों मामले महत्वपूर्ण हैं ।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

परन्तु रेलवे राजस्व का सम्बन्ध माल के यातायात से है । रेलवे की कमाई का दो तिहाई भाग माल के यातायात से प्राप्त होता है और एक तिहाई यात्रियों के यातायात से प्राप्त होता है । दो तिहाई राजस्व बहुत महत्वपूर्ण है जो कुल मिला कर 2100 लाख टन माल यातायात से मिलता है । यदि इस माल यातायात का भी विश्लेषण किया जाये तो पता चलेगा कि इसमें से 1100 लाख टन कोयला, लौह अयस्क, नमक आदि वस्तुएं हैं जिन से कोई विशेष आय नहीं होती है । इस माल से बहुत कम लाभ होता है । 400 लाख टन माल ऐसा होता है जिससे कोई आय नहीं होती है । इस प्रकार केवल 600 लाख टन माल का यातायात ऐसा होता है जिसके बारे में रेलवे को विशेष ध्यान रखना चाहिए । मुझे पता चला है कि माल यातायात में काफी कमी हो रही है । अत: मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस माल का यातायात बढ़ाने के लिए रेलवे प्रशासन को कहा है जिससे अधिक आय होती है

मुझे पता चला है कि बिजली के इंजन खराब हो गए हैं । इनमें से अधिकांश इंजन चित्तरंजन लोको वर्क्स से हाल ही में आये थे । इतने अधिक इंजन खराब होने के कारण इनके स्थान पर भाप के इंजन चलाने पड़े हैं । इसके परिणाम स्वरूप गत कुछ ही अवधि में माल

यातायात में काफी कमी हो गई है। मंत्री महोदय को इतनी अधिक संख्या में बिजली के इंजनों के खराब होने सम्बन्धी मामले की जांच करनी चाहिए। मुझे पता चला है कि चित्तरंजन लोको वर्क्स में प्रतिमास 75-80 इंजन बनाये जा रहे हैं। मेरा अनुभव यह है कि चित्तरंजन लोको वर्क्स एक और इंजन आयात नहीं करने देना और दूसरी ओर यह समय पर इंजन सप्लाई नहीं कर सकता। अतः मंत्री महो य को चित्तरंजन लोको वर्क्स के कार्यकरण की जांच करनी चाहिए। इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि माल यातायात में कमी के क्या कारण हैं। मुझे आशा है कि रेलवे विभाग अपने सामान्य कार्यकरण में तथा विशेषकर माल यातायात में सुधार करने के लिए उचित उपाय करेगा जिससे मंत्री महोदय को आगामी बजट में किरायों और माल-भाड़े में वृद्धि के प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पड़े।

अनुपूरक मांग संख्या में आर० डी० एस० ओ०, प्रशिक्षण, स्टाफ कालेज आदि कई मदों की व्यवस्था है। अधिकारी प्रशिक्षण का रेलवे ने एक नया तरीका निकाला है। दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा निगम (नेचर क्योर कारपोरेशन) नाम की एक संस्था स्थापित की गई है। इसमें 30 रेलवे अधिकारियों का पहला दल भेजा जाएगा जो कर्मचारी प्रबन्ध में 8 दिन के पाठ्यक्रम को पूरा करेगा। बदौड़ा में रेलवे का एक स्टाफ कालेज है जहां रेलवे प्रशासन के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। परन्तु अब चुने हुए 30 अधिकारियों को उपर्युक्त संस्था में 8 दिन का पाठ्यक्रम पास करना होगा जो कुमारी वासवानी द्वारा चलाई जाती है। मुझे यह भी पता चला है कि यह सोसाइटी के तत्वावधान में चलाई जाती है। 8 दिन के पाठ्यक्रम की फीस 1.000 रुपये प्रति अधिकारी रहेगी। इसके बाद यह संस्था परामर्शदल सेवा की भी व्यवस्था करेगी। इस कार्य पर रेलवे प्रशासन 3½ लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करेगा। मुझे विश्वास है कि रेलवे प्रशासन ने प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श दातृ सेवा सम्बन्धी क्षमता पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया होगा। यह एक बहुत ही बुरा पूर्वोदाहरण बन जाएगा क्योंकि सरकारी प्रशासन पद्धति सम्बन्धी मामलों का काम किसी बाहर की संस्था को सौंपा नहीं जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कोई धन खर्च करने की कोई अनुमति दी जानी चाहिए। महालेखा परीक्षक, मुझे विश्वास है, इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि इस प्रकार की नई सेवाओं पर जो स्वीकृत नहीं हैं किये गये खर्चे को स्वीकार न किया जाए। अतः यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या इस प्रकार की कोई प्रशिक्षण योजना रेलवे के विचाराधीन है। और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

रेलवे सुरक्षा दल में भर्ती और इस दल के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का मामला है। इस में भर्ती की पद्धति ठीक नहीं है। अधिकारी वर्ग अपनी मनमर्जी के अनुसार भर्ती करता है। इस दल के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की पद्धति की रेलवे अधिकारी स्वयं आलोचना करते हैं। इस ओर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण चोरियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और इसी लिए रेलवे सुरक्षा दल ठीक प्रकार से संगठित नहीं है और उस पर कोई उचित नियंत्रण नहीं है। अतः मंत्री महोदय को इस मामले की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : Mr. Chairman, Sir, I would like to say that in Maharashtra survey of Chankawani line had been started but we have not received any interim report so far. This work should be expedited.

In so far as Demand No. 14 is concerned I would like to state that Darhvar-Pusad line should be restored. This line was removed during the World War II. It has been stated that a survey was conducted ten to fifteen years before and this line was found to be uneconomic. This is not correct. This area has sufficiently been developed. There is a Spinning and Weaving Mill and Sugar Factory in this area In view of this a railway line is utmost necessary.

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : उत्तर रेलवे में इलाहाबाद और टुंडला के बीच विद्युतीकरण सेक्शन में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। उपर्युक्त सेक्शन 1955 से काम कर रहा है और हाल ही में इसका विकेन्द्रीकरण हुआ है। इसमें कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के 2000 श्रमिक हैं जिन्हें नैमित्तक श्रमिक कहा जाता है। भारतीय रेलवे सिब्बंदी नियम पुस्तिका के अध्याय 25 में लिखा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक श्रमिक नहीं कहा जा सकता जिसने 240 दिन तक काम कर लिया हो। परन्तु हाल ही में इन श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया है और जेल में डाल दिया गया है क्योंकि वे मांग कर रहे थे कि उन्होंने 10-15 वर्ष तक काम किया है, अत: उन्हें नियमित बना दिया जाए। 31 जुलाई को उन्होंने जनरल मेनेजर के समक्ष शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया था। उसके तत्काल बाद जनरल मेनेजर ने बर्खास्तगी का आदेश दिया गया और उनमें से 200 श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया गया है और 187 को बर्खास्तगी के साथ जेल भी भिजवा दिया गया है। उत्तर रेलवे के जनरल मेनेजर मंत्री महोदय को यह कह कर गुमराह कर रहे हैं कि जिन लोगों को बर्खास्त किया गया है उनकी सेवा 6 महीने से अधिक नहीं है। मेरे पास इन लोगों की सेवा का रिकार्ड है और मंत्री महोदय इसको देख सकते हैं। जनरल मेनेजर ने 200 व्यक्तियों को बर्खास्त करने के तत्काल बाद उनके स्थान पर नये व्यक्ति भर्ती कर लिए हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। 7 अगस्त, को 187 श्रमिकों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया है। उन्होंने कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की है। वे केवल इतना चाहते हैं कि उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाये। इसी प्रकार टूंडला में 177 और इटावा में 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वे पंद्रह दिन से भूख-हड़ताल पर हैं। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस पूरे मामले की जाँच करायें और सभा में आश्वासन दें कि वह इन मामलों पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करेंगे और जनरल मेनेजर को इन श्रमिकों को वापिस लेने के लिए कहेंगे। टूंडला-दिल्ली, दिल्ली नागपुर, नागपुर हैदराबाद और दिल्ली-बम्बई सेक्शनों पर बिजली लगाने का काम बाकी है अत: इन्हें फालतू श्रमिक नहीं कहा जा सकता। फिर इन्हें 10-15 वर्षों का अनुभव है और वे बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : I would like to congratulate the hon'ble Minister for the success achieved by him through his 11-point programme. It is understood from the Press report that Railway Minister is contemplating to transfer 12-control of the cells to the General Manager. It will be a retrograde step He should not do so under the pressure of bureaucracy. It has also been reported in the Press that steel and steel goods have been stolen from Railways. This is very dangerous. The hon'ble Minister should take effective steps to check these thefts. The people of Rajasthan have

been demanding Kota-Chittorgarh line. Railway Minister should examine this demand and ne essary steps may be taken in this direction. There should be a broad gauge line connecting Jaipur with Sawai Madhopur. This work should be completed without any further delay. There should be a shuttle service between Rewari and Jaipur. In case it is not feasible then a shuttle service should be started between Bundi and Jaipur.

The condition of school traders of Railways is deplorable. They have not been given right to become members of a recognised union because they do not belong to labour class. At the same time Railways do not recognise their own Union. The result is that they have no means to ventilate their grivances. I request that Teachers' Association of Western Railway should be recognised.

I would also request that Khetri Copper Project of Rajasthan should be connected by railway line. I is necessary to save foreign exchange. Unfortunately Government have not taken any steps in this direction.

Chetak Express should be started from Delhi Main Station instead of Sarai Rohilla.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : The survey of Kota-Chittorgarh line has already been completed and the former Railway Minister had promised to lay this line but nothing has been done so far. The officials of the Board are of the view that this line is uneconomic. I suggest that Government should lay Kota-Bundi line in the first instance and in case it proves economical, the same may be extended to Chittorgarh. We are prepared to meet the expenditure to be incurred on this account. The people of Rajasthan remain peaceful and do not resort to strikes and violence. In view of this no attention is paid towards their difficulties.

Kota Out-Agency has been closed down for the last six months. The result is that people of this area are put to great hardship. The condition for setting up this agency is that that Out-Agency can issue tickets for Delhi but it cannot issue tickets for Bombay. Second condition is that in case the train steams off and one wants to get refund, it should be referred to Bombay Out-Agency has no power to refund the amount. I feel that this power should be given to the the said Agency or payment should be made after obtaining the signature of the Station Master, Kota Junction. Besides at this Out-Agency some quota for seats should be provided in the sleeper-coach. There is great rush at Kotah Junction and it is very difficult to get a ticket. Government should pay necessary attention towards it.

A waiting room was sanctioned for Kotah but the same has been completed in 60 feet instead of 120 feet as proposed. It has been stated that it will be completed in three stages. I would request that it should be completed in single phase.

In case a vendor working on the Railway Station dies, his widow or his son should be given licence to carry on the job. No one else should be entrusted with the job.

There is a St. Paul School in our area which is run by Christians. They have occupied 5 bighas of land belonging to Railways. Railways had allotted this land to its employees for agricultural purposes but the school authorities are not vacating this land. The matter should be looked into and the land should be restored to the employees.

About Rs. 200 crores have been spent on Kota-Chambal dam. Now this area will be developed further and production will also increase. In view of this Bhind-Morena line from Gwalior. Gwalior-Shivpuri line, which are narrow-gauge lines, should be converted into broad-gauge lines.

Necessary facilities such as medical and housing should be provided to the porters since licence fee is charged from them.

It has been suggested that the children upto the age of 7 should not be charged any fare and children of 12 years should be charged full fare. I may point out that children upto the age of 7 are just primary students and they will not be able to avail of this concession. In view of this suggest that this concession should be extended to children upto the age of 12 years.

Shri Kinder Lal (Hardoi) : I would like to express my gratitudes for the success achieved by the hon'ble Minister since he has taken over Railways. It may be pointed out that Balaman-Avadhpur line was removed. A railway line from Balaman to Madhoganj has again be laid and I request that the remaining line from Madhoganj to Avadhpur should also be laid.

There is a level crossing on the western side of Hardoi Station. Usually it is closed and people of that area have to face great hardships. In view of this I suggest that an underground bridge should be constructed.

A hospital should be set up near Hardoi Railway Station so that railway employees could get the medicines and treatment.

There is only one direct train which goes from Delhi to Lucknow via Hardoi. There is no other train going via Moradabad-Bareilly. I, therefore, request that another train should be started from Delhi to Lucknow via Moradabad-Bareilly.

Mr. Chairman : The hon'ble Members should keep in view that this is only a Supplementary Grant and not a General Debate.

Shri Kinder Lal : There is no reservation quota of Berths for Hardoi. I want to request that some quota should be allotted to Hardoi also.

Mr. Chairman : I may read out rule 21o for the information of all concerned. It has been stated therein that supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them in so far as it may be necessary to explain a particular items and discussion.

Shri Kinder Lal : Secondly Luckow-Delhi Mail which coming back from Lucknow halts at Hardoi for only 3 minutes. This time should be enhanced. An enquiry counter should be set up at Hardoi Station so that some body should answer the telephone calls and other enquiries.

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : There is Mansi Junction on North Eastern Railway. The Engineering Department had advised Railway authorities that there is danger from the Ganga to Mansi Station. In view of this a new station was constructed at a distance of about 2-4 miles. We had represented through telegrams and representations that this problem has been exaggerated to the extent that station itself should be moved. This has been done just to oblige some contractors. The hon'ble Minister had visited the place and promised that steps would be taken to divert the course of the river from Mansi. Now the flood has come to an end and there is no danger for the railway line. I want to say that there is any permanent danger then efforts should be made to see that the Ganga did not erode there. Government can divert the flow of the river so that Mansi Station could be saved.

I must point out that a lot of vigilance is required to check ticketless travelling on branch lines of our area. Moverover there is terrible rush on this line. I would request

the hon'ble Minister to pay special attention towards this line. Railways should start Express Trains on Mansi-Madhopur line or Vanmakhi-Katihar line.

Before concluding I would suggest that classes in Railways should be abolished otherwise there is no use of harping on socialistic pattern of society. In view of this there should be classless compartments in the railways.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to move that this discussion may be adjourned.

Mr. Chairman : Under what rule ?

Shri Madhu Limaye : There is no need of givining any notice for this purpose. Keeping in view the violation of law in the country and Uttar Pradesh in particular ..

श्री को० सूर्यनारायण (एल्लूरू) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम रेलवे की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या वह सभा में अचानक ही किसी अन्य मामले को उठा सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : I want only 3 minutes. The Chief Minister of Uttar Pradesh had delivered a speech a few days ago.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

In that speech he has said that the persons participating in land movement, unemployment or ceiling on expenditure will be awarded rigorous punishment and warned...

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय रेलवे के लिये अनुपूरक मांगों पर चर्चा की जा रही है। आप नियमों और संविधान को अच्छी तरह जानते हैं। अब किसी अन्य मामले पर कैसे चर्चा की जा सकती है। अगर आप रेलवे के लिये अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में बोलना चाहे तो ठीक है। परन्तु इस तरीके से किसी अन्य मामले पर नहीं बोल सकते।

Shri Madhu Limaye : I want to move that this discussion may be adjourned under rule 340 The law is being violated in Uttar Pradesh on large scale and the people participating in the land grab movement have to bear the brunt. It has been proved in the court of law.

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री मधु लिमये : * * *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये नियम 340 के अधीन चर्चा स्थगित करना चाहते हैं। मेरे विचार से उसके लिये नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

---

* * *कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* * * Not reco ded.

श्री मधु लिमये : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : और उन्हें मेरी अनुमति लेनी चाहिए (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : I had taken his permission. Mr. Chairman who had been in the Chair just before you had permitted me for three minutes. (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए ।

Shri Madhu Limaye : But you were not there then.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री क० ना तिवारी पीठासीन थे और मैं निश्चय ही उनकी यह बात स्वीकार करूंगा कि उन्होंने आपको इजाजत नहीं दी । उन्होने तो आपसे यह पूछा था कि आप कौन से नियम के अन्तर्गत बोलना चाहते हैं । आपने नियम 340 का उल्लेख किया । आप जरा इसी नियम के आगे वाला नियम 341 भी पढ़ लीजिये । उसमें यह स्पस्ट रूप से बताया गया है कि यदि अध्यक्ष यह समझे कि स्थगन प्रस्ताव के नियमों के विरुद्ध है तो वह उस पर चाहे तो प्रश्न पूछ सकता है या प्रश्न करने की अनुमति भी नहीं दे । इसी लिए मैं आप को प्रस्तुत चर्चा में किसी प्रकार का व्यवधान डालने की अनुमति नहीं देता ।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to raise a point of order. If the ruling given by one Chairman is over ruled by the proceeding Chairman or by the Speaker, how the proceedings of this House can proceed ? I want to know your opinion on the issue. Shri K. N. Tiwari gave permission to Shri Madhu Limaye but you have over-ruled the same.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तिवारी जी से पूछा था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी । जब आप अपनी बात कह रहे थे तो मैंने आपकी बात चुपचाप सुन ली है । अब जब मैं कुछ कह रहा हूं तो आप भी उसे शांतिपूर्वक सुन लीजिए ।

श्री श्रीकान्तन नायर (विवलोन) : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय से सम्बद्ध मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं उसके बारे में आपका निर्णय चाहता हूं । केरल की हजारों लड़कियां जो जीविका कमाने के लिए बाहर चली गई, चाहे वह नर्स बन कर गई अथवा 'नन' बनकर उन पर लांछन लगाना कहां तक उचित है ? उनके चरित्र के बारे में संदेह करना उचित नहीं है ? ऐसा करने से साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

क्योंकि अब इस प्रश्न को सभा में उठाया गया है अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय के बारे में स्पष्ट वक्तव्य दें । उनके स्पष्ट वक्तव्य के बाद ही हम इस विषय पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं । अन्यथा हजारों परिवारों के लिए लज्जा की बात होगी ।

Shri Madhu Limaye : I have a point of order.

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ।

Shri Madhu Limaye : On the Ruling which was given just now. Kindly listen to me.

अध्यक्ष महोदय : अब पांच बज चुके हैं । हमने इस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेने का निर्णय किया था । कृपया उस पर चर्चा होने दीजिये ।

Shri Madhu Limaye : If you do not want to listen to me then I walk out.

इसके पश्चात् श्री मधु लिमये सभा भवन से उठकर चले गए

Shri Madhu Limaye then left the House

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या बात हुई थी । उपाध्यक्ष महोदय ने बताया था कि उन्होंने जो मामला था उसको समाप्त कर दिया है । श्री मधु लिमये अब बाहर चले गये हैं । श्री कंवर लाल गुप्त ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल आदि से यूरोप को लड़कियों की कथित बिक्री

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, I call the attention of the Minister of External affairs of the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon.

> "Reported sale of a large number of girls from Kerala and other parts of the country to Europe to make them nuns forcibly and the steps taken by Government to check it."

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जर्मन संघीय गणतन्त्र में परिचारिकाओं के रूप में कार्य कर रही केरल से गई भारतीय लड़कियों के साथ किए गए व्यवहार के बारे में 1968 में इस सदन में एक प्रश्न उठाया गया था । हमारे दूतावास और केरल सरकार के द्वारा इस मामले की जाँच की गई थी । यह पता लगा कि परिचारिकाओं का प्रशिक्षण लेने के लिए 1968 तक लगभग 262 लड़कियां जर्मन संघीय गणतन्त्र गई थीं, और रहन-सहन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था से वे सामान्यतया सन्तुष्ट थीं । तत्पश्चात् केरल सरकार को विदेश गईं लड़कियों के माता-पिताओं से पूछ-ताछ करने से यह पता लगा कि उन्हें किसी प्रकार की शिकायतें नहीं की गईं थी । एक अन्य इस प्रश्न के अनुसार जिसकी सूचना एक वर्ष पूर्व मिली थी, कि कुछ लड़कियों को, उनके माता-पिताओं को कुछ रुपया देकर, धर्म संघिनी (नन) बनने के लिए केरल से विदेश भेजा गया था, जांच पड़ताल पुनः की गई परन्तु कोई विशेष बात प्रकाश में नहीं आई । नवीनतम सूचनाओं से सरकार ने इस मामले के प्रति गम्भीरता से विचार किया है और भारत में तथा विदेश में

हमारी एजेंसियों ने व्यापक रूप से जांच आरम्भ कर दी है। केरल सरकार से भी इसी प्रकार की जांच करने का अनुरोध किया गया है। इन जांच पड़तालों के आधार पर जो भी उपचारी कार्यवाही आवश्यक समझी जायेंगी, की जायेगी और इस जांच तथा की गई कार्यवाही के परिणाम यथा समय सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Not only India, but the people of the world have been stunned by the news of reported sale of Indian girls to foreign countries. Now the Government trying to supress this news. Two thousand girls of this country are reported to have been sent to Europe. Is it not the slave trade of 20th Century ? It is also reported that these girls are going there with their own will for higher studies. It is further stated that they are princesses of India and are living a princely life. But the fact is that they are leading a miserable life there. Perhaps more than half of the girls are not even Matriculate. They do not know English and therefore the question of their knowing Italian does not even arise. They have taken undue advantage of their being poor. More than half of them are minors. They have been traped and given assurance of a bright and luxurious future. They are given a promise that they will return to India as full fledged nuns. Many of them come from family surroundings where they seem to have thought that going abroad would be good solution to their problems. A Catholic priest of Madras who got the opportunity to these girls in Rome, gathered the impressions that if these girls had educational qualifications, if they had the age of maturity to take the decision and not merely be enamoured by the prospects of going abroad, and if they had an inkling of the sort of life they are going to live in that part of the world, I am perfectly sure that practically none of them would have left their homes inspite of whatever difficulties they had to face at their home I would also like to quote a letter which has been written by a girl to her sister in India. The letter says, "None of you should hereafter get ready to come to Europe. After all we are trapped. If only you see the packets (of these priests who betroyed us) getting filled, today we are tasting those sugarg words that have fallen from their mouths." But the girl was not allowed to send this letter. Somehow or the other, Sunday Times got this letter.

Mr. Speaker, Sir, it is not the question of a particular community, but it is the question of National respect. The missionaries charge Rs. 6500 for one girl, whereas they spend on 1500 rupees on her immigration. What about the rest of the Money ? Why the vetican have now stopped this recruitment ? That means that there is something fishy. Now the Government has started a comprehensive enquiry in this matter. It indicates that Government has indirectly admitted that there is something wrong. It is original negligence on the part of the Government.

These girls were not even matric. I want to know, why and how a passport for studies was issued to them ? Ordinarily no passport is issued for such studies, which are available in India. Where is the money which was received for these girls ? How student travel concession was given for their studies ? Why all these things were not enquired into by the Government earlier ? It should also be ascertained whether these girls volunteered themselves for going abroad or they were allowed and pursuaded to do so ? Will the Government make a central legislations to check such conversions which are taking place due to honesty ? The role of Christian missionaries has been very objectionable in India. About 14 Foreign Christian missionaries have been expelled from our country for their anti-national activities. What measures Government is going to take to Indianise the foreign missionaries whose strength is about 6,326 in this country ? I demand for a C.B.I. enquiry to find out the full facts in this regard.

Whether it is fact* * (*Interruptions*)

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : ऐसा कहना उचित नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर : इस प्रकार की चीज रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए। उन्हें इन शब्दों को वापस लेना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : यदि सदस्यों का विचार यह है कि मैं किसी पर अक्षेप लगा रही हूं तो अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे सभी हमारी पुत्रियां हैं। हमें उनके बारे में सोच समझ कर बोलना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta : In the end I want to know that what was discussed with the Prime Minister.

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : In 1968 I have recived a reply to my question that the information is being collected But the information given today in the statement is still lacking.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं जानता हूं कि यह प्रश्न बड़ा भावनात्मक है और इसीलिए मैं इस सम्बन्ध में केवल विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर ही दूंगा। लन्दन में 23 अगस्त, 1970 को "संडे टाइम्स" में पहली बार यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि इटली के ईसाई मठों में तीन भारतीय लड़कियों ने मानसिक संतुलन खो दिया है। क्योंकि उनको घर की याद ने परेशान कर दिया था। इसके दो ही दिन बाद, 25 अगस्त 1970 के समाचार पत्रों में विभिन्न संस्थाओं ने, जिनमें वेटिकन त्रिवेन्द्रम के आर्च बिशप, एरनाकुलम के आर्च बिशप आदि थे, "संडे टाईम्ज" के समाचार का खंडन किया। ये सभी केरल के ही थे। यह बताया जाता है कि "संडे टाईम्ज" में जो कहानी छपी है उसका प्रमुख सम्बन्ध केरल के दो ईसाई पादरियों से है; जिनमें पलाई के फादर वलियाल है और दूसरे फादर पुत्तेनपुरा हैं। इनमें से फादर वालियाल ने फादर पुत्तेनपुरा पर ईसाई मठों के लिए लड़कियां खरीदने का आरोप लगाया है। वेटिकन ने 18 महीने की जांच पड़ताल के बाद गत जुलाई को एक एक वक्तव्य द्वारा फादर पुत्तेनपुरा को इस आरोप से मुक्त कर दिया है। अतः इस पृष्ठ भूमि के अन्तर्गत इस मामले से सम्बद्ध जितने भी समाचार छपे हैं हमें उन सभी पर सावधानी से विचार करना चाहिए। जहां तक इस सम्बन्ध में धन दिये जाने का प्रश्न है हम सच्चाई तक पहुँचने के लिए हर प्रकार की यथा सम्भव जांच करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में जो पहले जांच की गई थी, उसमें हमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Speaker.

दूसरा प्रश्न इस सम्बन्ध में यह पूछा गया है कि इन लड़कियों को पढ़ाई के लिए पासपोर्ट क्यों जारी किये गये। सभा इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि हमारे वर्तमान पासपोर्ट नियमों में इस प्रकार के पास दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

तीसरी बात इस सम्बन्ध में यह पूछी गई है कि क्या इस सम्बन्ध में कुछ धन दिया गया गया है। हम इस बात की पूरी जांच करेंगे। परन्तु हमें इसे धार्मिक विषय नहीं बनाना चाहिये।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और आप इसे साम्प्रदायिक रूप दे रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : चौथे जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या ये लड़कियां अपनी इच्छा से वहां गई या उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में अब तक जितनी भी जांच की गई है उनसे यह पता चलता है कि यह सभी लड़कियां वयस्क हैं, विदेशों में जाने के बारे में उनके साथ कीई जबरदस्ती नहीं की गई और न ही उन्हें ले जाने में किसी प्रकार के प्रलोभन या बल का प्रयोग किया गया है। इसके बाद उन्होंने क्रिस्चियन मिशनरीज के प्रश्न को उठाया है। मैं नहीं समझ सका हूं कि जिस प्रश्न का उत्तर इस सभा में पहले भी कई बार दिया जा चुका है उसे बार-बार उठाने का क्या औचित्य है। हम इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं।

जांच किस एजेंसी द्वारा की जायेगी। इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि किसी भी एजेन्सी को प्रयोग करने में हमें कोई रोक नहीं है। हम सप्लाई को खोज निकालने के लिए हर सम्भव उपाय करेंगे। जहां तक इसके बारे में कोई सेन्ट्रल एक्ट बनाने का प्रश्न है, वह एक सुझाव मात्र है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत मैं उसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि खबरों में यह भी आया है चर्च के दो उच्च अधिकारियों में जो शत्रुता थी, उसी के फलस्वरूप इस विवाद का जन्म हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जब दो वर्ष पूर्व इस मामले की जांच की गई थी, तो भी कोई आपत्तिजनक बात सामने नहीं आयी थी। इसीलिए मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या वह इस समय पादरियों के अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान से संतुष्ट थे और नर्सों आदि की शिक्षा का जो कार्यक्रम विदेशों में या यहां चल रहा था वह ठीक था। यदि मन्त्री महोदय इससे संतुष्ट थे तो फिर उन्होंने इसका स्पष्टीकरण उस समय क्यों नहीं किया जबकि उन्होंने सभा को यह आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है ? यह दुर्भाग्य की बात है कि अब मन्त्री महोदय इसी आधार पर साम्प्रदायिकता का प्रचार करना चाहते हैं। मन्त्री महोदय को यदि मालूम न हो, तो मैं उन्हें यह बता दूं कि आज से दो वर्ष पूर्व भी यह समाचार अमरीका के समाचारपत्रों में छपा था और उसी से सम्बन्धित समाचार हमारे समाचारपत्रों तथा तमिलनाडु की पत्रिकाओं में भी छपी थीं। परन्तु हमारी सरकार को कुछ मालूम नहीं। मंत्री महोदय ने तो केवल इसको अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की समस्या के साथ उलझाने का प्रयत्न किया है। इनसे हजारों मील दूर वेटिकन को इसके बारे में

अधिक चिन्ता है परन्तु हमारी भारत सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं भारत सरकार पर यह आरोप लगाती हूं कि हमारी लड़कियों के बारे में ऐसे समाचार छपने के बाद भी वह उदासीन रही, उसने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने पहले ही कहा है कि यदि व्यक्तियों को शिक्षा आदि के लिए सामान्य रूप से आने-जाने दिया गया हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु मन्त्री महोदय इसका उत्तर तो दें। वह इस प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा उसे साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब उन्हें पहले से ही इस सम्बन्ध में समाचार मिले थे तो क्या उन्होंने वेटिकन के साथ इस प्रश्न को उठाया ? क्या उन्होंने क्रिश्चियन चर्चों या पादरियों से यह पूछने का प्रयत्न किया कि वास्तविकता क्या है ? क्या चर्चों ने भारत सरकार को कोई जानकारी दी है, या उसे देने से इन्कार कर दिया है ? आज हमारी नाबालिग लड़कियों और उनकी मृत्यु का समाचार सारी दुनिया को मालूम हो गया है तो अब जाकर यह सरकार जांच कराने का आश्वासन दे रही है। इस मामले को लेकर आज विश्व में जो भारत की मानहानि हुई है वह निश्चय ही भारत सरकार को जानकारी न मिलने के कारण और उपेक्षा के कारण ही हुई हैं। अब जो जांच यह करना चाहते हैं वह किस प्रकार की होगी ? क्या आप यहां के चर्चों से कुछ जानकारी चाहते हैं ? आपको किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है ? क्या आप देश को वास्तविक स्थिति से अवगत करायेंगे ? श्रीमान् जी, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया हर बात को साम्प्रदायिक रंग देकर, आपने इस देश को अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों तथा हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाईयों में विभाजित करने का प्रयत्न किया है। आपनें अपनी इस गन्दी राजनीतिक चाल द्वारा देश के सम्मान को धक्का पहुंचाया है। हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जानबूझ कर इस मामले में साम्प्रदायिकता उछालने का प्रयत्न किया है। इसमें साम्प्रदायिकता की कोई बात ही नहीं है। आपको मंत्री महोदय को रोकना चाहिए था।

Mr. Speaker : While occupying the Chair, I can neither express my views about him nor about you. I act according to procedure.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैंने जनसंघ तथा कांग्रेस (सं०) को अलग-अलग पार्टी माना है।

श्री बलराज मधोक : ये बूढ़े गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात कर रहे हैं। ये मंत्री बनने के योग्य नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : ये अकाली हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : He should feel ashamed.

डा० राम सुभग सिंह : उन्हें धर्मनिर्पेक्ष होकर यह उत्तर देना चाहिए।

• **श्री जी० भा० कृपलानी** (गुना) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या 17 और 18 वर्ष की लड़कियों को विभिन्न देशों में ले जाकर नन्ज बनाया जा सकता है। अगर उन्हें नन्ज ही बनाना

है तो उन्हें भारत में ही नन्ज क्यों नही बनाया जाता। मैं तो यह समझता हूं कि 20 वर्षीय लड़की भी अपने बारे में उचित निर्णय नहीं कर सकती है।

श्री स्वर्ण सिंह : उठे।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रश्नानुसार ही होना चाहिए।

श्री स्वर्ण सिंह : इसके बारे में दो बार पहले भी प्रश्न पूछे गये थे। एक प्रश्न 4 अगस्त 1969 को पूछा गया था और उसका उत्तर दे दिया गया था। एक प्रश्न और पूछा गया था जिसके उत्तर में बताया गया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। यह जानकारी सभा को कुछ देर बाद दे दी गई थी। अत: यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। अब हमने जो जांच करनी है उसके लिए वेटिकन तथा भारत के अन्य मंत्री से सूचना प्राप्त करने का जो सुझाव श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने दिया है वह काफी अच्छा है और हम उस पर विचार करेंगे।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Speaker, Sir, we have been put to a great ashame for the news which are appearing in papers for the last two or three days. I would like to ask the Government, if it is not a conspiracy of the enemies of India ? Do they want to exploit the communal harmony of the country ? Secondly, the authenticity of the news appeared in Sunday Times of England may also be checked. If the newspaper has got no sufficient proof and if it is a deliberate attempt to maligen, India a strong protest should be lodged at diplomatic level or something more than this should be done. Thirdly, we should also ascertain that whether it is not a case of internal quarrel between Protestants and Catholics and whether deals this the womanhood of India has been unnecessary dragged in it. It should not be made an international issue At the same time I may say that it is a vital issue and even if a single girl is involved in this case, a through enquiry should be made and tae defaulter be brought to book even if he is a Bishop or Priest. I would also like to know what measures the Government is going to take to avoid such ugly incidents in future ? I wish that hon Minister should reply my questions one by one so that this House and country may be satisfied.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनकी भावनाओं का पूर्ण रूप से आदर करता हूं। जब इसकी जांच की जाएगी ये सारी बातें ध्यान में रखी जायेंगी। दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जायेगा और आगे ऐसी बातें होने से रोकने के लिए उचित कार्यवाही भी की जाएगी।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह मामला बहुत गंभीर है जिसकी तटस्थ रूप से जांच अवश्य की जानी चाहिए। चाहे कोई भी संस्था इसमें अन्तर्ग्रस्त हो, चाहे यह धार्मिक कार्यों के लिये या अन्य किसी कार्य के लिए हो, लड़कियों का बेचा जाना मानवता के लिए अपमानजनक है। यह भारत के लिए और सारे विश्व के लिए घोर अपमान की बात है। केरल जरूर गरीब देश है। मगर वहाँ मेहनतकश जनता अपने अथक प्रयत्नों के जरिये गरीबी को दूर कर रही है। केरल में साक्षरता सबसे अधिक है। वहाँ के माता-पिता सबसे अधिक पढ़े लिखे होते है। गरीबी सारे भारत के लिए एक शाप है। कुछ राज्यों को नितांत गरीबी में रखने की एक प्रकार की साजिश सारे देश में चल रही है। अत: कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार

पर हम इस गम्भीर मामले को कुछ ऐसा रूप न दें जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को चोट लगे। मेरा मत यह है कि हमें इस मामले में अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता से काम करना चाहिए। हम केवल इस कारण से सभी साधुओं को बच्चों का अपहरण करने वाले नहीं कह सकते कि कुछ साधु ऐसा करते। अतः मेरा कहना है कि जब भी ऐसा समाचार प्रकाशित होता है। हम उसको निजी भावुकता की दृष्टि से न देखें। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इसकी हम ऊपेक्षा करें। इसकी पूरी और सही जांच होनी चाहिए और सही तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए। हमें आपस में दोषारोपण करने से बचना चाहिए।

धर्म प्रचारकों (मिशनरी) को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मगर उसके आधार पर हमें तमाम धार्मिक संस्थाओं पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। देश के कई भागों में ये ईसाई धर्म प्रचारक शिक्षा, समाज सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। उन्होंने कोढ़ की बीमारी से पीड़ित असंख्य लोगों की सेवा-शुश्रूषा की है जबकि सवर्ण हिन्दु उनसे नफरत करते थे। अतः कुछ समाचारों के आधार पर हमें तमाम समुदाय या धर्म प्रचारक सस्थाओं को दोष नहीं देना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि समाचार गलत है या सही है। मगर जब तक तथ्यों का सही पता नहीं लगाया जाता, तब तक हमें आपसी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जब तथ्यों का सही पता लगाया जाता है, तो दोषी व्यक्तियों को चाहे वह कोई भी हो, कानून के आधार पर दंड दिया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि जांच यथाशीघ्र की जाए। मंत्री महोदय आश्वासन दें कि जांच शीघ्र की जाएगी और जनता और सदन को तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह केवल एक सरकारी जांच न होकर तटस्थ एवं न्यायिक जांच हो। तभी यह सदन और जनता में विश्वास पैदा कर सकेगी। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे या नहीं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्व-पूर्ण एवं रचनात्मक सुझाव दिये हैं। भारत में और विस्तृत एवं पूर्ण जांच की जायेगी। जहां तक न्यायिक जाँच का सवाल है, न्यायपालिका केवल एकत्रित तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय करती है। जब तथ्य एकत्रित किये जाते हैं, तभी यह प्रणाली उपयुक्त होगी। साधारण एजेंसी जो जाँच कार्य करती है। यहां भी जांच करेगी। जांच के सभी संभव उपायों को काम में लाया जाएगा। और हम सही तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा उद्देश्य बहुत जल्दी जाँच कार्य पूरा करने का है। यह मामला हमारे देश की प्रतिष्ठा में कंलक लगाता है। अतः हम इसका गहराई से पता लगाने में अत्यधिक उत्सुक है और अगर कोई अवांछित बातें सामने आती है, तो उसके लिए दोषी व्यक्तियों को कड़ा दण्ड दिया जाएगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : भारत का हर ईसाई व्यक्ति इस मिट्टी का पूत है। अतः हमें इस मामले पर निहित लक्ष्यों से प्रेरित होकर विचार नहीं करना चाहिए। बुरे लोग हिन्दुओं में भी हैं, ईसाइयों में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता हूं कि केरल के माता-पिता में राजनैतिक चेतना अत्यधिक जागृत अवस्था में है, अपनी बेटियों को बेच

सकते हैं। कुछ ऐसे लोग शायद होंगे जो न केवल अपनी बेटियों को बल्कि अपने देश को भी दूसरे देशों को बेच देते हैं।

समाचार पत्र में आया था कि दिल्ली के आर्च बिशप ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की और बताया कि विदेशों में गई भारत की कन्याओं की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। मैं जानना जाहता हूँ कि आर्च बिशप ने प्रधान मन्त्री को क्या आश्वासन दिया।

भारत की बहुत सी कन्यायें ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पैन, अमरीका तथा इटली में रहती हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रीय धर्म निरपेक्ष समाज ने जो कि वहां के मुक्त विचार वाला एक संगठन है, ब्रिटेन के गृह सचिव से मांग की है कि वहां के मठों द्वारा भारत की कन्याओं की खरीद के बारे में जांच की जाए। समाज ने कहा कि भारत के अन्य संबद्ध देशों के अधिकारियों को ब्रिटेन में रहने वाले अपने देश के राष्ट्रिकों का साक्षात्कार करने की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि कन्याओं को झूठे प्रलोभन देकर लाया गया है या वे स्वेच्छा से लाई गई हैं। यह अलग बात है कि ये कन्यायें अपने धर्मोत्साह के कारण विदेशों में गई हैं या स्वेच्छा से गर्व हैं। मगर प्रश्न यह है कि क्या ऐसी कुछ एजेंसियां काम कर रही हैं जो कन्याओं की इस तरह भर्ती करती हैं। कुछ एजेंसियों पर इस सिलसिले में बेहद पैसा कमाने का आरोप भी लगाया जाता है। यह बहुत गंभीर मामला है। क्या सरकार ने इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है? वक्तव्य से ऐसा लगता है कि कुछ जांच की गई थी, मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने शीर्षस्थ कैथोलिक धर्माध्यक्षों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। यूरोपीय देशों से रहने वाले भारतीयों के साथ उचित व्यवहार को सुनश्चित कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ये कन्यायें चाहे किसी भी देश में गई हों, वहां हमारे राजदूत या अन्य राजनयिक अधिकारी हैं। वे धर्माध्यक्षों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। वे स्पष्टतः उन से कह सकते हैं कि विदेश गई भारत की कन्याओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर ये कन्यायें वहां घरेलू नौकरानियों की तरह काम कर रही हैं, तो उसकी अवश्य ही जांच की जानी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जल्दी से जल्दीं जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रखे।

श्री स्वर्ण सिंह : प्रोनन्स्थो महामहिम मेजर मरी-जोसेफ कोम्यू को वैदेशिक कार्यालय में बुलाया गया था और हमने उन्हें सारी स्थिति का पता दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों की भर्ती को बहुत महत्व दिया जाता है और उनके प्रशिक्षण की उचित देखरेख भी की जाती है। 'होली सी' ने अब मामले की जांच का आदेश दिया है। हम भी जांच कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम चर्च से बराबर संपर्क रखते हैं। मुझे विश्वास है कि वे इस कार्य में पूरा सहयोग देंगे। सरकारी अभिकरणों द्वारा देश के अन्दर और बाहर आवश्यक जांच की जा रही है। हम चाहते

हैं कि जांच अनुकूल एवं स्वस्थ वातावरण में की जाए और मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : बाहर गई लड़कियों को स्वदेश वापिस लाया जाना चाहिए। क्या मंत्री महोदय इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?.....(**व्यवधान**)

श्री स्वर्ण सिंह : जो वापिस आना चाहती हैं, उन्हें आने की सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : हम चाहते हैं कि वे वापस आ जायें।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें आधे घंटे की चर्चा करनी है। क्या आधे घंटे की चर्चा को आगे टाला जा सकता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझ से कहा गया है कि इस विषय पर केवल सोमवार को ही चर्चा की जा सकती है क्योंकि कल की चर्चा के लिए और विषय निश्चित किया जा चुका है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : तीन दिन तक हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं। अतः मैं यह चाहता हूं कि जो विषय पहले ही निश्चित किये जा चुके हैं, उन पर चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कल के कार्यक्रमों को देखना है क्योंकि कई विषय लंबित पड़े हैं। अब आप तय कर लीजिये कि मै कार्यक्रमों को देखूं या अभी चर्चा चला दूं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हम आपके निर्णय पर छोड़ देते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 27 अगस्त, 1970/5 भाद्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 27, 1970/5 Bhadra, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj. Delhi-6.